
रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



# The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਦਂ 1156] No. 1156] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2008/श्रादण 21, 1930

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2008/SRAVANA 21, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2008

का,आ. 2034(अ).—यत: नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोध नों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावध नों के अनुसार सार्वजनिक सूचनाओं के रूप में सं. का.आ. 1049(अ) दिनांक 30-4-2008, 1142(अ) दिनांक 15-5-2008, 1172(अ) दिनांक 19-5-2008, 1396(अ) दिनांक 9-6-2008 और 1397(अ) दिनांक 9-6-2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जाँच और सुनवाई बोर्ड तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भी विचार किया गया; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
- 4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में अनुलग्नक 'क' तथा 'ख' के अनुसार निम्निलिखित संशोधन करती है।

[सं. के-12011/5/2007-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

(

3053 GI/2008

[PART II—SEC. 3(ii)]

## अनुलग्नक-क

:	•		
क्र.	पृष्ठ	दिल्ली मास्टर	संशोधन
स	सं०	प्लान-2021का	
		पैरा/खंड सं0	
1.	27	उप पेरा ४.४.३ के	इस शर्त के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित कियाः
'.	12'	तहत शर्त (xvii)	(will <del>Carlinger को कोडकर लावजीनक भाम पर आविक्रमण का</del>
	1	dear an yang	किन्द्र नहीं किन लाजा और उसे अतिरिक्त निर्माण अथवा
			जंवाई के नियमन हेतु स्थानीय निकाय की स्वीकृति से पूर्व हटा
			किया जावार "-
			"(क) अनियोजित क्षेत्रों (विशेष क्षेत्र, गांद आबादी और अनिधकृत
			िक्तिक कालोजियों सहित। और पनवास कालानिया में 1962 प
	-	. ,	्रा क्या प्रतास के अपने को खड़िकरों में 24 मार्टर
-			मार्गाधिकार से कम की सड़कों पर 175 वर्ग मी0 तक के प्लाटों के
7.			लिए भू-सतह से 3 मीटर की ऊंचाई से ऊपर 1 मीटर तक के
			7.2.2007 से पूर्व मौजूद प्रोजेक्सन/छज्जा/कवर्ड छज्जा निर्मित थाग
- 1			7.2.2007 से पूर्व आजूप आजार मा गुरुवासियों/कब्जाधारकों को सरकार को नियमित किया जाएगा । भूस्वासियों/कब्जाधारकों को सरकार
			हारा यथा अधिसूचित यथोचित समयावधि में संरचना सुरक्षा संबंधी
			प्रमाण पत्र और अग्नि सुरक्षा संबंधी मंजूरी लेनी होगी । इस प्रकार
1		ļ	के प्रोजेक्सन/निर्मित भाग को एफएआर में लिया जाएगा और
		ļ	क प्रजिक्सन/निभित सार्थ की एकटकार परिवार के मामले में अनुमत्य एकटआर से अधिक और अतिरिक्त एकएआर के मामले में
		-	अनुसत्य एफएआर स आधक आर जातारवत वज्ञत्वार का
			ऐसे आधिक्य एफएआर को सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रशार का
			भुगतान करने की शर्त पर नियमित किया जाएगा।
			(ख) अधिसूचना की तारीख के दो माह के भीतर संबंधित स्थानीय
			क्रिक्ट के किए मात्र हिसे सुर्था प्रश्निकार के प्रतिप्र में
			एक सर्वेक्षण करेगा और इनकी सूची को सार्वजनिक रखेगा ताकि
			्राप्त वर्षेत्र स्थला की कीई सा व्यादर वर्ष
			्राधित व कर्मा के क्रिक्ट करने जिल्ला व करने का एवड ।
			्या ने अमारिका रुख सके और लिखित ये प्राप्त एसा आगराजा र
-			० — — रे की वर सर्ग की अंतिम रूप देगा ।
		36 सारणी 5.4	- (ग) होस्टल के विकास नियंत्रण मानकों को अनुलग्नक-"ख" के
2	2.   35-		
_		4(ग) होस्टल 	र किया जाएगाः वर्षा वित्र लिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः
;	3. 46	1 211 4 11 11 11 11	<u> १ २० - ने स्लेट होले का अनुपार होता था</u>
		नीचे नोट (V)	जारा जा राजा जिल्लारित परिवर्तन प्रसार साहरा
			सरकार द्वारा समय-समय पर जवार निर्धारित किए जाने वाले विनिर्देशनों/ विनियमों के अध्यधीन
			होगी। "
<u>_</u>			

, 1	46	सारणी 7.3 के	इस नोट के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
4.	46		"Vi. औद्योगिक इकाइयां/प्लॉट जो 24 मी और उससे ऊपर के
1		नीचे नोट (vi)	मार्गाधिकार दाली सड़कों के साथ संलग्न है, वे विद्यमान विकास
. }		,	मागाधिकार दाला खड़का के साथ सराम है, ये विवस्ता विकास
			नियंत्रण मानकों के अंतर्गत व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन के लिए
		-	पात्र होंगी, बशर्ते कि वे सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित
· .			परिवर्तन प्रधारों और पार्किंग की लागत का भुगतान कर देते हैं । ऐसे
			प्लाटों में स्थानीय बाजारों में अनुमेय कार्यकलापों की अनुमति
٠			होगी । इसके अतिरिक्त बहस्तरीय पार्किंग की भी अनुमति होगी ।
			तथापि, इसकी अनुमति असंगत/ नियमित किए गए औद्योगिक क्षेत्रीं
•			में नहीं दी जाएगी । उपर्युक्त प्रावधान किसी भी प्रकार से उच्चतम
			न्यायालय के आदेशों को प्रशावित नहीं करेगा । "
5.	78	उप पैरा 12.12.2	इस नोट के स्थान पर निम्नितिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
	,	के नीचे खंड (vii)	"VII. अधिकतम 10 एफस्आर, सरकार द्वारा समय-समय पर यथा
		[.	निर्धारित परिवर्तन प्रधारों/शुल्कों के भुगतान की शर्त पर
			अज्वलनशील, अहानिकारक व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए
			अनमेय हैं ।"
6.	97	सारणी 13.21 के	इस क्रम सं0 में "स्वीकार्य कार्यकलाप" शीर्षक के तहत इंडोर गेम्स
	Y:	तहत क्रम सं0 14	हॉल के बाद "स्विमिंग पूल" जोड़ा जाएगा ।"
7.	97	सारणी 13.21	इस सारणी के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा ।
	31	(113-11-10.21	"नोट 1. इंडोर गेम्स हॉल में फिजिकल ट्रेनिंग और उपकरण
			स्वीकार्य कार्यकलाप है ।"
8.	113	उप पैरा 15.3.2(1)	इस स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
ð.	1:3	के तहत "अन्य	1 "
		क तहत अन्य कार्यकलाप" पर	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
			प्री-प्राइमरी स्कूलों तक सीथित है। ये उन प्लाटों में अनुमत होंगे, जो
		स्पष्टीकरण	नियमित प्लॉटिड विकास में कम से कम 18 मी0 मार्गाधिकार वाली
			सड़कों से लगते होंगे, क्योंकि यह कार्यकलाप "सार्वजनिक और
1		. , ,	सड़का स लगत हाग, क्यांक यह कार्यक्ताय सावना करें
			अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं "के रूप में है। नए बैंक, फिटनेस केन्द्रों,
			वेलनेस केन्द्रों और गैर-सरकारी संगठनों को अनुमित नहीं दी
!			जाएगी । लेकिन जो बैंक 7.9.2006 को पहले से ही विद्यमान है
			फिटनेस केन्द्र और वेलमेस केन्द्र तथा गैर सरकारी संगठन जो
			7.2.2007 को मौजूद हैं (जैसा कि पैरा 15.7.1 में बताया गया है)
			समय-समय पर इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं के अनुसार हैं
			और अधिसूचना की तिथि को कम से कम 18 मी0 मार्गाधिकार की
			सडकों से लगे हर प्लाठों पर हैं, कार्य करते रहेगे । "
9.	114	ं उप पैर	। इसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः-
		15.3.2(सभी श्रेणी	"केवल व्यावसायिक कार्यकलाप और पैरा 15.6.3 के अनुसार छोटी
-   -		की कालोनियों मे	दिकाने अनुमत्य होगी और स्कूल के बच्चों के लिए ट्यूशन केन्द्री की
		ग्रुप हाउलिंग) वे	
<u>-</u>		13 - /	

	٠.	:		PART II—SEC.
			नीचे	से उपलब्ध कराई गई प्रकृत कराई गई
			स्पष्टीकरण(4)	से उपलब्ध कराई गई फुटकर दुकाने तथा पैरा 5.4(ii) के तहत समूह
	10	. 115	उप पैरा 15.3.3 के	आवास में अनुमत्य गतिविधियों की अनुमति होंगी।"
			तहत खण्ड(i)	
		`.	(16(1 905(1)	"(i) उस भाग/गली में जहां 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों में भूतल
		:		्रिय प्रथानीय शापिय केन्द्र में अनुमत्य दलाने कार्यालय और उत्तर
				ातावाध्या घल रही है. एसा गली/भाग को मिश्रित सारोग सह र
	<u> </u>	-		िरुप म आध्याचित किया जा सकेगा । "
	11.	. 114	उप . पैरा 15.3.3 के	इस खंड के बाद, निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा:
	}	1	तहत खण्ड (iv)	। "नोट-1
				स्थानीय निकाय इस अधिसूचना के तीन माह की अवधि के
	1			भीतर 7.2.2007 को अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के
				प्रावधानों के अनुसरण में शहरी गांवों में सर्वेक्षण करेगा तथा सर्वेक्षण
		:		नहीं की गई अनिधकृत कालोनियों को नियमित करेगा।"
	12.	115	उप पैरा 15.4(ii)	" केवल की अनुमित दी जाएगी" वाक्य के बाद निम्नलिखित
			के तहत ग्रुप	जोड़ा जायेगा:-
•		-	हाउसिंग में	
				"तथापि, मिश्रित उपयोग/व्यवसायिक उपयोग क्षेत्र/स्ट्रेच/सड़कों पर
				डीडीए फ्लैटों के समग्र भूतल पर मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक
			•	उपयोग की अनुमति है । दो अथवा अधिक डीडीए फ्लैटों को मिलाने
	13.	115	15.0	की अनुमति नहीं होगी।"
	13.	113	15.6	इस उप पैरा के शीर्ष को संशोधित किया जायेगा और इसे "फुटकर
-	14.	W 4 5	<u></u>	्रिकान आर कांयालय" के रूप में पढ़ा जाए !
	14.	115	उप पैरा 15.6.1 के	इन खंडों को संशोधित किया जायेगा और इन्हें निम्नवंत पढ़ा जाए :-
			तहत खंड(i) और	(१) ५०८कर दुकाना और कायालयों की अनुमृति मिश्रित उपयोग के
			(ii)	ालए अधिसूचित सङ्कों से सटे प्लाटी पर केवल भतल पर और ।
Ì				आध्कतम् अनुमय भूतुक्कवरेज तक के लिए दी जाग्गी । "
i		,		(!!) इन सड़का पर बेसमेट में चल रहा मिश्रित उपयोग धतन राजि है।
-	:			क संबंधित उपबंधी अवस्थातम्ह सर्वा और अपि
	:			अनापित की शतों के अनुसार जारी रह सकता है। तथापि, यदि
	٠.			बेसमेंट के ऐसे प्रयोग से जाट का एफ ए आर अनुमेय एफ ए आर से
				अधिक होगा तो वह बढ़ा हुआ एफ ए आर प्रयोग किया जा सकता
	ż			है, लेकिन उसके लिए सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित
				प्रभारों का भुगतान करना होगा । पैरा 15.3.2.1, 15.3.2.2,
		•		15 3 2 3 15 2 2 (1) 2007 15 4
				15.3.2.3, 15.3.3(i) और 15.4 तथा कोई अन्य संबंधित प्रावधानी
	15.	116	उप पैरा 15.6.3	को उपर्युक्त प्रावधानों के साथ पढ़ा जायेगा । "
		•	- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	इस उप पैरा के प्रारंभिक वाक्य को संशोधित किया जाएगा और इसे
	-		-	निम्नवत पढ़ा जाए:- "निम्नलिखित निर्दिष्ट 24 मदों/गतिविधियों से
ł		ļ		संबंधित /व्यापार भूखण्ड में रिहायशी ईकाइयों की अधिकतन
	İ		·	अनुमेय संख्या अथवा 4 संख्या , जो भी कम हो, तक प्रतिबंधित
L				अधिकतम 20 वर्ग मीं० क्षेत्र की प्रत्येक छोटी दुकान को ए और बी

こうでは、 ないのでは、 ない

			<del>.</del>	श्रेणी की कालोनियों को छोड़कर रिहायशी भूखण्ड में भूतल पर ही
			•	अनुमति दी जाती है । तथापि, 7.2.2007 को मौजूद निम्नलिखित
			•	निर्दिश्ट मदों/गतिविधियों से संबंधित / व्यापार भूखण्ड में रिहायशी
				ईकाइयों की अधिकतम अनुमेद संख्या अथदा 4 संख्या , जो भी कम
				हो, तक प्रतिबंधित अधिकतम 20 वर्ग मी० क्षेत्र की प्रत्येक छोटी
			•	दुकान को ए और दी श्रेणी की कालोनियों को छोड़कर जारी रह
				सकतो हैं किन्तु भविष्य में ए और बी श्रेणी की कालोनियों में
				रिहायशी भूखण्ड में भूतल पर 20 वर्ग मी० की केवल एक छोटी
				दुकान की ही अनुमित दी जाएगी । "
	16	117	उप पैरा 15.7.1	इस खंड के उपरांत निम्न को जोड़ा जाएगा:-
			का खण्ड ख(ii)	
ĺ				iii) ''डे स्पेस सहित वैलनेस सेंटर/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक
				चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद सेंटर/स्वास्थ्य और सोंदर्यपरक
				चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सैलून और 7.2.2007 को
i				संचालित (''
į	17	117	उप पैरा 15.7.1	इस खंड के उपरांत निम्न को जोड़ा जाएगा:-
İ			का खण्ड (ड.)	
			, ,	"7.2.2007 को मौजूद"
1	18	117	उप पेरा 15.7.1	इस खंड के उपरांत निम्न को जोड़ा जाएगा:-
			का खण्ड (च)	
į			}	"(छ)7.2.2007 को मांजूद और आयकर अधिनियम 1961 की धारा
				12 एए(1)(ख)सहित धारा 12ए के तहत पंजीकृत लाभ ग्राप्त नहीं
Ì				करने वाले गैर-सरकारी संगठन"।
ļ	19	117	उप पैरा 15.7.2	इस पैरा के अंत में निध्न नोट जोड़ा जाएगा:-
				the state of the s
		į į	<u> </u>	"नोट : क और ख श्रेणी की कालोनियों सहित 1962 से पहले
			1	नियोजित और विकसित सभी कालोनियों में, जब तक न्यून्तम आर
				ओ डब्ल्यू निर्विष्ट नहीं होती 9 मी० की न्यूनतम आर ओ डब्ल्यू पर
				कोचिंग सेंटरों/ट्यूशन सेंटरों को चलाने की अनुमति भी दी जा
				सकती है।"
-	20	117	उप पैरा 15.7.2	नोट में <sup>४</sup> निशान वाले शब्द ''और फिटनेस सेंटर'' हटाए जाएंगे ।
			से नीचे नोट	10 4 14614 diet der 2016 12044 456 8016 21164 1
-	21	117	उप पैरा 15.7.3	इस उप पैरा का ओपनिंग फ्रेज इस प्रकार संशोधित किया जाएगा:-
İ	<u> </u>		1 0.7.0	५५७५ ५५ का जापाचन प्रजा इस प्रकार संशाधित किया जाएगा:-
				"उपरोक्त निर्दिष्ट सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक कार्यकलाप
			-	पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में निर्धारित सामान्य शर्तो संबंधी निम्नलिखित
				अतिशचित दशाओं के अध्यधीन होंगे ।"
Ĺ,				

22 117 उप पैरा 15.7.3 इस खण्ड को निम्न रूप में संशोधित किया जा सकता है:- " ii. बैंकों का 600 वर्ग भी0 की शर्त पर एफएआर का अधिकतम दो तिहाई की अनुमति दी जाएगी जबकि गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम वैलनेस सेंटर समेत हे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र किन्ते किन्ते					THE GAZE! TEOFINDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec.
का खंड(ii)  का खंड(ii)  'ii. बैंकों का 600 वर्ग मी0 की शर्त पर एफएआर का अधिकतम के दिलाई की अनुमति की जाएगी जबकि गेस्ट हाउस, निर्मित होन निर्म के अनुमति की जाएगी जबकि गेस्ट हाउस, निर्मित होन सेटर समेत हे स्पेस/देट लोस सेटर/आयुर्वेदिक विकित्सा और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवाओं को फर्शों क्षेत्र के 3/4 तक अनुमति की जाएगी !''  इस खण्ड में 'क्लीमिक तथा 'और' शब्द के लोच में निम्म को जोश जाएगा:-  'हे स्पेस/देट लोस सेटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सीन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले अपान करने वाले सेवा प्रवान करने वाले अपान करने वाले सेवा प्रवान केन्द्र (प्राथमिक स्कूर्वों को छोड़कर) अनुमत्य प्राउड कवरेज तक केवत भू तल पर ही होंगे।  'फटनेस सेटर (जिममेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिजियक सड़कों से लागे सुर्वेड से लागे एवं ये आयोग अनुमत्य एक ए आयोग अनुमत्य एक ए आयोग अनुमत्य एक ए आयोग अनुमत्य एक ए आयोग अनुमत्य एक ए आयोग अनुमत्य एक ए आयोग सरकार के अनुमतिय से निर्मारन की अध्यक्त हो जाता है ते इस प्रकार के अधिक एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है ते इस प्रकार के अधिक एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है ते इस प्रकार के अधिक एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर सीमा के अध्यक्त के जाता है तो इस प्रकार के अधिक एक प्रवान के अधिक एक प्रवेद की प्रवान की अधिक		22	117	सा गैजा ४६ र ०	
"ii. बँकों का 600 वर्ग मीं0 की शर्त पर एफएआर का अधिकतम ये वित्ताई की अनुमति वी जाएगी जबकि गेस्ट हाउस, निर्मित हों में वेतनेस सेंटर समेत है स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा अवान करने वाले सेंदून और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवाओं को फर्की क्षेत्र के 3/4 तक अनुमति वी जाएगी ।"  3 गंप पैरा 15.7.3 इस खण्ड में क्लीनिक तथा 'और' शब्द के बीच में निम्म को जींडा जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले अपूर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले अपूर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले प्रवान करने वाले प्रवान करने वाले सेंतून सहित वेलनेस सेंटर । "  इस खण्ड में 'निर्मित होम और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्म को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और प्रवान सिंहत वेलनेस सेटर ! " इस खंड को निम्मितिखत द्वारा प्रवित्त्यपरित किया जाएगा:-  'खे स्पेस/वेट लोस संटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान केन्द्र), (वाणिजियक सड़कों से लाने सुर्वेदिक स्थान (वाणिजियक सड़कों के स्थान की अनुमति सी में सेवा प्रवास सेवा प्रवास सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास की अनुमति सी महं है । यदि सूर्वेद पर बेंसमेंट का प्रवास अनुमत्य एफ ए आर का उपयोग सरकार के अध्यात से निर्धारित जीवत प्रभारों के सुप्तान के अध्यायोग सरकार के अध्यात होगा:-  'के प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा सेवा प्रवास केन्द्र सेवा प्रवास केन्द्र सेवा सेवा प्रवास केन्द्र	:				इस खण्ड को निस्न रूप में संशोधित किया जा सकता है:-
वैतनेस सेंदर स्मेत है स्पेस/वेट लोस सेंदर/आयुर्वेदिक विकित्सा और सौन्वर्यपरक शिकित्सा सेवाओं को फर्शों क्षेत्र के तो अपुर्वेद केन्द्र, फिटनेस प्रवान करने वाले सैलूनों अमुनति वी जाएगी ।"  उप पैरा 15.7.3 इस खण्ड में 'क्लोमिक' तथा 'और' शब्द के बोच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ कार्य प्रवास केन्द्र के सेवाल करने वाले प्रवान सेवा पर वी जाती है। इसके अलावा भवन उप-नियमों, बांचारा सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत प्रवाया सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत प्रवाया सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत प्रवाया सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत अपुमति से अधिक एक प्रवोग सुरक्ता संक्रार के अधुरका एक अध्यक एक एक प्रवाय सुरक्ता के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अध्यक्त के अधुरका के अ				का खड(॥)	
वैतनेस सेंदर स्मेत है स्पेस/वेट लोस सेंदर/आयुर्वेदिक विकित्सा और सौन्वर्यपरक शिकित्सा सेवाओं को फर्शों क्षेत्र के तो अपुर्वेद केन्द्र, फिटनेस प्रवान करने वाले सैलूनों अमुनति वी जाएगी ।"  उप पैरा 15.7.3 इस खण्ड में 'क्लोमिक' तथा 'और' शब्द के बोच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ कार्य प्रवास केन्द्र के सेवाल करने वाले प्रवान सेवा पर वी जाती है। इसके अलावा भवन उप-नियमों, बांचारा सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत प्रवाया सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत प्रवाया सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत प्रवाया सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत अपुमति से अधिक एक प्रवोग सुरक्ता संक्रार के अधुरका एक अध्यक एक एक प्रवाय सुरक्ता के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अध्यक्त के अधुरका के अ					" ii. बैंकों का எம கர் கிற <del>கி கூட்</del> —
वैतनेस सेंदर स्मेत है स्पेस/वेट लोस सेंदर/आयुर्वेदिक विकित्सा और सौन्वर्यपरक शिकित्सा सेवाओं को फर्शों क्षेत्र के तो अपुर्वेद केन्द्र, फिटनेस प्रवान करने वाले सैलूनों अमुनति वी जाएगी ।"  उप पैरा 15.7.3 इस खण्ड में 'क्लोमिक' तथा 'और' शब्द के बोच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ कार्य प्रवास केन्द्र के सेवाल करने वाले प्रवान सेवा पर वी जाती है। इसके अलावा भवन उप-नियमों, बांचारा सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत प्रवाया सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत प्रवाया सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत प्रवाया सुरक्ता संबंधी मनकों और अभिन सुरक्ता मंजूरी के संगत अपुमति से अधिक एक प्रवोग सुरक्ता संक्रार के अधुरका एक अध्यक एक एक प्रवाय सुरक्ता के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अधुरका के अध्यक्त के अधुरका के अ	-				विदार्व की अस्परित के नाम की शत पर एफएआर का अधिकतम दो
प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र, फिटनेस प्रवान करने वाले सैलूना अर्थ सान्वर्यपरक चिकित्सा सेवाओं को फर्शी क्षेत्र के 3/4 तक अनुमति वी जाएगी !"  उप पैरा 15.7.3 का खंड(iii)  उप पैरा 15.7.3 का खंड(iiii)  उप पैरा 15.7.3 का खंड(iiii)  उप पैरा 15.7.3 का खंड(iiii)  उप पैरा 15.7.3 का खंड(iv)  अस्त्रिक केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्वर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र प्रवान सिक्त केन्द्र सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र प्रवान सिक्त सेवा प्रवान करने वाले सेवा प्रवान करने वाले सेवा प्रवान करने वाले सेवा प्रवान करने वाले सेवा प्रवान करने अधिक स्वर्व सेवा प्रवान करने अधिक स्वर्व सेवा प्रवान करने अपयोग अनुमत्य एक ए आर सीमा सेवा प्रवान के अधुराता के अध्योग सरकार के अनुमोवन से निर्धारित उचित प्रवारों के सुगतान के अध्याप सरकार के अनुमोवन से निर्धारित उचित प्रवारों के सुगतान के अध्याप करवा के अध्याप करवा अध्याप करवा के अधिक एक ए अपर का उपयोग सरकार के अनुमोवन से निर्धारित उचित प्रवारों के स्वर्व होगा। "  विवर्व पर विवर्व केन्द्र किन्द्र केन्द्र क	į			•	1400 AN OLUMBER OF SHIPE THE PARTY OF THE PA
अर्थ सोन्दर्यपरक चिकित्सा सेवाओं को फशी क्षेत्र के 3/4 तक अनुमित दी जाएगी   '' इस खण्ड में 'क्लीनिक' तथा 'और' शब्द के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-    'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले अग्युर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-    'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-    'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस कींर सौन्दर्य परका चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस कींर सौन्दर्य चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस कींर सौन्दर्य चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस कींट   '' पूर्व प्राथमिक स्कूर्णों को छोड़कर) अनुमत्य ग्रावंड करोज तक केवल भू-तल पर ही होंगे      'फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूर्णों को छोड़कर) अनुमत्य पर पर परकार से कांचित सेन केन्द्र के संचाल प्रवान अनुमति सी गर्द है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सोमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्ययीन होगा ।''    'कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोनिंग केन्द्र सिंग पर पर (क्रा) के म्यूर्वेट को जाता है होगा:-	-				
23   117   उप पैरा 15.7.3   इस खण्ड में क्लीनिक तथा 'और' शब्द के बीच में निम्न को जीहा जाएगा:-   'डे स्पेस/बेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रवान करने वाले सेंट्रन सहित वेलनेस सेंटर! " इस खंड में 'नर्सिंग होम और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-   'डे स्पेस/बेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रयान प्रयान करने केन्द्र आयोग के वाले प्रयान करने वाले प्रयान करने वाले प्रयान करने वाले प्रयान करने वाले प्रयान करने वाले प्रयान करने वाले प्रयान करने वाले प्रयान प्रयान करने वाले प्र					The state of the s
23 117 उप पैरा 15.7.3 हम खंग्ड में 'क्लीमिक' तथा 'और' शब्द के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेस/बेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेस/बेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले अयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले अयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले अयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस बोले प्रवान करने वाले अयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस बोले प्रवान करने वाले अयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस खोटर ।"  उप पैरा 15.7.3 का खंड ( vi)  'क्षेत्र प्रवान करने वाले सेलून सहित वेलनेस सेंटर ।"  इस खंड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  'पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर वी जाती है । इसके अलावा भवन उपनियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अपन सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधान के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति वी गई है । यदि भूखंड पर बेसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एक ए आर का उपयोग सरकार के अनुमतिन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा ।"  यह पठन हेतु निम्मानुसार संशोधित होगा:-  'क्षा खंड ( vii)  'क्षा केन्द्र से स्वात केन्द्र केन्द्र से पर वित्व प्रभारों के स्वात केन्द्र से स्वात केन्द्र से स्वात केन्द्र से सिंपर है पर वित्व प्रथान से सिंपर है सिंपर है पर वित्व प्रयोग से सिंपर है सिंपर है पर वित्व					
हस खण्ड में 'क्लीनिक' तथा 'और' शब्द के बीच में निम्न को जोश जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और औपरेटिंग 'शब्दों के बीच में निम्न लो जोश जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सेलून सहित वेलनेस सेंटर ! " इस खंड को निम्नलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  'पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे !  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन को अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एक ए आर सोमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमतिन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगताल के अध्यधीन होगा !"  28 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( vii)  'कम्प्यूटर कोचिंग और आणा कोिंग केन्द्र स्वित वैपर 15 व ( क्रिकेट) का खंड ( vii)	Ĺ		<u> </u>		अनमित ही जाएगी ।"
का खंड(iii) जाएगाः-  'डे स्पेस/केट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और साँन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले अयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और साँन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रवान करने वाले अयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और आपरेटिंग ' शब्दों के बीच में निम्न लो जोड़ा जाएगाः-  'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले अयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और साँन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले अयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और साँन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले अयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस वाले सेलून सहित वेलनेस सेंटर ! "  इस खंड को निम्नतिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- "पूर्व प्रथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे !  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर विर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे !  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर विर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे !  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर विर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति से में के संपालन की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एक ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एक ए आर का उपयोग सरकार के अनुमतेन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यथीन होगा !"  वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और आणा कोिंग केन्ट सरिव वैपर दहन पर को के		23	117	3प पैरा 15.7.3	दस ग्वाट में 'क्लिक्न'
'डे स्पेल/वेट लोल सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सेतून सित वेलनेस सेंटर । "इस खंड में 'नर्सिंग होम' और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्म को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेल/वेट लोक सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने हार प्रवान करने प्रदान करने के काल प्रदान सेति प्रदान प्रदान करने के संपालन की अनुमति सो तले पर ही होंगे।  'किटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यक सइकों से लगत प्रवान सुरक्षा संवधी मनकों और अभिन सुरक्षा मंजूरी के संपालन की अनुमति सो गर्द हैं। यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एक ए आर सोमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अमुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के अध्ययोग सरकार के अमुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के का खंड (Vii)  'कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित वैमा स्वर्ण करने को लेक्ट्र कोचिंग केन्द्र स्वर्ण के किंग के स्वर्ण करने होगा।''  'कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वर्ण के स्वर्ण करने काले करने कोचिंग केन्द्र स्वर्ण के स्वर्ण कोचिंग केन्द्र स्वर्ण के किंग काले कोचिंग केन्द्र स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण कोचिंग केन्द्र स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण कोचिंग केन्द्र स्वर्ण के स्वर	İ			1	र्भ वन्ड म क्लानिक तथा आर शब्द के बीच में निम्न को जोड़ा
24   117   3प पैरा 15.7.3   इस खंड में 'नर्सिंग होम' और 'ऑपरेटिंग' 'शब्दों के बीच में निम्म को जोड़ा जाएगा:-   'डे स्पेत/वेट लोच संटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्म को जोड़ा जाएगा:-   'डे स्पेत/वेट लोच संटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सैलून सहित वेलनेस सेंटर ! "   इस खंड को निम्मिलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-   ''पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर हो होंगे     फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है   इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अगिन सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है   यदि भूखंड पर बेसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सेना से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा ।"   वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-   'कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग कर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रा क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्राया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्राय १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्				42 (10(1))	जाएगा:-
24   117   3प पैरा 15.7.3   इस खंड में 'नर्सिंग होम' और 'ऑपरेटिंग' 'शब्दों के बीच में निम्म को जोड़ा जाएगा:-   'डे स्पेत/वेट लोच संटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्म को जोड़ा जाएगा:-   'डे स्पेत/वेट लोच संटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सैलून सहित वेलनेस सेंटर ! "   इस खंड को निम्मिलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-   ''पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर हो होंगे     फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है   इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अगिन सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है   यदि भूखंड पर बेसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सेना से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा ।"   वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-   'कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग कर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रा क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्राया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्राय १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्					
24   117   3प पैरा 15.7.3   इस खंड में 'नर्सिंग होम' और 'ऑपरेटिंग' 'शब्दों के बीच में निम्म को जोड़ा जाएगा:-   'डे स्पेत/वेट लोच संटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्म को जोड़ा जाएगा:-   'डे स्पेत/वेट लोच संटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सैलून सहित वेलनेस सेंटर ! "   इस खंड को निम्मिलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-   ''पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर हो होंगे     फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है   इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अगिन सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है   यदि भूखंड पर बेसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सेना से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा ।"   वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-   'कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग कर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रिया । कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र महित गैया १० वर्ग क्रा क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्राया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्राय १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्ग क्रिया १० वर्			]		'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/अगराउँकिक कर
24 117 उप पैरा 15.7.3 हस खंड में 'नर्सिंग होम' और 'ऑपरेटिंग ' शब्दों के बीच में निम्म को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेश/बेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सेलून सहित वेलनेस सेंटर । "  उप पैरा 15.7.3' हस खंड को निम्मिलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  "पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, बांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एक ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के अध्यधीन होगा ।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( Vii)  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोनिंग केन्द्र स्वित रीम रहन रूपन है के स्वार के अध्यधीन होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोनिंग केन्द्र स्वित रीम रहन रूपन होने			·		अध्यवेद लेन्द्र किन्ते क्षेत्र करने वाले
24 117 उप पैरा 15.7.3 हस खंड में 'नर्सिंग होम' और 'ऑपरेटिंग ' शब्दों के बीच में निम्म को जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेश/बेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सेलून सहित वेलनेस सेंटर । "  उप पैरा 15.7.3' हस खंड को निम्मिलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  "पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, बांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एक ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के अध्यधीन होगा ।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( Vii)  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोनिंग केन्द्र स्वित रीम रहन रूपन है के स्वार के अध्यधीन होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोनिंग केन्द्र स्वित रीम रहन रूपन होने			-		कर्न को कार्य अर सान्द्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान
का खंड(iv) जोड़ा जाएगा:-  'डे स्पेस/वेट लोक्स संटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने संहर । "इस खंड को निम्निलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  "पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सहकों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सहकों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अनि सुरक्षा मंजूरी के संयालम की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निधारित उचित प्रभारों के भूगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( Vii)  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोनिंग केन्द्र स्वित पैप रहन रहन होगा रहन विद्यालय करने वाले	2	24	117	या गैना ४६ र ०	
ंडे स्पेस/वेट लोक्स सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रवान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रवान करने वाले प्रवान प्रवान करने वाले		- · ·			रिप खंड में नीसी होंसे और आपरेटिंग ' शब्दों के बीच में दिन कर
25 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( vi) इस खंड को निम्निलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  "पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निधरित उचित प्रभारों के सुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और आषा कोचिंग केन्द्र मित्र वह स्वित प्रेम वह स्वति होगा ।"  "कम्प्यूटर कोचिंग और आषा कोचिंग केन्द्र स्वित प्रेम वह स्वति होगा ।"		[	:	ी का खरू(IA)	जोड़ा जाएगा:-
25 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( vi) इस खंड को निम्निलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  "पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निधरित उचित प्रभारों के सुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और आषा कोचिंग केन्द्र मित्र वह स्वित प्रेम वह स्वति होगा ।"  "कम्प्यूटर कोचिंग और आषा कोचिंग केन्द्र स्वित प्रेम वह स्वति होगा ।"				·	
25 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( vi) इस खंड को निम्निलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  "पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निधरित उचित प्रभारों के सुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और आषा कोचिंग केन्द्र मित्र वह स्वित प्रेम वह स्वति होगा ।"  "कम्प्यूटर कोचिंग और आषा कोचिंग केन्द्र स्वित प्रेम वह स्वति होगा ।"		· · [		, .	ंडे स्पेसतिट लोक में मार्टिक ००
25 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( vi) इस खंड को निम्निलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  "पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निधरित उचित प्रभारों के सुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और आषा कोचिंग केन्द्र मित्र वह स्वित प्रेम वह स्वति होगा ।"  "कम्प्यूटर कोचिंग और आषा कोचिंग केन्द्र स्वित प्रेम वह स्वति होगा ।"					अप्यादीन केर कि संदर्भ आधुवादक चिक्तिसा प्रदान करने वाले
उप पैरा 15.7.3' का खंड ( vi)   इस खंड को निम्निलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-   "पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे     फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एक ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निधारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा ।"   यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-   "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित्र वैमान कर स्वत्र विद्या होगा विद्यालय स्वत्र होगा विद्यालय स्वत्र होगा विद्यालय स्वत्र होगा विद्यालय स्वत्र होगा विद्यालय स्वत्र होगा विद्यालय स्वत्र होगा होगा विद्यालय स्वत्र होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा					
का खंड ( vi)  "पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमित दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा।"  यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित क्षेप सह र ४(०) रू	-	=	117	1 X	पर्रा पाल प्रदान कर्मन दाल सलन सहित नेस्ट्रेस और । "
"पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है। इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है। यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भ्रुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित्र वैष्य कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र वैष्य कर स्वत्र वैष्य कर स्वत्र वैष्य कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विष्य कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्य विषय कर स्वत्र विषय कर स्वत्य विषय कर स्वत्य कर स्वत्य कर स्वत्य कर स्वत्य कर स्वत्य कर स्वत्य कर स्वत्य कर स्वत्य कर स्वत्य कर स्वत्य कर स्वत्य कर	~		. 117		इस खंड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया नागाः
तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिजियक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमित सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमित दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा ।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( vii)  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र सहित्र प्रेप 45 कर ( ) कें				का खंड ( vi)	
तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिजियक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमित सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमित दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा ।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( vii)  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र सहित्र प्रेप 45 कर ( ) कें					"पर्व प्राथमिक विद्यालय (चारिक्
तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।  फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिजियक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमित सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमित दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा ।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 का खंड ( vii)  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र सहित्र प्रेप 45 कर ( ) कें		1			निर्मित एर्ड एक्टी कर्ने
फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमित सभी तलों पर दी जाती है। इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमित दी गई है। यिद भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोनिंग केन्द्र स्वित प्रेग 45 कर रही होगा 45 होगा 45 कर रही होगा 45 कर रही होगा 45 कर रही होगा 45 कर रही होगा 45 कर रही होगा 45 कर रही होगा 45 होगा 45 होगा 45 होगा 45 होगा 45 हो	1	. ]		-	, , , , रूप अल्पानक स्कर्णा की खिडलर) अन्यन्य मान
अनुमति सभी तलों पर दी जाती है। इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है। यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित पैया वह पर विकार होता होगा विकार स्वित प्रभारों हो स्वांधित होगा:-			•		तक कवल भू-तल पर हा होगे।
अनुमति सभी तलों पर दी जाती है। इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है। यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित पैया वह पर विकार होता होगा विकार स्वित प्रभारों हो स्वांधित होगा:-	ĺ				
अनुमति सभी तलों पर दी जाती है। इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है। यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित पैया वह पर विकार होता होगा विकार स्वित प्रभारों हो स्वांधित होगा:-		]			फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम रोगा/कान केन) (-00
ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमित दी गई है। यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:- "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित पैया 45 र 460 के				·	सडकों से लगते अरवंडों एक निर्मान कर्मा कर्मा, (वाणाज्यक
ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमित दी गई है। यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:- "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित पैया 45 र 460 के					अनुमति स्वरी नार्ने पान्ये प्राप्त पूर्व-प्रायमिक स्कूली की छोड़कर)
पावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमित दी गई है। यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए अर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए अर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 वह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित प्रैम 45 र 4(र) के		ļ			
अनुमित दी गई है । यदि भूखंड पर बेंसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए अर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा ।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित पैया 45 र 460 के			ĺ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
अनुमात दा गई है। यद भूखंड पर बेसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए अर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित पैप 45 र 4(र) दें				/	· 사고의 내 다. 이 아시에서 전심하는 11 전체 우그 야구를 하는
का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  का खंड ( vii)  "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित प्रैय 45 र 460 के			}		जन्मात दा गई है। यदि अखंड पर हेस्पेट कर क्योग कर
था उपजान सरकार के अनुमादन से निर्धारित उचित प्रश्नारों के श्रुगतान के अध्यधीन होगा।"  26 117 उप पैरा 15.7.3 यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-  का खंड ( vii) "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित प्रेम 45 र 4(2) 2			Į		आर सीमा से अधिक हो जाता है हो हम गर्म के क्रिक्ट
26 117 उप पैरा 15.7.3 यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:- का खंड ( vii) "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित गैया 15 र 160 2	ĺ		[	.	का उपयोग सरकार के अन्योग ने कर्ना के आधिक एक ए आर
26 117 उप पैरा 15.7.3 यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:- का खंड ( vii) "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित गैया 15 र 160 2			ĺ	•	ध्यात्म्य के अन्यस्ति के
का खंड ( vii) वह पठन हतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-	26	1	17	रा धैरा १६ ७०	उत्पार के अध्यक्षान श्वा
का खड (VII) "कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित गैया 15 न (८) 2		∵			थह ५०न हतु निम्नानुसार संशोधित होगा:-
"कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र सहित पैरा 15.7.1(च) में उल्लिखित कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन केन्द्रों के लिए अधिकतम 500		Ì	-	का खह ( All)	
उल्लिखित कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन केन्द्रों के लिए अधिकतम 500				j	"कस्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र स्वित केन्द्र रहन रहन
जार उस्रान कन्द्र। क लिए अधिकतम 500					उल्लिखित कोचिंग केन्द्र और कार्यं के के क
				<del></del>	500 विश्वास के लिए आधकतम 500

				अंसा या एवपार . असावार्य
		<del></del>		
	İ		1.	दर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र और बेसमेंट के अध्यधीन प्लाटों क आकार का
	ļ			अधिकतम अनुमेय फर्शी क्षेत्रफल अनुपात के 2/3 हुल अनुपति
	<u> </u>	1		होगी । प्लाट के आकार के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।
		· .		बेसमेंट का प्रयोग मास्टर प्लान दिल्ली- 2021 के संगत उपहंधों के
·		-		जन्मान अन्ति नार्टर व्याच विद्या- २०२१ क सगत उपहर्धा क
j			·	अनुसार अग्निरामन प्राधिकारी और अन्य सांविधिक निकायों तथा
				समय -समय पर संशोधित यूनिफाईड बिल्डिंग बाई लॉ, 1983 के
-				अनुसार मजूरी मिलने के अध्यक्षीन होगा। यदि ह्यायय होतिन
ļ		,		और भाषा कांचिंग गतिविधियों सहित कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन
ļ		Ì		केन्द्र हेतु बेसमेंट का प्रयोग प्लाट के अनुमत्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात
		}		के अहित्य होता है के क्रेस स्थाप के अनुसंख्य करें। क्षेत्रकल अनुपात
Ì				से अधिक होता है तो, ऐसे अधिक फर्शी क्षेत्रफल अनुपात का प्रयोग
				सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभार की अदायगी के
		1		अध्यक्षान होगा। अन्य मीजदा कोचिंग/दय्यान केन्द्रों को नकने के
				लिए मई 2008 के अंत तक वे कंफोर्मिंग स्थानों पर शिफ्ट हो
	,	1 .		जाएंगे।
			· ·	
			·	केवल स्कूलों के बच्चों के लिए ट्यूशन केन्द्र का संचालन 100 दर्ग
				मीटर के किसी भी आवास समूह के भू-तल में या फ्लैट के फर्शी क्षेत्र
-				व 50% भाग में, जो भी कम हो, अनुमत्य होगा ।"
-	27	118	उप पैरा 15.7.3	इस खण्ड के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए:-
ĺ		· ·	का खंड (ix)	
		1		"(X) खंड (छ) में उल्लिखित उप-पैरा 15.7.1 के अनुसार यदि गैर
	. •	<u> </u>		रंग वार्च (०) न अल्लाखत उपन्परा १५.७.१ क अनुसार याद गर
				सरकारी संगठनों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ तो उनका
		1	i I	अधिमूचना की तिथि से 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना चाहिए। "
		}		गर सरकारी संगठनों की गतिविधियां परिसर के केतल उस ध्या के
				जारी रखने की अनुमित होगी जो 7.2.2007 की स्थिति के अनुसार
		<u> </u>	٠.	इस शर्त के अध्यधीन अनुनित बगैर आगे बढ़ाया जाना प्रयोग में था
				कि यह क्शी क्षेत्रकल के 3/4 से कम है।"
	28	118	उप पैरा 15.8	कि तह क्या ब्रिक्च के 3/4 स केम हैं।"
1		1,0		यह उप पैरा पढ़ने हेतु इस प्रकार संशोधित होगा:-
ļ.			(iv) - 1	
Ì	,			''बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि चलाना, भवन उप-नियमों के
	.,		•	संगत प्रावधान, ढांदागत सुरक्षा मानदंड और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के
			•	अध्यधीन भूखंडीय विकास में अनुमत्य होगा । यदि व्यावसायिक
				क्यांक्रिया के किए ने मोर्न ने प्रति होगा । याद व्यावसायिक
İ				कार्यकलाप के लिए बेसमेंट के प्रयोग से अनुमेय एफ ए आर अधिक
		.]		हो जाता है तो बढ़े हुए एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन
		1		स निधारित उचित प्रशार का भुगतान करने पर किया जा
_				सकता है ।"
2	29	118	उप पैरा 15.9 के	इस खंड के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए:-
		İ	अंतर्गत खंड( ii)	"ਰੁੱਧ 2008-07 ਰੁਸ਼ਾ 2007-02 <del>ਨੇ ਦਿਆ ਹੈ ਹੈ</del>
				"वर्ष 2008-07 तथा 2007-08 के लिए मिश्रित प्रयोग हेतु, संपत्ति
_		<u>_</u> }	·	मालिक/आबंटी को खंड 15.9(v) के अंतर्गत दिनांक 30.6.2009 को
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

.

	-		या इससे पहले किसी भी शास्ति का भूगतान किए बगैर एक बार में
	Ì		पंजीकरण प्रभार तथा वार्षिक परिवर्तन प्रभार की अदायगी करना
			अनुमत्य होगा।"
			<u> </u>
30	118	उप पैरा 15.9 के	इस खण्ड के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं:-
	Į	अंतर्गत खंड( v)	
			''(vi) विशेष क्षेत्र में दिनांक 7.2.2007 को पहले से ही मिश्रित भूमि
	·		के अधीन आवासीय परिसर के संबंध में, भूखंडीय विकास के
			स्वामी/आबंटी/दखलकार से इस संबंध में एक प्रपन्न भरकर ऐसे
.		•	मिश्रित उपयोग की घोषणा करके संबंधित स्थानीय निकाय को जमा
-			
	-		करना अपेक्षित होगा और सरकार के समय-समय पर अनुमोदन से
			अधिसूचित दर पर दिनांक 30.6.2009 को या इससे पहले बिना
			कोई शास्ति दिए एक बार में पंजीकरण प्रभार और परिवर्तन प्रभार
			की अदायगी करनी होगी । "
31.	119	उप पैरा 15.12.1	इस खंड को पढ़ने के लिए इस प्रकार संशोधित किया जाए:-
131:	113	के अंतर्गत खंड	"(ग) ई,एफ और जी श्रेणी की कालोनियों में, जहां 80 प्रतिशत
		(ग)	आवासीय भूखंड मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आते हों या जहां एक
		,	हेक्टेयर क्षेत्र में 150 दुकाने हों, स्थानीय निकाय द्वारा इस
			अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के अंदर ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण
*			किया जाएगा ।''
32	119	उप पैरा 15.12.2	इस उप पैरा के अंत में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए:-
	1		
			" टिप्पणी 1: स्थानीय निकाय द्वारा शहरी गावों तथा नियमित
	]	•	अनिधकृत कालोनियों में उन क्षेत्रों/मार्गों/सड़कों में इस अधिसूचना के
			•
Y			तीन महीने के अंदर सर्वेक्षण किया जाएगा जिनका दिनांक 7.2.2007
			को अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसरण
			में सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।''
33	120	उप पैरा 15.12.3	इस शर्त को इस प्रकार संशोधित किया जाए:-
,		की शर्त(iv)	
ŀ			" iv. इस खंड के अंतर्गत व्यवसायिक सड़क/क्षेत्र की अधिसूचना
			होने पर जैसा कि इस योजना के अध्याय 5.0 में उल्लिखित है, ये
		,	सड़कें/क्षेत्र स्थानीय शापिंग केन्द्र माने जाएंगे इन व्यावसायिक
			सड़कों/क्षेत्रों पर भू-खंड स्वामियों/आबंटियों को निर्मित क्षेत्र, जो
			प्लाट के लिए लागू रिहायशी विकास नियंत्रण मानकों से अधिक न
_   ;			हो, के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर विशेष
			परिवर्तन प्रभारों का भुगतान करना होगा । ऐसे व्यावसायिक
			क्षेत्रों/सड़कों में प्लाट आबंटियों/स्वामियों के लिए यह एक वार की
	:		स्विधा है और भविष्य में इसका आशय विकास नियंत्रण मानदंडों में
			छूट नहीं माना जाना चाहिए । "

-

ĺ	34	120	उप पैरा 15.12.3	इस शर्त को इस प्रकार संशोधित किया जाए:-
	٠.	120	की शर्त(Vii)	" VII. इन सड़कों पर बेसमेंट में चल रही दुकानें भवन उपविधि के
			· · · · ·	संबंधित उपबंधों, संरचनात्मक सुरक्षा और अग्नि-सुरक्षा अनापत्ति
			•	की शर्तों के अध्यधीन जारी रह सकती है। तथापि, यदि बेसमेंट के
				l
				ऐसे प्रयोग से प्लाट का एफएआर अनुमेय एफएआर से अधिक होगा
		i		तो वह बढ़ा हुआ एफएआर प्रयोग किया जा सकता है, बशर्त कि
				सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों का भुगतान किया
				जाए । ''
	35	122	उप पैरा	इस उप पैरा को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाए:-
į	·		16.2(3)	
				' 3. विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों और गांव आहादी
Ì				के लिए विशेष क्षेत्र भवन विनियम बनाए जाएंगें । विशेष क्षेत्र,
		•		अनिधकृत नियमित कालोनियों और गांव आबादी के स्वामी आगामी
				छ: माह के अंदर स्थानीय निकाय के पास स्वयं को पंजीकृत
-				करवाएंगें । उनके द्वारा योग्यता प्राप्त इंजीनियर से प्राप्त
				संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा । 15 मीटर से
۱				अधिक ऊँची संपत्तियों के स्वामियों/दखलकारों को 30 जून 2009
				तक ऊँचाई को निर्धारित स्तर तक लाना होगा । उस समय तक 15
į				मीटर से ऊँची संरचनाओं के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की
				जाएगी । इस तारीख के बाद 15 मीटर की ऊँचाई की शर्त पर इस
			,	पंजीकरण में कवर होने वाले सभी भवनों को जब तक इन क्षेत्रों के
	I			लिए दिशेष क्षेत्र भवन विनियमन अधिसूचित नहीं हो जाते अथवा
.		. ' :	. •	अधिकतम तीन वर्ष, जो भी पहले हो, दंडात्नक कार्रवाई से
.	•			छूट होगी।"
-	36.	123	अध्याय 17 के	इस खंड को इस प्रकार संशोधित किया जाए:-
	50.	123	अंतर्गत खंड	इस खंड कः इस प्रकार संशावता किया जाए-
			2(10)	" सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिवर्तन प्रभार/अन्य
			, .	शुक्क वहां देने होंगे, जहां कहीं मास्टर प्लान/जोनल प्लान, मिश्रित
				उपयोग विनिधिमों और अन्य विनिधमों के अंतर्गत परिसर में
ļ	··· ,			<b>भू-</b> उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है ।''
	37.	126	अध्याय 17 के	इस उप खंड को इस प्रकार संशोधित किया जाए:-"
			अंतर्गत उप खंड	
			8(2)(vi)	"V. किसी भी उपयोग जोन में स्थित गांव आबादी
				(लाल डोरा/फिरनी) का भू-उपयोग रिहायशी है ।''

तालिका ५.४: वि	कास नियंत्रप	⊓ <b>্বাতি</b> †ডিয়া	क्त केन्द्र (ग)	होटल को इस प्र	कार संशोधित किया जाए:-
उपयोग/उपयोग	अधिकतम	एफ्राइअगर	ऊँचाई	पार्किंग मानक	अन्य नियंत्रण
परिसर	कवरेज		(मीटर)	ईसीएस/फर्शी	
		連續		क्षेत्र का 100	
÷				वर्ग मीटर	
( <del>1</del> )	40 .	006#	एनआर*	3@	(i) प्रांगण के लिए अधिकतम
(ग)होटल	40	EZUTT )		300	10% अतिरिक्त भू-कवरेज की
				,	अनुमति होगी । यदि प्रांगण के
•		in a			लिए अनुमत अतिरिक्त भू-कवरेज
					का उपयोग किया जाता है तो
, ,	:		}		उपयोग में लाए गए भू-कवरेज के
		<b>一直</b>			25% की गणना एफएआर के लिए
			1		की जाएगी।
					1
					(ii) तल क्षेत्रफल अनुपात
		1			(एफएअन्र) के अधिकतम २०%
		- KAY 7			का उपयोग व्यावसायिक
	4				कार्यालयों, खुदरा एवं सेवा
	i	国民党:		ļ	दुकानों के लिए किया जा सकता
1			ļ ·	:	1 🗸
	. `			-	考
			· ·		
				-	(iii) सरकार द्वारा
					निर्धारित/अधिसूचित किए जाने
:	$ \mathcal{A}  =  I $		-		वाले प्रभारों का भुगतान करने पर
		计算法			ही बढ़ाए गए एफएआर की
	. ]	1 7 7			अनुमति दी जाएगी ।
		1 1 2 1 1 1 1 1 1	1	1	। अनुसात दा जाएगा ।

एनआर"- कोई प्रतिबंध नहीं, एएआई, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य देधानिक निकायों से अनुमोदन की शर्त पर ।

एफएआर#- एल बी जैंड क्षेत्र, सिविल लाइन्स बंगला क्षेत्र तथा हेरीटेज संरचनाओं पर विद्यमान होटलों को छोड़कर अन्य सभी होटलों के संबंध में।

@- जिन होटलों के भवन निर्माण नक्शे 27.1.2006 से पहले स्वीकृत कर दिए गए हैं, उनके संबंध में 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र अनुपात के लिए 3 ईसीएस के पार्किंग मानक केवल अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात, जो कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के परिणामस्वरुप उपलब्ध कराया गया है, के लिए ही लागू होंगे । जिन होटलों के भेवन निर्माण नक्शे 27.1.2006 अथवा उसके बाद स्वीकृत किए गए हैं, उनके संबंध में 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र के लिए 3 ईसीएस के पार्किंग मानक सारे भूखंड के लिए लागू

### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2008

- S.O. 2034(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) as Public Notices vide No. S.O. 1049(E), dated 30-4-2008, 1142(E), dated 15-5-2008, 1172(E), dated 19-5-2008, 1396(E), dated 9-6-2008 and 1397(E) dated 9-6-2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions with regard to the proposed modifications have been considered by a Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the modifications in the said Master Plan for Delhi, 2021 as per Annexure A and B with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

[No. K-12011/5/2007-DDIB]
P. K. SANTRA, Under Secy.

### Annexure-A

	:			Annexure-A
	SI.	Page	Para/	Madician
	No.		Clause No.	Modifications
	4.	-	of MPD-	
	•		2021	
ſ	1.	27	Condition	This condition shall be substituted by
	\$		(xvii)	The straight of Straight by the
	.,		under sub-	following:-
			para 4.4.3	W(see: 1) Turner 1
			Para 4.4.5	"(xvii) Encroachment on public land shall
.				live be regularized and shall be removed
- 3				Delote the local body grants cancilla for
				regularization of additional construction or
			·. · ·	height except the following:-
				(a) Projections/chajjas/ covered chajjas
-			**	punt up portion which existed before
-	÷		<b>†</b> .	7.2.2007 upto 1m above 3m height from the
1				ground level shall be regularized for plot
				size upto 175 sqm on roads below 24m ROW
				in pre-1962 colonies (except for A & B
ŀ				category), in unplanned areas (including
				special area, village abadi and unauthorized-
ŀ				regularized colonies) and re-settlement
				colonies. The owners/occupiers shall have
-				to obtain structural safety certificate and
				fire clearance within a reasonable period of
				time as notified by the Government. Such
			-	projections/built up portion thereon shall be
ŀ		,		counted in FAR and in case of excess FAR
		· -		over and above permissible FAR, such FAR in excess shall be regularized subject to
		i		payment of appropriate charges as approved by the Government.
				-, odacillicit.
		i		(b) The local body compared their
				(b) The local body concerned shall carry out a survey within a period of two months
•	`			from the date of notification of all such
	į			projections eligible to be regularized and put
				such list in public domain for objections
			-	from the occupiers/owners and any person
		}	•	of the public against inclusion/exclusion of
		j		such projection in the list and the list
	-			thereafter will be finalized within a period of
				one month after considering such objections
				received in writing."
	-		!	

भारत का राजपत्र : असाधारण

				1		
			2.	35- 36	Table 5.4- 4(c) Hotels	The Development Control Norms of (c) Hotels shall be substituted as per Annexure 'B'.
<del></del>			3.	46	Note (v)	This Note shall be substituted by the following:
-		5.1	)	' .	below	
1	-	,				"v. Banquet hall shall be permissible in
					Table 7.3	Industrial premises subject to
		v ,	İ			specifications/ regulations as may be
the	•	;			}	prescribed, along with conversion charges
			1.			as prescribed by the Government from time
		•				to time."
all			4.	46	Note (vi)	This note shall by substituted by the following:-
ed		,			below	The vice of an angle of the following.
for			}		Table 7.3	"vi. Industrial units/ plots abutting roads of
or				ĺ	Tuble,7.5	24m ROW and above shall be eligible for
		1.				
			ļ			conversion to commercial use within the
.						existing development control norms, subject
as						to payment of conversion charges as
re						prescribed by the Government from time to
he	•	•	]	ļ		time, and cost of parking as decided by
lot		:				Government from the time to time. The
W					•	activities permissible in local shopping
8			1			centres will be permitted in such plots. In
ng		1,			٠.	1
id-			-	į		
	•	t.			,	permissible activity. However, this shall not
รกร์			ľ	i		be permitted on non-conforming/
ve	•		-			regularized industrial cluster. The above
nd						provision shall not affect the Supreme
Of					- :	Court orders in any way."
ich			5.	78	Clause (vii)	This clause shall be substituted by the following:-
be		•	ļ		below sub-	,
AR	•	• '			para .	"vii. Maximum 10 FAR permissible for non-
in					<u>1.2.1·2.2</u>	inflammable, non-hazardous commercial
to			İ	*.	· ·	activities subject to payment of conversion
ed						
						charges/levies, as prescribed by the
ļ						Government from time to time."
mare a				0.7	C. N 4.4	
rry			6,	97	SI.No.14	In this Si.No. under the Heading 'Activity
:hs					under	permitted', after Indoor Games Hall,
ıch		ż			Table	"Swimming Pool" shall be added.
)ut		`			13.21	
ะทร		· .	7.	97	Table	Below this table, the following foot note shall be
on		•		·	13.21,	added:-
of						on our our our set of
ist			į .			"Minto de Divisional fractions and the continuous
of			İ		,	"Note 1: Physical training with equipment
ns.		•			.	is permitted activity in the Indoor Games
413				İ		Halls".
		:			,	
	_		L			

· ·			
8,	113	Clarifica-	This clarification shall be substituted by the
	}	tion on	following:
. ,		'Other	" "Other Activity" restricted to guest houses,
4		activity'	nursing homes and pre-primary schools, as
1.		under sub-	defined in para 15.7.1, subject to conditions
		para	contained in para 15.7, in plots abutting
:		15.3.2(1)	roads of minimum 18m ROW in regular
		\ \ \	plotted development, since these activities
			are in the nature of 'Public and Semi Public'
			facilities. New banks, fitness centres,
			wellness centres and NGOs will not be
			permissible. Banks which existed as on
•			7.9.2006, fitness centres, wellness centres
			and NGOs which existed as on 7.2.2007, (as
			defined in para 15.7.1), in accordance with
			notifications issued in this regard from time
			to time, and are on plots abutting roads of
:			
			minimum 18m ROW, on the date of notification, shall however, continue."
9.	114	Clarificatio	This shall be substituted by the following:-
		n (4) below	This shall be substituted by the following.
	,	sub para	"Only professional activity, small shops in
		15.3.2	terms of para 15.6.3 and tuition centres for
		(Group	school children only shall be permissible.
		Housing in	Retail shops specifically provided for in the
	i -	ail	lay out plan of group housing and activities
		categories	permitted in group housing under para
1 1		of colonies)	15.4(ii) would be permissible."
		or colornes)	Tailed as case be permissive.
10.	114	Clause (i)	This Clause shall be modified to read as under:-
		under Sub-	ribo Cidass stidii be Modified to Fedd as utilder,-
	İ	para	"(i) Where more than 50% of the plots in a
· ·		15.3.3	stretch/street, are having shops/ offices
:		10.5.5	and other activities permitted in Local
.			Shopping Centres on ground floor, such
'	·	·	streets/ stretches shall be eligible for
			notification as mixed use street".
			TO THE THE PROPERTY OF THE PRO
11.	114	Clause (iv)	After this clause, the following note shall be
		under Sub	added:-
		Para	"Note-1
		15.3.3	The local body shall carry out a survey in
			those streets/roads in urban villages and
			regularized-unauthorized colonies not
			surveyed pursuant to the provisions of MPD-
•			2021 notified on 7.2.2007, within a period of
	,		three months of this Notification."
<del></del>			terroughters of this reactification.

		12.	115	In Group	After the sentence " Onlypermissible", the	•
		1		Housing	following shall be added:-	
				under Sub-	Tonowing Shan be added.	
		1		1	West and the second sec	
	÷	İ		Para	"However, the entire ground floor of DDA	
		-		15.4(ii)	flats on mixed use/ commercial use area/	,
•		.			stretches/ roads is allowed for mixed use/	
		1.	}		commercial use. No amalgamation of two	
	:	:			or more DDA fiats shall be allowed."	
•	٠,	13.	115	15.6	The Heading of this sub para shall be modified to	
		d.			read as "Retail Shops and Offices".	
	:				redd 33 Retair Shops and Onices .	, ,
٠.	:					
	•	3.6	1 - 1	1 (1)	7.	
		14.	115	Clause (i)	These clauses shall be modified to read as under:	
	£.			& (ii) under	i ·	•
•	•	·		sub-para	"(i) Retail shops and Offices shall be	
	.*			15.6.1	permitted on plots abutting streets notified	•
	:	i			for mixed use only on the ground floor upto	
•					the maximum permissible ground floor	
•				,	coverage.	•
				]	(ii) Mixed use from basement on such	•
	• . •	1			streets may be allowed, subject to relevant	
¥	•	1			provisions of building bye-laws, structural	
•		1			safety and fire safety clearance. However, if	
	:	}			such use of basement leads to exceeding the	
	•		İ		permissible FAR on the plot, such FAR in	
		ł	]		excess shall be used, subject to payment of	
,	,	ļ			appropriate charges prescribed with the	•
		į.	!		appropriate charges prescriber with the	
			1		approval of Government. Paras 15.3.2.1,	
					15.3.2.2, 15.3.2.3, 15.3.3(i) and 15.4 and	•
			,		any other relevant provisions shall be read	. 1
		,	,		any other relevant provisions shall be read alongwith the above provisions."	
			,		any other relevant provisions shall be read alongwith the above provisions."	. ;
•		15.	116	Sub Para	alongwith the above provisions."	
•		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be	
•		15.	116	Sub Para 15.5.3	alongwith the above provisions."	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each,	
	. :	15.	116	i	alongwith the above provisions."  The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number	
		15.	116	i	alongwith the above provisions."  The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with	
		15.	116	i	alongwith the above provisions."  The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities	
		15.	116	i	alongwith the above provisions."  The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	
		15.	116	i	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:-  "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less,	

*			activities existing as on 7.2.2007 may continue on ground floor only in a residential plot in A & B category of colonies but in future only one small shop of 20 sqm area shall be allowed on ground floor in a residential plot in A & B category of colonies."
16.	117	of sub-para	After this Clause, the following shall be added:- "iii. Wellness Centers including Day Spas/ Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services and operating as on 7.2.2007."
17.	117	Clause (e) of Sub- para 15.7.1	At the end of this Clause, the following shall be added:- "as existed on 7.2.2007."
18.	117	Clause (f) of Sub- para 15.7.1	"(g) Non-profit making Non-Governmental Organizations (NGOs) existing as on 7.2.2007 and registered as such under Section 12A read with Section 12AA(1)(b) of the Income Tax Act, 1951."
19.	117	Sub Para 15.7.2	"Mote: Coaching centres/tuition centres shall also be allowed to operate on a minimum ROW of 9m unless lesser ROW is specified, in all colonies planned and developed prior to 1962 including A and B category colonies."
20.	117	para	In the Note with * mark, the words 'and fitness centers' shall be deleted.
21.	117	Sub Para 15.7.3	The opening phrase of this sub-para shall be modified as under:-  "The above mentioned public and semi-

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

171-0006	2773		मारत का राज्यत्र : असावारण
:	. <del>-</del> .		public activities shall be subject to the following overriding conditions on the general conditions prescribed in preceding paras:"
- 22.	117		This Clause shall be substituted by the following:-
		of sub-para 15.7.3	"ii. Banks shall be permissible on maximum 2/3 <sup>rd</sup> of FAR subject to 600 sqm while guest house, nursing homes, Wellness Centers including Day Spas/ Weight Loss Centres/
,			Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services will be permissible upto 3/4th of the floor area."
	·		
23.	117	Clause (III) of sub-para 15.7,3	In this Clause, between the words "clinics" and "and", the following shall be inserted:- ",Weilness Centers including Day Spas/ Weight Loss Centers/ Ayurvedic Centers offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services".
24.	117	Clause (iv) of sub-para 15.7.3	In this Clause, between the words "Nursing Homes" and "operating", the following shall be inserted:-
			"Wellness Centers including Day Spas/ Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services."
25.	117	Clause (vi) of Sub- para 15.7.3	This clause shall be substituted by the following:  "Pre-primary school (other than those on plots abutting commercial streets) shall be restricted only to the ground floor upto the permissible ground coverage.
			Fitness Centre (including Gymnasium, Yoga/Meditation Centre), (other than those on plots abutting commercial streets) is permitted on all floors. It is also permitted in the basement subject to relevant provisions of Building Bye Laws,

3053 GI/08-3

_ <del></del>			
- :			structural safety norms and fire safety clearance. In case the use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government".  This clause shall be modified to read as under:-
26.	117		"Coaching centres and tuition centres referred to in para 15.7.1 (f) including computer coaching and language coaching centres shall be permissible up to 2/3rd of the maximum permissible FAR of the plot size subject to a maximum of 500 sqm built area and basement. There shall be no restriction on the size of the plot. Use of basement shall be subject to clearance from the fire authorities and other statutory bodies as per the relevant provisions of MPD 2021 and Unified Building Bye-Laws, 1983, amended from time to time. In case the use of basement for coaching centres and tuition centres including computer coaching and language coaching activity leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government. Other existing coaching/tuition centres may be allowed to continue till end of May, 2008 and shift to conforming locations by then.  The tuition centres for school children only, shall also be permissible in the ground floor dwelling of any group housing on a maximum floor area of 100 sqm or 50% of the floor area of the flat, whichever is less."
27.	118	Clause (ix)	After this Clause, the following Clause shall be
		para 15.7.3	"(x) NGOs as referred to in Clause (g) of Sub-para 15.7.1, if not registered as yet, should get themselves registered within one year from the date of Notification. Activities of NGOs will be allowed to

		i	continue only from that part of the
İ			premises which was in use as on 7.2.2007
•	i		without permitting any further increase
}			subject to the condition that it is less than
	.	1	3/4th of the floor area."
!			
28.	118	Sub, Para	This sub para shall be modified to read as under:-
	'	15.8 (iv)	
-			"Professional activity in basements is
		<b>4.</b>	permissible in plotted development, subject
-			to relevant provisions of Building Bye-Laws,
	ļ	347	structural safety norms and fire safety
1			clearance. In case, the use of basement for
			professional activity leads to exceeding the
		Mar de line	permissible FAR on the plot, such FAR in
			excess shall be used subject to payment of
			appropriate charges prescribed with the
			approval of Government."
		\$196.15°	
29.	118		Ab the second of
23.	110	Ciause (ii)	At the end of this Clause, the following shall be
		under sub-	added:-
-		para 15.9	13.50
			"For mixed use for the year 2006-07 and
	į	N	2007-03, the property owner/allottee shall
			be allowed to pay one time registration
	,		charges and annual conversion charges
			without payment of any penalty under
			Clause 15.9 (v) for mixed use on or before
	,		30.6.2009."
		1 37 67 51 17 67 51	
30.	118	Clause (v)	After this clause, the following clauses shall be
1		under sub-	added:
	, .	para 15.9	
			"(vi) In respect of residential premises
		4 (1)	already under mixed use on 7.2.2007 in
			Special area, the owner/allottee/occupier of
ļ.			the picted development shall be required to
			declare such mixed use by filling up a form
İ	•		in this respect and depositing it with local
		, A	body concerned and pay one time
			registration charges and conversion charges
			without penalty on or before 30.6.2009 at
į į			the rate to be notified with the approval of
			the Government from time to time."
.L		, ii	

				This Clause shall be modified to read as under:-
31.	119		Clause (c)	INIS Ciduse strain by modified as
ا معاني اد				alonies where
•			para	"(c) In E, F & G category colonies, where
			15.12.1	60 % of the same are as shops, within a
				80% of residential plots shops, within a use, or if there are 150 shops, within a
		-		
		1		a period of three months from the date of
:		1.	·	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE
•		-	ļ	this Notification."
*.	ļ		•	
<u></u>	-\- <u></u>	-	Cub was	At the end of this sub-para, the following note
32.	119	}.	Sub-para	shall be added:-
1.3		}	15.12.2	
-	1			S tim seren since a series as a
.:		į	•	"Note 1: The local body shall carry out a
- :		1		
1		l		
		}		survey in those areas, strength to the
	-			
1 4		İ		
				7.2.2007, within a period of three months of
				7.2.2007, 991011111 6 1
				this notification."
1	ļ			
			10000	This condition shall be modified to read as under:
33	3. 12	Ο:	Condition	
			(iv) to sub-	"iv. On notification of a commercial street/
			para	"iv. On notincation of a committee areas
			15.12.3	shall be considered as local shopping shall be considered as local shopping
				shall be considered as hopter 5 of this centres as mentioned in Chapter 5 of this
			1.	
				plan. The plot owners/ areas shall have to pay commercial streets/ areas shall have to pay
				conversion charges as product of Government from time to time, in respect of
				Government from time to time,
3				
	l			the built up area winch should norms residential development control norms
				applicable to the plot. (mail applicable to the plot allottees/ owners in such facility for plot allottees/ and shall not be
:				facility for plot allottees, owners in any ha
·				facility for plot anotices, of the development
`\	ļ			commercial areas/ screens the development construed as relaxation of the development
Ì	Ì			Coultined as I claveria.
	ļ		· ·	control norms in future."
1				
}	,			This condition shall be modified to read as under:
<u> </u>	34.	120	Condition	
Ì			(vii) to	"vii. Commercial activity in basement of
	1		sub-para	"vii. Commercial activity in pascinciate
				"vii. Commercial activity in bullect to such streets shall be permitted, subject to such streets shall be permitted, by laws
ľ	!		15.12.3	such survisions of building bye laws
			•	such streets shall be permitted, bye laws relevant provisions of building bye laws
				relevant provisions of basement leads to
				exceeding the permissible FAR on the pion
- 1			i	excessing me verment

-		e 2(II) ]		भारत का राजपत्र : असाधारण
		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				such FAR in excess shall be used subject to
				payment of appropriate charges prescribed
				with the approval of Government."
	35.	122	Sub-para	This Sub-para shall be modified to read as under:
			16.2(3)	Sub para shan be indemed to read as dilder.
			1 20.2(3)	W can
				"3. Special Area building Regulations shall
	į			be framed for special area, unauthorized
				regularized colonies and village abadis.
				Owners in special area, unauthorized
				regularized colonies and village abadi shall
				resident de constitue de la co
				register themselves with the Local Body
	ļ			within the next six months. They will also
	1		<u> </u>	submit a certificate of structural safety by
	<u> </u>			qualified engineers. Owners/ occupiers of
	ļ			properties beyond 15 m height, may bring
	1	ļ	· . ·	the structure within prescribed height by
				20th Second 2000 Till and Line Height Dy
				30th June, 2009. Till such time, no punitive
				action would be taken against these
				structures beyond 15 m height. Subsequent
			,	to this date, subject to height restriction of
				15 m, all buildings covered by such
		į		registration shall be exempted from punitive
				action till Special Area Building Regulations
				for these areas are notified or maximum
. :				
į			!	three years, whichever is earlier."
•		1		
	36.	123	Clause	This Clause shall be modified to read as under:-
			2(10)	
j			under	"Conversion charges/other levies as
			Chapter 17	prescribed by the Government from time to
1			Cirapici 17	by continue by the conditions will find for
· i				time shall be payable wherever land use
:				conversion is enabled at premise level by
.				the Master Plan/Zonal Plan, Mixed Usa
				Regulation and other Regulations."
				<b>**</b>
Ţ	37.	126	Sub Clause	This sub-clause shall be modified to read as
			8(2)(vi)	under:-
. !			under	under."
				N. F
į			Chapter 17	"(v) Land use of village Abadi (Lal
ļ				Dora/firmi) located in any use zone is
	ļ			residential."

### ANNEXURE - B

Table 5.4: Development Control-Commercial Centers of (c) Hotels shall be

Table 5.4: Development Control-Commercial Centers of (c) Notes shaw a modified to read as under:					
		FAR	Height	Parking	Other controls
000,	Maximum	· PAIN	(mts.)	Standards	·
premises	Coverage		(111651)	ECS/100	
1	(%)			sqm of	
].				floor area	
	40	225#	NR*	3@	(i) Maximum 10%
(c)Hotels	40	225#	1 1 1 1 1		ground coverage
	-				shall be allowed for
1					providing atrium. In
ļ		1		1	case, the permissible
				-	additional ground
		ļ			coverage for atrium
					is utilized, 25% of
					the utilized ground
					coverage shall be
			\[\text{}	• `	counted towards
ļ. ,					FAR.
					(ii) Maximum 20% of
			,		the FAR can be used
					for the Commercial
	·				Offices, Retail &
	·		1		Service Shops
					(iii) The enhanced
ļ					FAR will be allowed
	•				subject to payment
	•				of charges to be
					prescribed/ notified
					prescribed/ notified
		· .			by the Government.

NR\*-No Restriction, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies.

FAR#- In respect of all hotels except those located in LBZ area, Civil Lines Bungalow Area and Hotels existing on heritage structures.

Bungalow Area and motels existing on hentage structures.

@- In respect of hotels where the building plans stand sanctioned prior to 27.1.2006, parking standard of 3 ECS for 100 sqm of floor area shall be applicable only for the additional FAR which will be availed consequent upon amendment to MPD 2021. In respect of hotels where the building plans have been sanctioned on or after 27.1.2006, the parking standard of 3 ECS for 100 sqm of floor area shall be applicable to the entire plot.

69/lett.

OFFICE OF THE JT. DIRECTOR (MASTER PLAN)
6th floor, VIKAS MINAR, IP ESTATE, NEW DELHI.
( Ph. No. 23370507.)

F.5(44)2007/MP/271

From:

H.S.Dhillon

Jt. Director (MP)

To

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा. Meeting Cell, D.D.A. पावती सं

The Principal Commr.-cum-Secy.

DDA, Vikas Sadan

Diary No.4

New Delhi.

दिनाँक,

Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Plg. & Engg.) Centre Regulations-2008.

Sir,

Please find enclosed a copy of the regulation namely "Unified Traffic & Transportation Infrastructure (Plg. & Engg.) Centre Regulations-2008" published by DDA through Gazette Notification dated 31st July, 2008 in exercise of the power conferred by

I am directed to draw your attention to Para-5(g) of the bye-laws which states that all transportation projects/transport Engineering Solutions in Delhi by any agency having road engineering/infrastructure implication would require clearance of the Centre.

Yours faithfully,

(H.S. Dhillon)

Jt. Director (MP)

# Ine Gazette of India

### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090 ] No. 1090] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2008/श्रावण 9, 1930

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2008/SRAVANA 9, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2008

का.आ. 1903(अ),— दिल्ली विकास अधिनयम, 1957 (1957 का 61) की भारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :— एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना

एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र विनियम, 2008
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आवागमन में वृद्धि करने,
भीड़ को कम करने और मानक परिवहन योजना पद्धतियां, क्षमता
निर्माण, प्रवर्तन उपाय, सड़क सुरक्षा निगरानी, यातायात इंजीनियरिंग
पद्धतियां लागू करके यातायात सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तथा अच्छी
लेन क्षमहा एवं कार्य जीन प्रवंध, उपयोगिताओं के समन्वय, यातायात
की समझ को विकसित करके और यातायात योजना की कमियों को
दूर करके बेहतर रागठनात्मक सगन्वय को अपनाने की दृष्टि से दिल्ली
विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए के अंतर्गत शक्तियों
का प्रयोग करते हुए एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक सरचना
(योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र स्थापित किया गया है। यातायात एवं
परिवहन केन्द्र का कार्य इन विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

ये विनियम, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू होंगे।

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ अथवा अभिप्राय से कुछ असंगत न हो :—

—''अधिनियम'' से अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है। \_\_'' प्राधिकरण'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।

—''एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग)''केन्द्र'' (यातायात एवं परिवहन केन्द्र के रूप में संदर्भित) से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए के अंतर्गत गठित समिति से है।

—''सदस्यों'' से अभिप्राय एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र के सदस्यों से होगा।

एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र हेतु उपविधि

01. नाम

केन्द्र का नाम ''एकीकृत यातायात एवं परिवहन (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र'' होगा, जिसे इसके बाद 'यातायात परिवहन केन्द्र' (टी टी सेन्टर) कहा जाएगा।

02. 'कार्यालय

'यातायात एवं परिवहन केन्द्र' (टी टी सेन्टर) का कार्यालय विकास मीनार, दि. वि. प्रा. कार्यालय, नई दिल्ली में अवस्थित होगा।

03. उद्देश्य एवं लक्ष्य

"एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र" के उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित होंगे :---

(i) यातायात एवं परिवहन की योजना एवं इंजीनियरिंग पद्धति के मानदंडों और मानकों का अध्यन एवं समन्वय करना।

2894 GI/2008

परिभाषाएँ

(1)

् विरायां प्राप्त होंगी। सदस्य सचिव बैठकों का रिकॉर्ड रखेंगे और अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे ।

- 07. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के अध्यक्ष की शक्तियां अध्यक्ष को इन विनियमों के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त समझी गई कार्रवाई करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तथापि, वे अगली बैठक में पुष्टि के अधीन होंगी।
- 08. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के उपाध्यक्ष की शक्तियां उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सहयोग में कार्य करेंगे और केन्द्र के सामान्य कार्य देखेंगे।
- 09. केन्द्र के सदस्य-सचिव की शक्तियां अस्तर्य-सचिव को कार्यों से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य

### 10. समितियों का गुठन<sup>ः</sup>

करेंगे।

(क) कार्य-समूह और कार्यकारी समिति :-

यातायात और परिवहन केन्द्र के दैनिक कार्यों के सुचारू रूप से करने के लिए एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

शागिल होंगे:—
(1) उपाध्यक्ष, दि.वि. प्रा.
(2) वित्त सदस्य, दि. वि. प्रा.
(3) अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.
(4) आयुक्त (योजना), दि. वि. प्रा.

(4) आयुक्त (योजना), दि. वि. प्रा. — सदस्य (5) अपर आयुक्त (योजना), टी टी — सदस्य (6) परियोजना प्रबंधक (फ्लाई ओवर) — सदस्य

ग्रुप-1 एवं II, दि.वि.प्रा. (7) निदेशक (टी टी), दि. वि. प्रा./ —सदस्य सचिव सलाहकार (टी टी)

कार्यकारी समिति उन शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इसे यातायात एवं परिवहन केन्द्र द्वारा प्रदान की जाएंगी।

- (ख) यातायात एवं परिवहन केन्द्र अभियंता सद्दय और आयुवत (योजना), दि.ति.प्रा. की अध्यक्षता में कार्य-समूहों का गठन कर सकता है।
- (ग) इसके अतिरिवत, यातायात एवं परिवहन केन्द्र, यदि आवश्यक समझे तो यातायात एवं परिवहन केन्द्र द्वारा, समय-समय पर आरंभ की जाने वाली विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों की निगरानी और निणादन के लिए, किसी अन्य समिति का गठन कर सकता है।

### 11. बजट, वित्त एवं लेखा

- (1) यातायात एवं परिवहन केन्द्र स्थापित करने और इसके संचालन कार्यों के लिए व्यय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए अनुदान एवं ऋण और दान आदि से पूरा किया जाएगा।
- (2) यातायात एवं परिवहन केन्द्र से संबंधित संशोधित और बजट अनुमानों को अनुमोदनार्थ, प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।
- (3) केन्द्र के लिए वित्तपोषण की विधि तथा निधि प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। यातायात एवं परिवहन केन्द्र से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतान के रिकार्ड के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाएगा।

(4) यातायात और परिवहन केन्द्र उचित लेखा और अन्य संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव करेगा और प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित रूप में तुलन-पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

### 12, लेखा परिचालन

यातायात एवं परिवहन लेखा का संचालन्, वित्त सदस्य, दि.वि. प्रा. द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

### 13, व्यय करने की शक्तियां

यातायात एवं परिवहन केन्द्र को, यातायात एवं परिवहन केन्द्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने और पूरा करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे गए व्यय संस्वीकृत करने की शक्ति होगी।

### 14. स्टाफ नियुक्त करने की शक्तियां

यातायात एवं परिवहनं केन्द्र में संपूर्ण लिपिकीय स्टाफ और लेखा स्टाफ की तैनाती, दि.वि.प्रा. के विद्यमान स्टाफ में से की जाएगी। तथापि, सलाहकारों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को अनुबंध आधार पर रखा जाएगा।

### 15. लेखा-परीक्षा

यातायात एवं परिवहन केन्द्र के लेखा परीक्षा, दि.वि. अधिनियम, 1957 के अनुसार की जाएगी।

### 16. बैठकों में उपस्थित होने हेत् मानदेय

यातायात एवं परिवहन केन्द्र की बैठक में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर यथा निर्णीत मानदेय दिया जाएगा।

### 17. विवाद

किसी भी विवाद पर, उप-राज्यपाल, दिल्ली, जो यातायात एवं परिवहन केन्द्र के अध्यक्ष हैं, का निर्णय अंतिम होगा।

### 18. कान्नी कार्यवाही

यातायात एवं परिवहन केन्द्र के विरुद्ध रा.स.क्षेत्र दिल्ली से बाहर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

### 19. दि.वि. अधिनियम, 1957 की प्रयोज्यता

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के समय-रामय पर यथासंशोधित प्रावधान लागू होंगे।

### 20. निरसन और बचाव

इन विनियमों के आरंभ होने की तिथि को और इस तिथि से यातायात एवं परिवहन केन्द्र तद्नुसार कार्य करेगा बशर्ते कि यातायात एवं परिवहन केन्द्र के लिए एवं उसके द्वारा पहले की गई कार्रवाई प्रभावित न हो।

> [फा. सं. एफ. 5 (44) 2007/एम पी] है विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

### DELIII DEVELOPMENT AUTHORITY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2008

S.O. 1903(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957

(61 of 1957) the Delhi Development Authority hereby makes the following regulations, namely :-

### UNIFIED TRAFFICAND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE (PLANNING AND ENGINEERING) CENTRE REGULATIONS, 2008

With a view to enhance mobility, reduce congestion and to promote traffic safety by adopting standard transport planning practices, capacity building, enforcement measures, road safety audits, traffic engineering practices and better organizational co-ordination for improved traffic management by efficient lane capacity and work zone management, utilities coordination, developing traffic culture and avoiding transport planning pitfalls in the National Capital Territory of Delhi, the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre is set up by Delhi Development Authority in exercise of powers under Section 5A of the Act. The business of the TT Centre will be governed by these Regulations:

These regulations shall come into force immediately from the date of their publication in the Official Gazette. DIFFINITIONS

In these Regulations unless there is anything inconsistent with the context or meaning :-

- -"Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).
- -"Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.
- "Unified" Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre" (referred as TT Centre) means the committee constituted by the Authority under Section 5A of the Act.
- —"Members" shall mean the members of the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre.

### BYE-I AWSFORTHE UNIFIED TRAFFICAND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE (PLANNING AND ENGINEERING) CENTRE

### Name 01.

The name of the Centre shall be "Unified Traffic and Transportation (Planning & Engineering) Centre" hereinafter called the "TT Centre".

### 02. Office

The office of the "IT Centre' shall be located in Vikas Minar, DDA office, New Delhi.

### 03. Aims and Objectives:

The aims and objectives of the "Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre" shall be as follows :--

- (i) To study and coordinate the norms and standars for Planning and Engineering Practices in Traffic and Transportation.
- (ii) Engineering Aspects of Implementation of National Transport Policy-2006 and Master Plan of Delhi-2021 Transportation proposals.

- (iii) Traffic Road Safety Audit Guidelines (TRSAG).
- (iv) To coordinate the Engineering and Infrastructi...) aspects of sustainable public transportation system.
- To evolve a parking policy and evolve parking solutions.
- (vi) Inventory of corridor-wise Traffic and Transportation issues, Traffic Management Strategies and Enforcement Guidelines.
- (vii) To act as a repository for sharing of traffic and transportation plans/database/information/. digitization and website development.
- (viii) Evolving Environmental Impact Assessment Guidelines for Traffic and Transportation Projects.
- (ix) Developing protocols and norms for signages, street furniture, lighting, signals, hoardings, trees, roadside landscapes, zebra crossing, pedestrian passages, commuter facilities etc.
- (x) Evaluation—Public participation—Feedback.
- (xi) To take up other related activities as may be considered appropriate by the 'T' Centre' including co-ordination, capacity building and training.

### 04. Constitution of the TT Centre

The Governing Body of the TT Centre shall comprise, the following members:

LG, Delhi	\$ .	, —Chairman
Vice-Chairman, DDA		Vice-Chairman
Engineer Member, DDA		Member
Pr. Commissioner-cum-Secy.	(TPT) GNCT	D —Member
OSD (MRTS), MOUD		Member
Commissioner (Plg.), DDA		Member
Secretary, Indian Roads Cor	igress (IRC)	—Member
President, Institute of Road	Traffic Educat	tion —Member
Chief Planner, TCPO		/ —Member
Head, Traffic & Transportat	ion '	-Member
Division, CRRI		Member
Managing Director, DIMTS		-Member
Chief Town Planner, MCD		Member
Engineer in Chief, MCD		Member
Engineer in Chief, PWD		—Member
Engineer in Chief, NDMC	•	Member
Chief Engineer, NR	• ;	
Director (Project), DMRC	*	—Member
Joint Commissioner of Police	e (Traffic)	—Member  A —Member
Additional Commissioner (Pla Director (IT) DDA/Sr. Adv	inning)TT,DD visor (TT)	Member-Secy.

Experts can be co-opted from other organizations rke SPA, III Delhi, DCE, NGOs and other such institutions.

The meeting of the Governing Body shall be normally held every three months.

Working Groups shall be constituted for day to day work and to help the Governing Body.

### 05. Functions of the TT Centre

In view of Aims and Objectives defined in clause 0.3, the TT Centre shall perform the following functions:—

- (a) To compile a manual based on hand books/best practices/Traffic transportation planning and engineering norms for uniform adoption in NCT Delhi.
- (b) To digitize the available Traffic & Transportation plans.
- (c) To develop a comprehensive integrated programme for traffic and transportation projects.
- (d) To coordinate integrated development of traffic & transportation projects including Integrated Freight Complex (IFC), Metropolitan Passenger Terminal (MPT), Inter-State Bus Terminal (ISBT) by involving concerned local bodies.
- (c) To coordinate refurbishment of urban corridors for capacity augmentation with focus on small improvements and retrofitting measures that synergize into zero defect roads and relieving traffic congestion.
- (g) All transportation projects/transport Engineering solutions in Delhi by any agency having road Engineering/Infrastructure implication would require clearance of the centre. This would ensure that latest technology and research finding support is available to all new roads and projects.
- (h) The Technical support of staff and secretarial assistance to this centre shall be provided by the Authority.

### 06. Meetings of the TT Centre

The meetings of the TT Centre shall be held as and when required. The TT Centre shall have the powers to regulate its own procedure. The Member-Secretary shall keep the records of the meetings and take the required follow up actions.

### 07. Powers of the Chairman of the TT Centre

The Chairman shall have all the powers to take necessary steps as he may deem fit within the framework of these regulations. However, they shall be subject to the confirmation in its next meeting.

### 08. Powers of the Vice Chairman of the TT Centre

The Vice Chairman shall work in coordination with the Chairman and oversee the general functions of the Centre.

2894 GI/08-2

### 09. Powers of the Member-Secretary of the Centre

The Member Secretary shall perform all the administrative duties connected with the functioning of the Centre.

### 10. Constitution of the Committees

(i) Vice Chairman, DDA

(a) Working Groups and Executive Committee:

For smooth day to day functioning of the TT Centre there shall be an Executive Committee comprising of the following:

(ii) Finance member, DDA —Member
(iii) Engineer member, DDA —Member
(iv) Commissioner (Plg.), DDA —Member
(v) Addl. Commr. (Plg.) TT —Member
(vi) Project Manager (Flyover) —Member
Gr. I & II, DDA

(vii) Director (TT) DDA/Advisor (TT)

-Member-

Chairman

The Executive Committee will exercise such powers as may be delegated to it by the TT Centre.

- (b) The TT Centre may constitute working Groups under the Chairmanship of Engineer Member and Commissioner (Plg.), DDA.
- (c) The TT Centre may, in addition, constitute any other Committee as it may consider necessary to oversee and perform functions pertaining to implementation of specific projects that may be undertaken by the TT Centre from time to time.

### 11. Budget, Finance & Accounts

- (i) The expenses for setting up of the TT Centre and its operational activities shall be met by the Delhi Development Authority, Grants and Loans given by Govt. of India, GNCTD/Local Bodies and donations etc.
- (ii) The revised and budget estimates in respect of the TT Centre shall be placed before the Authority for its approval.
- (iii) The modalities of financing and processing of funds for the centre will be prescribed by the Authority. A Separate Bank Account shall be opened to record various receipts and payments relating to the TT Centre.
- (iv) The TT Centre shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the Authority may prescribe.

### 12. Operation of Accounts

The Account of the TT Centre shall be operated by an officer so authorized by the Finance Member.

### 13. Powers to Incur Expenses

The TT Centre shall have the power to sanctior such expenses from time to time as it considers necessary for the promotion and achieving of the aims and objectives of the TT Centre.

### 14. Powers for Engagement of Staff

All Ministerial Staff and Accounts Staff will be posted in the TT Centre by redeployment of DDA's existing staff. However, advisors/experts/consultants will be on contract basis.

### 15. Audit

The Audit of Accounts of the TT Centre shall be conducted as per the DD Act, 1957.

### 16. Honorarium for Attending Meetings

The non-official members will be given an honorarium as may be decided from time to time for attending the meeting of the TT Centre.

### 17. Disputes

The decision of the Lt. Governor, Delhi who is the Chairman of the TT Centre on any dispute shall be final.

### 18. Legal Proceedings

No suit against the TT Centre shall lie in any Court outside the NCT, Delhi.

### 19. Applicability of DD Act, 1957

The provisions of the Delhi Development Authority Act, 1957 as amended from time to time will apply.

### 20. Repeal and Saving

On and from the date of commencement of these Regulations, the TT Centre shall act accordingly, provided that the actions already taken for and by the TT Centre shall not be affected.

[F. No. F.5 (44) 2007/MP] V. M. BANSAL, Pr. Comm.-cum-Secy.

### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DWARKA PLANNING OFFICE MANGLA PURI, PALAM, NEW DELHI Ph: 25036238/5096 Fax:25036216

F.11(51)2000/Plg./Dwk./God

Regarding allotment of additional land for the Distt. Court Complex in Sector-10, Dwarka.

This is regarding proposal for additional land for Lawyers Chamber & Malkhana received from Delhi High Court in Sector-10, Dwarka which was processed for the change of land use for the

वेतक कक्ष, दि वि. भी Pocket -I -

Land measuring 6172 Sqm. From the "Residential Use" (HAF Pkt.) to "Govt. Use" (Distt. Court- for construction of Lawyers Chamber & Malkhana).

(2) Pocket -II -

Land measuring 8140 Sqm. From "Commercial Use" (Cemmunity Center) to "Public-semi Public Facilities".

The change of land use of the above two pockets has been notified by the Gazette of India No.SO-1617(E) dated 3.7.08.

2. A copy of the above Gazette Notification is enclosed for further processing regarding allotment of the above mentioned additional land to the Hon'ble High Court of Delhi as per the proposal received, so that handing over of possession can be processed by the Dwarka Project Office

A copy of the Sector-10 Layout Plan and detail plan indicating the above stated two plots measuring (i) 6172 sqm. in Sector-10, Dwarka and (ii) 8140 sqm. in Sector-10, Dwarka Zone K-

Encl: As above.

Jt. Director (Plg.)Dwk

Director (Plg.)Dwk Addl. Commr.(Plg.)III Commr.(LD)

I. Jt. Registrar (General), Delhi High Court for information please.

2. CE(Dwk.) for information & with a request to direct the concerned Division for fixing the demarcation stone and clear the site please.

3. C.E., PWD, MSO Bldg., IP Estate, New Delhi for information

4. S.E(Civil), PWD, Near NHAI Bldg., Sector-IX, Dwarka, New Delhi.

Under Secy.(DD), Min. Of UD, Govt. Of India, Nirman Bhawan, New Delhi.

6. Jt. Director (MP). for information & necessary action

7. Dy. Director (P&C)/Consultant, DDA w.r.t. letter No.F.2(2)2007/HC/DDA dt. 20.7.07.

Jt. Director (Plg.)Dwk.

# The Gazette of India

EXTRAORDINARY Extraordinary भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 928 ] No. 928]

PUBLISHED BY AUTHORITY नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2008/आषाढ़ 12, 1930 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2008/ASADHA 12, 1930

शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2008 का.आ. 1617(अ).—यतः नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार 2 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1863(अ) की सार्वजिनक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के

खण्ड ।।-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे। 2. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड ।।--ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, बशर्ते कि मौजूदा अनुधिकृत कालोनी के साथ-साथ डिफेंस अपनी भूमि पर उचित सड़क मुहैया कराए ।

जोन "के-II" में (i) द्वारका सेक्टर-10 में 6172 वर्ग मी. और (ii) द्वारका सेक्टर-10 में 8140 वर्ग मी. के नि नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भ-उपयोग चित्रक्रित	सीमा
1 सेक्टर-10, द्वारका जोन "के-II"	2 (i) 6172 वर्ग मीटर (ii) 8140 वर्ग मीटर	3 'रिहायशी' (आवासीय क्षेत्र सुविधाएं)	4 "सरकारी प्रयोग" (वकीलों के चेम्बरों और मालखाने के निर्माण के	5 पूर्व : सीजीएचएस प्लाट पश्चिम : सीआर/ईएसएस और 12 मी. चौड़ी सड़क उत्तर : 30 मी. चौड़ी सड़क दक्षिण : जिला न्यायालय, द्वारका पूर्व : सामुदायिक केन्द्र भूमि एवं 30 मी. चौड़ी सड़क
			,	पश्चिम : प्लाटेड विकास उत्तर : प्लाटेड विकास दक्षिण : चौड़ी सड़क [सं. के-13011/6/2007-डी.डी.आई.की]

पो. के. सांतरा, अवर सचिव

2522 GI/2008

(1)

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELIII DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2008

S.O. 1617 (E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1863 (E) dated 2nd November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

- 2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India subject to the condition that proper road would be provided by Modification:


The land use of the following areas measuring (i) 6172 sqm. in Sector-10, Dwarka and (ii) 8140 sqm. in Sector-10, Dwarka, in Zone 'K-II' are changed as per description listed below:—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries	
1	2	3	4	5	
Sector-10, Dwarka, Zone-'K-II'	(i) 6172 sqm. (ii) 8140 sqm.	'Residential' (Housing Area l'acilities)  'Commercial' (Community Centre)	'Government use' (District Court, Dwarka for Construction of Lawyers Chambers and Malkhana) 'Public and Semi- Public Facilities'	East : CGHS plots  West : CR/ESS and 12 m wide road  North : 30 m wide road  South : District Court, Dwarka  East : Community Centre land and 30 m wide roa	1
-		. 4	•	West : Plotted development North : Plotted development South : Wide road	

[No. K-13011/6/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



,जारही संन् हीन एलन-33004/99

REGD. NO. D. 1.-33004/99

# The Gazette of India

असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) PARTII—Section 3-—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜ਼ੱ. 1090 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, जुलाई 31, 2008/श्रावण 9, 1930

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2008/SRAVANA 9, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिसूचना

वर्द दिस्ती, ३१ जुलाई, २००८

मत, भा, 190.५( अ ).— दिल्ली मिकास अधिनियम, 1957 (1957 का (त) की भाग 57 हास प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राप्तिकरण एतदहास निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :— एकीकृत यानायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना

एलं इंजीनियरिंग) केन्द्र तिनियम, 2008

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आवागमन में वृद्धि करने, भीद को कप करने और मानक परिवहन योजना पद्धतियां, क्षमता निर्माण, प्रवर्तन उपाय, राङ्क सुरक्षा निगरानी, यातायात इंजीनियरिंग भहतियां साम् मान्से यातायात सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तथा अच्छी लेन क्षमना एवं कार्य जोन प्रयंग, उपयोगिताओं के समन्वय, यातायात की समझ को विकस्तित करके और यातायात योजना की कमियों को दूर करके बेहतर संगठनात्मक समन्वय को अपनाने की दृष्टि से दिल्ली विकास ग्राधिकरण द्वारा अधिनियम की भारा 5 ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र स्थापित किया गया है। यातायात एवं परिवतन कोन्द्र का कार्य इन विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

ये विभियम, रारकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की विधि से तत्काल लागू होंगे।

परिभाषाएँ

2894 GH2008

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ अथवा अभिप्राय से कुछ

— ''अभिनियम'' से अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है।

\_\_''प्राधिकरण'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।

—''एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) "केन्द्र" (यातायात एवं परिवहन केन्द्र : के रूप में सद्भित) से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए के अंतर्गत गठित समिति से है।

\_''सदस्यों'' से अभिप्राय एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र के सदस्यों सं होगा।

एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना ्र एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र हेतु उपविधि

01. नाम

केन्द्र का नाम "एकीकृत यातायात एवं परिवहन (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र'' होगा, जिसे इसके बाद 'यातायात परिवहन केन्द्र' (टी टी सेन्टर) कहा जाएगा।

'यातायात एवं परिवहन केन्द्र' (टी टी सेन्टर) का कार्यालय विकास मीनार, दि. वि. प्रा. कार्यालय, नई दिल्ली में अवस्थित होगा।

03. उद्देश्य एवं लक्ष्य

''एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र'' के उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित होंगे :---

(i) यातायात एवं परिवहन की योजना एवं इंजीनियरिंग पद्धति के मानदंडों और मानकों का अध्यन एवं समन्वय करना।

[ भाग H - अग्यह 3(ii).]

भारत का राजपत्र : असाधारण

नित्तयां प्राप्त होगी। सदस्य सचिव बैठकों का रिकॉर्ड रखेंगे और अभेक्ति अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

07. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के अध्यक्ष की शक्तियां अस्यक्ष को इन विनियमों के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त समझी गई कार्याई करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तथापि, वे अगली बैठक में पुष्टि के अभीन होंगी।

08. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के उपाध्यक्ष की शक्तियां उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सहयोग में कार्य करेंगे और केन्द्र के सामान्य कार्य देखेंगे।

09. केन्द्र के सदस्य-सचिव की शक्तियां

सदरग-राचिव केन्द्र के कार्यों से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य करेंगे।

10. समितियों का गठन

(क) कार्य-समृह और कार्यकारी समिति :- :

यातायात और परिवहन केन्द्र के दैनिक कार्यों के सुचारू रूप से करने के लिए एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(1) उपाध्यक्ष, दि.वि. प्रा.	. —अध्यक्ष
(२) वित्त सदस्य, दि. वि. प्रा.	—सदस्य
(3) अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रां.	—सदस्य
(4) आयुक्त (योजना), दि. वि. प्रा.	—सदस्य
(5) अपर आयुक्त (योजना), टी टी	—सदस्य
(६) परियोजना प्रतिथक (फ्लाई ओवर)	—सदस्य
गण-१ गर्ले भ हि विभा	•

(७) निदेशक (टी टी), दि. वि. प्रा./ मलाहकार (टी टी)

कार्यकारी समिति उन सवितायों का प्रयोग करेगी जो इसे गातायात एवं परिवाहन कोन्द्र द्वारा प्रदान की जाएगी।

- (ग्य) यातायात एवं पिय्यहत केन्द्र अधियता सदस्य और आयुक्त (गोजना), दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में कार्य-समूहों का गठन कर
- (ग) इसके अतिरिक्त, यातायात एवं परिवहन केन्द्र, यदि आवश्यक मण्डो तो यातायात एवं परिवहन केन्द्र द्वारा समय-समय पर आगंग की जाने याती विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य की निगमनी और निष्यादन के लिए, किसी अन्य समिति का मन्त्र कर शकता है।

ा।. वजट, वित्त एवं लेखा

- (1) यातायात एवं परिवहन केन्द्र स्थापित करने और इसके प्रांचालन कार्यों के लिए व्यय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार, स.स.धे.दिल्ली सरकार/स्थानीय निकारों द्वारा दिए गए अनुदान एवं अण और दान आदि से पूरा किया जाएगा ।
- (2) यातायात एवं परियहन केन्द्र से संबंधित संशोधित और बजर अनुमानों को अनुमोदनार्थ, प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।
- (3) केन्द्र के लिए वित्तपोषण की विधि तथा निधि प्रक्रिया प्राधिवरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। यातायात एवं परिवहन केन्द्र से संबंधित विधिन्न प्राप्तियों एवं भुगतान के रिकार्ड के लिए पृथक बैंक खाता कोला जाएगा।

(4) यातायात और परिवहन केन्द्र उचित लेखा और अन्य संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव करेगा और प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित रूप में तुलन-पन्न सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

12. लेखा परिचालन

यातायात एवं परिवहन लेखा का संचालन, वित्त सदस्य, दि.वि. प्रा. द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएंगा।

13. व्यय करने की शक्तियां

यातायात एवं परिवहन केन्द्र को, यातायात एवं परिवहने केन्द्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने और पूरा करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे गए व्यय संस्वीकृत करने की शक्ति होगी।

14. स्टाफ नियुक्त करने की शक्तियां

यातायात एवं परिवहन केन्द्र में संपूर्ण लिपिकीय स्टाफ और लेखा स्टाफ की तैनाती, दि.वि.प्रा. के विद्यमान स्टाफ में से की जाएगी। तथापि, सलाहकारों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को अनुबंध आधार पर रखा जाएगा।

15. लेखा-परीक्षा

यातायात एवं परिवहन केन्द्र के लेखा परीक्षा, दि.वि. अधिनयम, 1957 के अनुसार की जाएगी।

16. बैठकों में उपस्थित होने हेतु मानदेय

यातायात एवं परिवहन केन्द्र की बैठक में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समग्र पर यथा निर्णीत मानदेय दिया जाएगा।

17. विवाद

किसी भी विवाद पर, उप-राज्यपाल, दिल्ली, जो यातायात एवं परिवहन केन्द्र के अध्यक्ष हैं, का निर्णय अंतिम होगा।

18. कानूनी कार्यवाही

यातायात एवं परिवहन केन्द्र के विरुद्ध रा.स.क्षेत्र दिल्ली से बाहर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

19. दि.वि. अधिनियम, 1957 की प्रयोज्यता

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधान लागू होंगे।

20. निरसन और बचाव

इन विनियमों के आरंभ होने की तिथि को और इस तिथि से यातायात एवं परिवहन केन्द्र तद्नुसार कार्य करेगा बशर्ते कि यातायात एवं परिवहन केन्द्र के लिए एवं उसके द्वारा पहले की गई कार्रवाई प्रभावित न हो।

[फा. सं. एफ. 5 (44) 2007/एम पी] विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

### DELIH DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2008

S.O. 1903(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957

(61 of 1957) the Delhi Development Authority hereby makes the following regulations, namely:-

### UNIFIED TRAFFIC AND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE (PLANNING AND ENGINEERING) CENTRE REGULATIONS, 2008

With a view to enhance mobility, reduce congestion and to promote traffic safety by adopting standard transport planning practices, capacity building, enforcement measures, road safety audits, traffic engineering practices and better organizational co-ordination for improved traffic management by efficient lane capacity and work zone management, utilities coordination, developing traffic culture and avoiding transport planning pitfalls in the National Capital Territory of Delhi, the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre is set up by Delhi Development Authority in exercise of powers under Section 5A of the Act. The business of the TT Centre will be governed by these Regulations :--

These regulations shall come into force immediately from the date of their publication in the Official Gazette.

DEFINITIONS In these Regulations unless there is anything inconsistent with the context or meaning :--

- -- "Act" means the Delhi Development Act, 1957
- (61 of 1957). "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.
- -"Unified" Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre" (referred as 'TT Centre) means the committee constituted by the Authority under Section 5A of the Act.
- "Members" shall mean the members of the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre.

### BYF-LAWSFORTHE UNIFIED TRAIFFICAND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE (PLANNING AND ENGINEERING) CENTRE

The name of the Centre shall be "Unified Traffic and Transportation (Planning & Engineering) Centre" hereinalter called the "TT Centre".

### 02. Office

The office of the "TT Centre" shall be located in Vikas Minar, DDA office, New Delhi.

### 03. Aims and Objectives

The aims and objectives of the "Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre" shall be as follows:-

- (i) To study and coordinate the norms and standars for Planning and Engineering Practices in Traffic and Transportation.
- (ii) Engineering Aspects of Implementation of National Transport Policy-2006 and Master Plan of Delhi-2021 Transportation proposals.

- (iii) Traffic Road Safety Audit Guidelines (TRSAG).
- (iv) To coordinate the Engineering and Infrastructui aspects of sustainable public transportation system.
- (v) To evolve a parking policy and evolve parking solutions.
- (vi) Inventory of corridor-wise Traffic and Transportation issues, Traffic Management Strategies and Enforcement Guidelines.
- (vii) To act as a repository for sharing of traffic and transportation plans/database/information/. digitization and website development.
- Evolving Environmental Impact Assessment Guidelines for Traffic and Transportation Projects.
- (ix) Developing protocols and norms for signages, street furniture, lighting, signals, hoardings, trees, roadside landscapes, zebra crossing, pedestrian passages, commuter facilities etc.
- Evaluation—Public participation—Feedback.
- (xi) To take up other related activities as may be considered appropriate by the 'T'l' Centre' including co-ordination, capacity building and training.

## 04. Constitution of the TT Centre

The Governing Body of the TT Centre shall comprise, the following members:

	(lie tour &	_	Chairman
	LG, Delhi	Vic	c-Chairman
	Vice-Chairman, DDA		Member
	Engineer Member, DDA Pr. Commissioner-cum-Secy. (TPT) GNCT	D	Member
	OSD (MRTS), MOUD Commissioner (Pig.), DDA Sceretary, Indian Roads Congress (IRC) President, Institute of Road Traffic Education Chief Planner, TCPO Head, Traffic & Transportation	1	Member Member Member Member Member Member
•	Division, CRRI Managing Director, DIMTS Chief Town Planner, MCD Engineer in Chief, MCD Engineer in Chief, PWD Engineer in Chief, PWD Engineer in Chief, NDMC Chief Engineer, NR Director (Project), DMRC Joint Commissioner of Police (Traffic) Additional Commissioner (Planning) TT, D Director (TT) DDA/Sr. Advisor (TT)	DA 1	—Member —Member —Member —Member —Member —Member —Member —Member

[ भाग ]] — खण्ड 3(ii) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Experts can be co-opted from other organizations nke SPA, HT Delhi, DCE, NGOs and other such institutions.

The meeting of the Governing Body shall be normally . held every three months.

Working Groups shall be constituted for day to day work and to help the Governing Body.

# 05. Functions of the TT Centre

In view of Aims and Objectives defined in clause 0.3, the TT Centre shall perform the following functions:-

- (a) To compile a manual based on hand books/best practices/Traffic transportation planning and engineering norms for uniform adoption in NCT
- (b) To digitize the available Traffic & Transportation
- (c) To develop a comprehensive integrated programme for traffic and transportation projects.
- (d) To coordinate integrated development of traffic & transportation projects including Integrated Freight Complex (IFC), Metropolitan Passenger Terminal (MPT), Inter-State Bus Terminal (ISBT) by involving concerned local bodies.
- To coordinate refurbishment of urban corridors for capacity augmentation with focus on small improvements and retrofitting measures that synergize into zero defect roads and relieving traffic congestion.
- (g) All transportation projects/transport Engineering solutions in Delhi by any agency having road Engineering/Infrastructure implication would require clearance of the centre. This would ensure that latest technology and research finding support is available to all new roads and projects.
- (h) The Technical support of staff and secretarial assistance to this centre shall be provided by the Authority.

# 06. Meetings of the TT Centre

The meetings of the TT Centre shall be held as and when required. The TF Centre shall have the powers to regulate its own procedure. The Member-Secretary shall keep the records of the meetings and take the required follow up actions.

# 07. Powers of the Chairman of the TT Centre

The Chairman shall have all the powers to take necessary steps as he may deem fit within the framework of these regulations. However, they shall be subject to the confirmation in its next meeting.

# 08. Powers of the Vice Chairman of the TT Centre

The Vice Chairman shall work in coordination with the Chairman and oversee the general functions of the

2894 GI/08-2

# 09. Powers of the Member-Secretary of the Centre

The Member Secretary shall perform all the administrative duties connected with the functioning of the Centre.

# 10. Constitution of the Committees

(a) Working Groups and Executive Committee:

For smooth day to day functioning of the TT Centre there shall be an Executive Committee comprising of the following:

lowing.	—Chairman		
Vice Chairman, DDA		• .	Member

- (ii) Finance member, DDA -Member
- (iii) Engineer member, DDA \_\_Member
- (iv) Commissioner (Plg.), DDA ---Member
- (v) Addl. Commr. (Pig.) TT \_Member

(vi) Project Manager (Flyover) Gr. 1 & 11, DDA

-Member-(vii) Director (TT) DDA/Advisor (TT) Secretary

The Executive Committee will exercise such powers as may be delegated to it by the TT Centre.

- (b) The TT Centre may constitute working Groups under the Chairmanship of Engineer Member and Commissioner (Plg.), DDA.
- (c) The TT Centre may, in addition, constitute any other Committee as it may consider necessary to oversee and perform functions pertaining to implementation of specific projects that may be undertaken by the TT Centre from time to time.

# 11. Budget, Finance & Accounts

- (i) The expenses for setting up of the TT Centre and its operational activities shall be met by the Delhi Development Authority, Grants and Loans given by Govt. of India, GNCTD/Local Bodies and donations etc.
- (ii) The revised and budget estimates in respect of the TT Centre shall be placed before the Authority for its approyal.
- (iii) The modalities of financing and processing of funds for the centre will be prescribed by the Authority. A Separate Bank Account shall be opened to record various receipts and payments relating to the TT Centre.
- (iv) The TT Centre shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the Authority may prescribe.

# 12. Operation of Accounts

The Account of the TT Centre shall be operated by an officer so authorized by the Finance Member.

# THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)]

# 13. Powers to Incur Expenses

The TT Centre shall have the power to sanction such expenses from time to time as it considers necessary for the promotion and achieving of the aims and objectives of the Tr Centre.

# 14. Powers for Engagement of Staff

All Ministerial Staff and Accounts Staff will be posted in the TT Centre by redeployment of DDA's existing staff. However, advisors/experts/consultants will be on contract basis.

# 45. Audit

The Audit of Accounts of the TT Centre shall be conducted as per the DD Act, 1957.

# 16. Honorarium for Attending Meetings

The non-official members will be given an honorarium as may be decided from time to time for attending the meeting of the TT Centre.

The decision of the Lt. Governor, Delhi who is the 17. Disputes Chairman of the TT Centre on any dispute shall be final.

# 18. Legal Proceedings

No suit against the TT Centre shall lie in any Court outside the NCT, Delhi.

# 19. Applicability of DD Act, 1957

The provisions of the Delhi Development Authority Act, 1957 as amended from time to time will apply.

# 20. Repeal and Saving

On and from the date of commencement of these Regulations, the TT Centre shall act accordingly, provided that the actions already taken for and by the TT Centre shall not be affected.

[F. No. F.5 (44) 2007/MP] V. M. BANSAL, Pr. Comm.-cum-Secy. No. K-20013/15/2004- DDIB Government of India Ministry of Urban Development Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi Dated the 3<sup>rd</sup> September, 2008

Com(RK,) Design

Publication of Notification in the Gazette of India Extraordinary— Change of land use of Plot measuring 2.58 acres allotted to Ministry of Culture at 24, Tilak Marg (Sikandra Road), New Delhi from Public and Semi Public to Government Office.

819 (m)

A copy of Notification No.1442(E) dated 27<sup>th</sup> August, 2008 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K.Santra) Under Secretary Tel.No.23061681

7 - 6

ਪੰ. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi

2. Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi

3. Commissioner (MCD), Town Hall, Delhi

4. Principal Secretary(UD), Govt. of National Capital Territory of Delhi, I.P.Estate, Delhi.

5. Director General, Archeological Survey of India, Ministry of Culture, Janpath, New Delhi.

Copy to: - NIC, M/o UD to put the above Notification on the website of this Ministry immediately.

distrib DDREC 88

Copy to Acest Brook (MedayCell) for Second please.

AD medayCell)

MIN AD (ALC) रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. 1.-33004/99

# He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₹i. 1222] No. 1222]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2008/भाद्र 5, 1930 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2008/BHADRA 5, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2008

का.आ. 2113(अ)—यतः नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में नीचे दिए गए क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार या जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 13 जून, 2008 की सं. का.आ. 1442(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीता आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 का संशोधित करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र रारकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, बशर्त कि मौजूत अनिधकृत कालोनी के साथ-साथ डिफेंस अपनी भूमि पर उचित सड़क मुहैया कराए।
  संशोधन:

जोन ''डी'' में 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली में 2.58 एकड़ (1.04 हैक्टेयर) के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :-

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा			
1	2	3	4	5			
जोन-डी में 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली	2.58 एकड़ (1.04 हैक्टेयर)	''सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सुविधाएं"	''सरकारी कार्यालय''	पूर्व-तिलक मार्ग पश्चिम-प्लाट सं. ७ उत्तर-सिकन्दरा रोड			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	· -	दक्षिण-कला महाविद्यालय			

[सं. के-20013/15/2004-डी डी आई बी] पी. के. सांतरा, अवर सचिव

3219 GI/2008

# MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

# NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2008

S.O. 2113(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1442(E) dated 13th June, 2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhl-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

The land use of the following area measuring 2.58 acre (1.04 ha.) at 24, Tilak Marg, New Delhi falling in Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Arca	Land use (MPD-2021)	Land Usc changed to	Boundaries
	2	3	4	5
1 Tilak Marg, New Delhi in Zone-D	2.58 acre (1.04 ha.)	'Public and Semi Public Facilities'	'Government Office'	East—Tilak Marg West—Plot No. 7 North—Sikandra Road South—College of Arts
	!			[No. K-20013/15/2004-DDIB]

# (TO BE PUBLISHED IN PART -IV EXTRAORDINARY OF THE DELHI GAZETTE)

नेतक कक्ष, दि.वि.प्रा. Meeting Cell, D.D.A पावती सं Diary No. दिनॉक Date.

Government of National Capital Territory of Delhi Department of Law Justice & Legislative Affairs, 8<sup>th</sup> Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-2.

No. F.9/01/08/AR/ 9864 - 9978/C

Dated: 03/11/08

## **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with Section 5 of the Delhi Lokayukta and Upalokayukta Act 1995 (Delhi Act of 1996) and with the prior approval of the President of India, I, Tejendra Khanna, Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoint Shri Justice Manmohan Sarin, retired Chief Justice of the High Court of Jammu & Kashmir as Lokayukta for the National Capital Territory of Delhi.

Shri Justice Manmohan Sarin shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.

(Tejendra Khanna)

Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi.

No. F.9/01/08/AR/ 9864 -9978/C

Dated: 03/11/08

## Copy forwarded to :-

Pr. Secretaries/Secretaries/Special Secretaries/Joint Secretaries/Dy.Secretaries/Under Secretaries, Govt. of NCT of Delhi. All Heads of Departments;, Government of NCT of Delhi, Delhi/New

All Heads of Local Bodies/Autonomous Bodies/ Undertakings and other institutions owned or substantially financed by the Government of NCT of Delhi.

Pr. Secretary to the Lt. Governor/Pr.Secretary to Chief Minister/Secretary to Ministers.

OSD to Chief Secretary, Delhi Secretariat, 5th Level, A-Wing, New Delhi. 5.

Joint Secretary (Coordination) Govt.of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, 6. New Delhi for publication in Delhi Gazette.

Shri Justice Manmohan Sarin, Lokayukta, 15 Akbar Road, N.Delhi. 7.

20118

( G.P.Mittal ) Pr.Secretary (Law Justice & L.A.)

No. K-20013/4/2008- DDIB Government of India Ministry of Urban Development Delhi Division

Nirman Bhawan, New Delhi Dated the 23<sup>rd</sup> December, 2008.

Mooting Cell, D.P.

The Media Officer, DAVPEPTI Building, Parliament Street, New Delhi.

Mary Indian

Subject:

Request for publishing Government Public Notice.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Government Notice for publication in the English national daily Times of India" and in Hindi Daily "Navbharat Times" immediately.

Yours faithfully,

Encl: As above

(P.K.Santra) Under Secretary Telefax: 23061681

Copý to:-

The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023.

The Commissioner Municipal Corporation of Delhi, Town Hall,

Delhi-110006. The Chairman, New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, New Delh 110001

The Principal Secretary (UD), Govti of NCT of Delhi, I.P. Estate, New Delhi?

Secretary to Lt. Governor, Raj Nivas, Delhi.

Director (TP), Sum and JJ Deptt Wikas Bhawan Annexe, IP Estate, New Delhi 110002.

The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi 2.

CMD, DSIDC, Govt, of NCT of Delhi, N. Block, Connaught 8. Place, New Delhi

> (P.K.Santra) Under Secretary

TEN 410 270 8 B

# Ministry of Urban Development (Delhi Division)

#### **PUBLIC NOTICE**

New Delhi, Dated the 23<sup>rd</sup> December, 2008

-The following amendments/ modifications which the Central Government propose to make in the Building Bye-laws, 1983 for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion may send the same in writing to the Under Secretary, Delhi Division, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address.

### **Modification:**

Modify Clause 17.1 as under:-

"17.1 Buildings, shall be planned, designed and constructed to ensure fire safety and this shall be done in accordance with part IV Fire Protection of National Building Code of India. In the case of buildings (identified in Bye-laws No.6.2.4.1), the building schemes shall also be cleared by the Chief Fire Officer, Delhi Fire Service."

[No.K-20013/4/2008-DDIB]

(P.K.Santra)

Under Secretary to the Govt. of India

थहरी विकास मंत्रालय (विल्ली प्रशाम) \*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008

# सार्वजनिक सूचना

दिल्ली के लिए भवन उप नियम, 1983 में केन्द्र सरकार का निम्नलिखत जिन संभोधनों / उपांतरणों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किशी व्यक्ति को कोई आपित या सुसाव हों, तो उन्हें इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर लिखित रूप में अवर राचिव, दिल्ली प्रभाम, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकता है। आपित अथवा सुझाव भेजने वाला व्यक्ति अपना नाम और

उपात्रण

खण्ड १७.१ में निम्नलिखित उपांतरण :-

"17.1 भवनों की योजना, हिजाइन और निर्माण इस प्रकार होगा जिससे अग्नि सुरक्षा सुनिधिचत हो और यह भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता की अग्नि सुरक्षा भागनार के अनुसार किया जाएगा। ऐसे भवनों (भवन उप नियम सं० 6.284.1 में अभिज्ञांत) के मामले में भवन योजना मुख्य अग्निसमन अधिकारी, दिल्ली फायर सर्विस द्वारा भी स्वीकृत की जाएगी "

(रांको - 20013/4/2008-ही ही । बी)

पी के सात्रा (पी0 के सांत्रा)

अवर राचिव, भारत रारकार

Government of India Ministry of Urban Development (Delhi Division) New Delhi, dated the January 5, 2009

in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri Ashok Kumar, IAS (AGMU:74) as Vice-Chairman of the Delhi Development Authority in the rank and pay of Secretary to the Govt. of India by in-situ elevation, with effect from 17th October, 2008 until further orders.

(N.T. Joseph) Under Secretary (DD 1A) Tel: 23061478

[No.K-11011/1/2008-DDIA]

Τo

The Manager, Govt. of India Press, Faridabad (Haryana)

#### Copy forwarded to:

The Secretary to the Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi:

Establishment Officer & Addl. Secy., Deptt. of Personnel & Training, New Delhi w.r.t. their communication No. 29/2/2008-EO(SMI) cated 6:11:2008.

PM Office (Kind attention: Shri T.K.A. Nair, Principal Secretary to PM), New

Shri Ashok Kumar, Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi. 5.

Finance Member, DDA.

Engineer Member, DDA. Principal Commissioner, DDA

Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA.

Commissioner (Personnel), DDA 10.

Secretary (Land & Building), GNCTD, Vikas Bhawan, New Delhi 11.

Member-Secretary, N.C.R. Planning Board, New Delhi. Chairman, Delhi Urban Art Commission, New Delhi. Commissioner, M.C.D. Town Hall, Delhi. :12.

13. 14.

Chairperson, NDMC, New Delhi. DS (Vig.), Ministry of UD

15. 16.

L'& D.O., Nirman Bhavan, New Delhi. 17.

Chief Planner, TCPO, IR Estate, New Delhi. 18.

PS to UDM/Sr. PPS to Secretary (UD)/PS to AS (UD) & PSs to all Joint Secretaries in the Ministry.

(N.T. Joseph) Under Secretary (DD 1A)

(To be published in Part I, Section 2 of the Gazette of India)

No. K-11011/14/2007-DDIA Government of India Ministry of Urban Development (Delhi Division).

> Nirman Bhawan, New Delhi-110 108 Dated January 7, 2009

# NOTIFICATION

The President is pleased to appoint Shri Deepak Trivedi, IAS (UP:85) as Principal Commissioner in the Delhi Development Authority at the level of Joint Secretary in the pay scale of Rs. 18400-22400 (pre-revised) for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

(N.T. Joseph) Under Secretary (DD 1A) Tel: 23061478

The Manager, Govt. of India Press, (with Hindi version) FARIDABAD (Haryana)

# Copy forwarded to:

- 1. The Secretary to the Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
- 2. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
- 3. Department of Personnel & Training (Shri A.K. Singhal, Director) w.r.t O.M. No. 26/12/2008-EO (SM.I) dated 23.12.2008.
- 4. Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
- Shri Deepak Trivedi, IAS (UP:85) through Chief Secretary, Govt. of Uttar
- 6. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
  - 7. Commissioner (Personnel), DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Copy also forwarded for information to:-

PS to UDM / Sr. PPS to Secretary (UD) / PS to SS (UD) / PS to JS(DL)/PS to JS &FA/PS to JS(UD).

(N.T. Joseph) etary (DD 1A)

# No. K-13011/6/2008- DDIB Government of India Ministry of Urban Development Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi Dated the 16<sup>th</sup> January, 2008

Subject:

Extraordinary Gazette Notification - No.S.O.141(E) dated 14.1.2008 regarding Change of land use of an area

measuring 2.052 acres at Vasant Vihar.

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

> (P.K. Santra) **Under Secretary** Telefax.: 23061681

Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi 12

Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi

Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi 3. with reference to letter No.F20(9)2008/MP 12.1.2009.

Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi 4.

Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi 5.

Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi. 6.

Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi. 7.

L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi with reference to L&DO 8. Note No.L-II(B)-1(1786)08 dated 2.9.2008.

Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi. 9.

Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi. 10.

Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, 11. Lodhi Road, New Delhi.

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display of the above Notification on the website of the Ministry Course

वैठक कक्षा, दि.वि.प्रा. Meeting Cell, D.D.A. Diany No...19 दिनाँक Date 20.1.09

# HRAGENT VISIUS The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2009/पौष 24, 1930

No. 87]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2009/PAUSA 24, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2009

का.आ. 141(अ).—यत: नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 17 सितम्बर, 2008 का सं. का.आ. 2217(अ) तथा दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के शुद्धि-पत्र सं. का.आ. 2448(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नीटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है। संशोधन:

जोन-एफ में वसंत विहार के 2.052 एकड़ भू-क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :--

स्थान		क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू–उपयोग परिवर्तित		सीमा
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)
जोन-एफ में वसंत विहार		2.052 एकड्	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	पूर्व : पश्चिम :	8 मी. चौड़ी सड़क, मार्केट और सरकारी भूमि 12 मी. सड़क, मिजोरम गेस्ट हाऊस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
	l				उत्तर : दक्षिण :	सरकार का स्कूल सरकारी भूमि 12 मी. चौड़ी सड़क

[ सं. के.-13011/6/2008-डी डी आई बी]

190 GJ/2009

(1)

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

No. K-20013/18/2006- DDVA/IB Government of India Ministry of Urban Development Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi Dated the 16<sup>th</sup> January, 2008

Subject:

Extraordinary Gazette Notification - No.S.O.43(E) dated 6.1.2008 regarding Change of land use of site measuring 3923 sqm. from 'Recreational' (District Park) to 'PSP Facilities' (Burial Ground) at Badarpur..

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

**Under Secretary** 

Telefax.: 23061681 Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New

Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi with 3. reference to letter No.F.20(13)2005/MP dated 31.7.2008.

Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi 4.

Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi 5.

Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi. 6.

Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi. 7.

L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi. 8.

Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.

Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi. 10.

Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi.

वैठक कक्ष, दि.वि.प्रा. Meeting Cell, D.D.A. पावती सं Diary No.... दिनाँक २० . १ . २०

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display of the above Notification on the website of the Ministry. is to all chilms ().



# EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] No. 36] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2009/पौष 16, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2009/PAUSA 16, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6'जनवरी, 2009

का.आ. 43(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 जनवरी, 2008 की सं. का.आ. 218(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में दो आपित्तयां/सुझाव प्राप्त हुए थे। यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत: अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। संशोधन

जोन "एफ" में बदरपुर स्थित 3923 वर्गमीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू–उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित

किया जाता है :				सीमाएं
स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपोडी-2021)	परिवर्तित. भू-उपयोग	\(\(\tau_{-1}\)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) जोन-"एफ" में बदरपुर क्षेत्र	3923 वर्ग मीटर	मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)	सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक सुविधाएं (कब्रिस्तान)	उत्तर पश्चिम—डिस्ट्रिक्ट पार्क उत्तर पूर्व—डिस्ट्रिक्ट पार्क दक्षिण पश्चिम—रेलवे लाइ दक्षिण पूर्व—वर्तमान सडक

[ सं. के. 20013/18/2006-डी डी वी ए/आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

# (To be published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary)

No. K-11011/21/2004-DDIA Government of Iridia Ministry of Urban Development (Delhi Division)

> Nirman Bhawan, New Delhi, Dated the February 25, 2009

#### **Notification**

Pursuant to their election by the Legislative Assembly of G. S. O. No. the Central Government in the National Capital Territory of Delhi, accordance with the provisions of sub-section (1), read with clause (f) of subsection (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), hereby nominates S/Shri Subhash Chopra. Naseeb Singh and Dr. Harsh Vardhan, MLAs as Members of the Delhi Development Authority with immediate effect.

(N.T. Joseph) Under Secretary (DD IA)

To र्रेटक कथा, दि.वि.मा. Meeting Cell, D.D.A. सावरी पं Diary No.,

The Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi.

Copy forwarded for information to

1. The Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.

The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi-23

3. Shri Subhash Chopra, MLA, A-12, Hauz Khas, New Delhi. 91,71,54. Shri Naseeb Singh, MLA, 91, Village Gazipur, Delhi -110096.

5. Dr. Harsh Vardhan, MLA, E-8A/14, Krishna Nagar, Delhi-110051.

6. Principal Commissioner-cum- Secretary, DDA, New Delhi - 23

7. Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

8. Secretary, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-110054

9. Engineer Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi-23

10. Finance Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi-23

11. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi. 12. Chief Planner, TCPO, Vikas Bhawan, New Delhi-2

<del>Oos</del>T

(N.T. Joseph) Under Secretary (DD 1A)

Copy also forwarded to PS to UDM/PS to MOS (UD)/Sr. PPS to Secretary (UD)/PS to Joint Secretary (DL)/PS to Director (DD).

Dar N.T. Joseph) Under Secretary (DD 1A)/

# HRA En USIUSIUS The Gazette of India

**EXTRAORDINARY** 

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2009/फाल्गुन 7, 1930

No. 359]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2009/PHALGUNA 7, 1930

#### शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

#### शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2009

का.आ. 559(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 24 जून, 2008 की अधिसूचना सं का.आ. 1542(अ) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त अधिसूचना के शीर्षक 'संशोधन' के नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ 4 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

## "भू-उपयोग परिवर्तित

- (i) आंतरिक रोड सरकुलेशन सहित सार्वजनिक 6.20 हैक्टेयर और अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (लिवर और बाइलिएरी विज्ञान संस्थान)
- (ii) मनोरंजन (स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स) 0.30 हैक्टेयर"

[सं. के-13011/24/2005-डीडी I बी]

पी. के. सान्तरा, अवर सचिव

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

# CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th February, 2009

S.O. 559(E).— Attention is invited to Notification No. S.O. 1542 (E) dated 24th June, 2008 in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of Gazette of India, Extraordinary. In the said Notification, Column 4 in the table under heading 'Modification', shall be corrected to read as under:—

#### "Land use changed to

- (i) Public and Semi-Public Facilities (Institute 6.20 ha of Liver & Biliary Sciences) including internal road circulation
- (ii) Recreational (Sports Complex)

0.30 ha"

[No. K-13011/24/2005-DDIB]
P. K. SANTRA, Under Secy.

766 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

# **Out Today**

No. K-13011/24/2005- DDIB Government of India Ministry of Urban Development Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi Dated the 27<sup>th</sup> February,2009

Extraordinary Gazette Notification - for publication of Notification dated 26.2.2009 regarding corrigendum in

S.O.No.1542(E) dated 24<sup>th</sup> June, 2008.

A copy of Notification No.559 (E) dated 26th February, 2009 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(Sep. Copies)

Subject:

(P.K.Santra) Under Secretary Tel.No.23061681

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा. Meeting Cell, D.D.A. खयती सं

Ding: No.....

Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi 2. Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi 3. Commissioner (MCD), Town Hall, Delhi

4. Principal Secretary (UD), Govt. of National Capital Territory of Delhi, I.P.Estate, Delhi.

Copy to:- NIC, M/o UD to put the above Notification on the website of this Ministry immediately.

No. K-20013/10/2007- DDIB Government of India Ministry of Urban Development Delhi Division

> Nirman Bhavan, New Delhi Dated the 27<sup>th</sup> February,2009

Subject: - Extraordinary Gazette Notification - for publication of Notification dated 26.2.2009 regarding Modification of MPD-2021 in respect of Development Control Norms of Hotels.

A copy of Notification No.558(E) dated 26<sup>th</sup> February, 2009 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा. Meeting Cell, D.D.A.

(P.K.Santra) **Under Secretary** Tel.No.23061681

खायरा ले Diary No.

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi

2. Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi

3. Commissioner (MCD), Town Hall, Delhi

4. Principal Secretary (UD), Govt. of National Capital Territory of Delhi, I.P.Estate, Delhi.

Copy to:- NIC, M/o UD to put the above Notification on the website of this Ministry immediately.

# HRA AN UNIVA The Gazette of India

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] No. 358]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2009/फाल्गुन 7, 1930

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2009/PHALGUNA 7, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2009

का.आ. 558(अ).—यतः, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 21 जनवरी, 2009 की सं. का.आ. 225(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यत:, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

#### संशोधन :

दिनांक 12 अगस्त, 2008 की सं. का.आ. 2034(अ) के तहत शामिल सारणी 5.4 के नीचे दिए गए नोट # को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए :——

765 GI/2009

"# 225 एफएआर और 40 प्रतिशत भू-कवरेज का मानदण्ड लुटियंस बंगला जोन क्षेत्र, सिविल लाइन्स बंगला क्षेत्र और विरासत संरचनाओं में अवस्थित विद्यमान होटलों को छोड़कर (क) व्यावसायिक केन्द्रों (iv), (v), और (ख) मैट्रोपोलिटन नगर केन्द्र/केन्द्रीय व्यापार जिले में स्थित होटल प्लॉट सिहत सभी होटलों के संबंध में लागू होगा। यह पैरा 5.8 में उल्लिखित सभी श्रेणियों के होटलों पर लागू होगा। तालिका 5.4(क) और (ख) में भी उल्लिखित व्यावसायिक केन्द्रों के लिए एफएआर उस सीमा तक, केवल इस उद्देश्य हेतु, यदि उपलब्ध नहीं है, स्वत: ही बढ़ा हुआ समझा जाएगा।"

[सं के-20013/10/2007-डी डी I बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

# NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2009

S.O. 558(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 225(E) dated 21st January, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

(1)

No. K-20013/10/2007- DDIB Government of India Ministry of Urban Development Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi Dated the 27<sup>th</sup> February,2009

Subject:- Extraordinary Gazette Notification - for publication of Notification dated 26.2.2009 regarding Modification of MPD-2021 in respect of Development Control Norms of Hotels.

A copy of Notification No.558(E) dated 26th February, 2009 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra) **Under Secretary** Tel.No.23061681

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा. Meeting Cell, D.D.A.

सायरी मं Diary No ....

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi

2. Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi

3. Commissioner (MCD), Town Hall, Delhi

4. Principal Secretary (UD), Govt. of National Capital Territory of Delhi, I.P.Estate, Delhi.

Copy to:- NIC, M/o UD to put the above Notification on the website of this Ministry immediately.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India:

#### Modification:

The Note # below Table 5.4 incorporated vide S.O. 2034(E) dated the 12th August, 2008 shall be modified to read as under:

"# The norms of 225 FAR and 40% ground coverage shall be applicable in respect of all hotels

including hotel plots in (a) Commercial Centres (iv), (v), and (b) Metropolitan City Centre/Centra. Business District except those located in LBZ area, Civil Lines Bungalow Area and hotels existing on heritage structures. This shall apply to all categories of hotels mentioned at para 5.8. The FAR for Commercial Centres mentioned at Table 5.4(a) and (b) also shall stand enhanced automatically to that extent, for this purpose only if not available."

[No. K-20013/10/2007-DDIB]
P.K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

No. K-12016/2/2006-DDIB Government of India Ministry of Urban' Development Delhi Division IB

> Nirman Bhawan, New Delhi, Dated the 25th March, 2009

Subject:

The National Capital Territory of Delhi Laws (special

provision) Act, 2009

A copy of above Act published in the Gazette of India Extraordinary on 16<sup>th</sup> March, 2009 is enclosed herewith.

बैठक कक्ष, वि.वि.श्रा-

**Under Secretary** Tel.No.23061681

Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi

Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi

Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi

Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.

L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.

Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.

Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi. 127 Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi ad, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)/ Director (DD).

NIC, M/o UD to put the above Notification on the website of this Ministry immediately.

P.C., PC(CWS) &



असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग ॥-- खण्ड ।

PART II - Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 27] No. 27] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2009 /फाल्गुन 25, 1930 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2009 / PHALGUNA 25, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

रत नाग न गमन पृथ्व संख्या दो जाता है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

# MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 16th March, 2009/Phalguna 25, 1930 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 16th March, 2009, and is hereby published for general information:—

# THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2009

No. 24 of 2009

[16th March, 2009.]

An Act to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st day of December, 2009 and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas there had been phenomenal increase in the population of the National Capital Territory of Delhi owing to migration and other factors resulting in tremendous pressure on land and infrastructure leading to encroachment or unauthorised developments which are not in consonance with the concept of planned development as provided in the Master Plan of Delhi, 2001 and the relevant Acts and building bye-laws made thereunder:

AND WHEREAS the Master Plan of Delhi, 2001 was extensively modified and notified by the Central Government on the 7th day of February, 2007 with the perspective for the year 2021 keeping in view the emerging new dimensions in urban development vis-a-vis the social, financial and other ground realities;

AND WHEREAS the Master Plan of Delhi with the perspective for the year 2021 specifically provides for strategies for housing for urban poor as well as to deal with the informal sector:

And whereas a strategy and a scheme has been prepared by the local authorities in the National Capital Territory of Delhi for regulation of urban street vendors in accordance with the National Policy for Urban Street Vendors and the Master Plan for Delhi, 2021;

And whereas based on the policy finalised by the Central Government regarding regularisation of unauthorised colonies, village *abadi* area and its extension, the guidelines and regulations for this purpose have been issued;

AND WHEREAS more time is required for orderly implementation of scheme regarding hawkers and urban street vendors and for regularisation of unauthorised colonies, village abadi area and its extension;

And whereas the revised policy and orderly arrangements for relocation and rehabilitation of slum dwellers and *Jhuggi-Jhompri* clusters in the National Capital Territory of Delhi is under consideration of the Government:

And whereas policy regarding existing farm houses involving construction beyond permissible building limits, schools, dispensaries, religious institutions and cultural institutions and storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land is under consideration of the Central Government;

And whereas the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 was enacted on the 5th day of December, 2007 to make special provisions for the areas of National Capital Territory of Delhi for a period up to the 31st day of December, 2008 and has ceased to operate after the 31st day of December, 2008;

43 of 2007.

AND WHEREAS it is expedient to have a law in terms of the Master Plan of Delhi, 2021, in continuation of the said Act for a period up to the 31st day of December, 2009 to provide temporary relief and to minimise avoidable hardships and irreparable loss to the people of the National Capital Territory of Delhi against any action by the concerned agency in respect of persons covered by the policies referred to above.

BE it enacted by Parliament in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent, commencement and duration.

- 1. (1) This Act may be called the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2009.
  - (2) It extends to the National Capital Territory of Delhi.
  - (3) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2009.
- (4) It shall cease to have effect on the 31st day of December, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such cesser, and upon such cesser section 6 of the General Clauses Act, 1897, shall apply as if this Act had then been repealed by a Central Act.

Definitions.

- 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—
- (a) "building bye-laws" means bye-laws made under section 481 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 or the bye-laws made under section 188, sub-section (3) of section 189 and sub-section (1) of section 190 of the Punjab Municipal Act, 1911, as in force in New Delhi or the regulations made under sub-section (1) of section 57 of the Delhi Development Act, 1957, relating to buildings,
- (b) "Delhi" means the entire area of the National Capital Territory of Delhi except the Delhi Cantonment as defined in clause (11) of section 2 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957:

10 of 1897.

66 of 1957.
Punjab Act, 3
of 1911.
61 of 1957

66 of 1957.

(c) "encroachment" means unauthorised occupation of Government land or public land by way of putting temporary, semi-permanent or permanent structure for residential use or commercial use or any other use;

66 of 1957. 44 of 1994. 61 of 1957. (d) "local authority" means the Delhi Municipal Corporation established under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, or the New Delhi Municipal Council established under the New Delhi Municipal Council Act, 1994 c. the Delhi Development Authority established under the Delhi Development Act, 1957, legally entitled to exercise control in respect of the areas under their respective jurisdiction;

61 of 1957.

(e) "Master Plan" means the Master Plan for Delhi with the perspective for the year 2021, notified vide notification number S.O.141(E), dated the 7th February, 2007, under the Delhi Development Act, 1957;

(f) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(g) "punitive action" means action taken by a local authority under the relevant law against unauthorised development and shall include demolition, sealing of premises and displacement of persons or their business establishment from their existing location, whether in pursuance of court orders or otherwise.

(h) "relevant law" means in case of-

61 of 1957.

(i) the Delhi Development Authority, the Delhi Development Act, 1957;

(ii) the Municipal Corporation of Delhi, the Delhi Municipal Corporation Act, 1957; and

66 of 1957.

(iii) the New Delhi Municipal Council, the New Delhi Municipal Council

. 44 of 1994.

Act, 1994;

(i) "unauthorised development" means use of land or use of building or

(i) "unauthorised development" means use of land or use of building or construction of building or development of colonies carried out in contravention of the sanctioned plans or without obtaining the sanction of plans, or in contravention of the land use as permitted under the Master Plan or Zonal Plan or layout plan, as the case may be, and includes any encroachment.

61 of 1957. 66 of 1957. 44 of 1994. (2) Words and expressions used but not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and the New Delhi Municipal Council Act, 1994.

3. (1) Notwithstanding anything contained in any relevant law or any rules, regulations or bye-laws made thereunder, the Central Government shall before the expiry of this Act, take all possible measures to finalise norms, policy guidelines, feasible strategies and make orderly arrangements to deal with the problem of encroachment or unauthorised development in the form of encroachment by slum dwellers and Jhuggi-Jhompri clusters, hawkers and urban street vendors, unauthorised colonies, village abadi area (including urban villages) and its extension, existing farm houses involving construction beyond permissible building limits and schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions, storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land, as mentioned below:

(a) policy for relocation and rehabilitation of slum dwellers and *Jhuggi-Jhompri* clusters in accordance with the provisions of the Master Plan of Delhi, 2021 to ensure development of Delhi in a sustainable, planned and humane manner;

Enforcement to be kept in abeyance.

- (b) scheme and orderly arrangements for regulation of urban street vendors in consonance with the national policy for urban street vendors and hawkers as provided in the Master Plan of Delhi, 2021;
- (c) orderly arrangements pursuant to guidelines and regulations for regularisation of unauthorised colonies, village abadi area (including urban villages) and its extension, as existed on the 31st day of March, 2002, and where construction took place even beyond that date and up to the 8th day of February, 2007;
- (d) policy regarding existing farm houses involving construction beyond permissible building limits; and
- (e) policy regarding schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions, storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land.
- (2) Subject to the provisions contained in sub-section (1) and notwithstanding any judgment, decree or order of any court, status quo—
  - (i) as on the 1st day of January, 2006, in respect of encroachment or unauthorised development; and
  - (ii) in respect of unauthorised colonies, village abadi area (including urban villages) and its extension, which existed on the 31st day of March, 2002 and where construction took place even beyond that date and up to the 8th day of February, 2007, mentioned in sub-section (1),

#### shall be maintained.

- (3) All notices issued by any local authority for initiating action against encroachment or unauthorised development referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been suspended and no punitive action shall be taken till the 31st day of December, 2009.
- (4) Notwithstanding any other provision contained in this Act, the Central Government may, at any time before the 31st day of December, 2009, withdraw the exemption by notification in respect of encroachment or unauthorised development mentioned in sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be.

Provisions of this Act not to apply in certain cases.

- 4. During the period of operation of this Act, no relief shall be available under the provisions of section 3 in respect of the following encroachment or unauthorised development, namely:—
  - (a) encroachment on public land except in those cases which are covered under clauses (a),(b) and (c) of sub-section (1) of section 3;
  - (b) removal of slums and Jhuggi-Jhompri dwellers, hawkers and urban street vendors, unauthorised colonies or part thereof, village abadi area (including urban villages) and its extension in accordance with the relevant policies approved by the Central Government for clearance of land required for specific public projects.

Power of Central Government to give directions. 5. The Central Government may, from time to time, issue such directions to the local authorities as it may deem fit, for giving effect to the provisions of this Act and it shall be the duty of the local authorities, to comply with such directions.

6. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, all things done, or, omitted to be done, and all action taken, or, not taken, during the period beginning on or after the 1st day of January, 2009 and ending immediately before the date of commencement done, etc., of this Act, shall, in so far as they are in conformity with the provisions of this Act, be during 1st deemed to have been done, or, omitted to be done, or, taken, or, not taken, under these January. 2009 provisions as if such provisions were in force at the time such things were done or omitted to be done and action taken or not taken during the aforesaid period.

Validation of up to he date of commencement of this Act.

T.K. VISWANATHAN, Secy. to the Govt. of India.

No.K-12011/2/2005-DDIB Government of India Ministry of Urban Development Delhi Division IB

New Delhi, dated the 18<sup>th</sup> March, 2008

To,

The Vice Chairman, . DDA, Vikas Sadan, INA New Delhi

वैटक कक्ष, दि.वि.प्रा.

Subject: Draft Amendment to EIA Notification, 2006 vide S.O. 195(E) dated 19.1.2009.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of O.M.No.A-46020/30/2009-Coord. Ministry of alongwith enclosures received from Environment & Forests. It is requested that comments of DDA in this matter may please be provided urgently.

559B Grestale Greer to Str vergent Connecte The 19/3/09

Yours faithfully,

(P.T.Jameskutty) **Under Secretary** Tel.No. 23016681

**Most Immediate** 



F.No. A-46020/30/2009-Coord Government of India Ministry of Urban Development

318/018(00) -03/3/07

New Delhi, the 27th February, 2008

# OFFICE MEMORANDUM

Subject:

Draft Amendment to EIA Notification, 2006 vide S.O. 195(E) dated 19.1.2009.

The undersigned is directed to forward a copy of letter No.J-11013/56/2004-IA.II(I), dated 05-02-2009 alongwith enclosure on the subject mentioned above. Ministry of Environment & Forests have asked for comments of this Ministry on the proposed Draft Amendment.

It is requested that requisite comments/ suggestions in the matter may please be furnished to Coordination section by 16<sup>th</sup> March, 2009 positively for onward transmission to Ministry of Environment & Forests.

'This may please be accorded 'Top Priority'.

(J.P. Agrawal)

Director (Coord/PG)

Encl: As above

1. OSD(MRTS) (DD)

2. All Directors/DSs in the Secretariat.

3. All Attached & Subordinate offices

TB 2/3

DDT DOWN

orword 181

B - 10

No. J-11013/56/2004-IA.II(I) **Government of India Ministry of Environment & Forests** Paryavaran Bhavan, C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delni-110003. Tele: 2436 0478

R. on 18 ( 467 The Secretary Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, Nirman Bhawan,

То

Sub: Draft Amendment to EIA Notification, 2006 vide S.O. 195(E) dated 19.1.2009.

Sir/Madam,

19-2-09

PST IS (UP)

New Delhi-110 011.

Please find enclosed herewith two copies of the Draft Amendment to EIA Notification, 2006 issued vide Notification S.O. 195(E) dated 19.1.2009 inviting comments / suggestions from all concerned on the proposed amendments contained therein. The undersigned has been directed to request that the comments /. suggestions of your Ministry / Department on these proposed amendments may be sent at the earliest so as to reach this Ministry within the stipulated time frame.

Yours faithfully,

Encl.: Two copies of the Notification

(S.K. Aggarwal) Director

Dated the 5<sup>th</sup> February, 2009

end-ED-405664250/-A

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067] No. 1067]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23. 1928 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

का.आ. 1533(अ). -- कंद्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से गृटित किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिस्यना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की घारा 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिलिखित नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में नई परियोजनाओं या क्रियांकलापों पर या इसं अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपवर्णित उनके सक्षम पर्यावरणीय समाधातों पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्वधन और प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के लपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसू तना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, ण्वंड 3, उपखंड (ii) में, काठरण संठ 1324(अ), तारीख 15 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं. साठ दिन की अवधि के भीतर आशेष और सुझाव आमंत्रित किए गए थे .

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं : और ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय संरकार ने राम्यक् रूप से विचार कर लिया है।

2900 GF2006

• {:

- (2) सदस्य-सचिव संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का संवारत अधिकारी होगा जो पर्यावरण विधियों से परिवित होगा ।
- (3) अन्य दो सदस्य या तो वृतिक या विशेषज्ञ होग जो इस अधिसूचनां के दिशिष्ट VI में दी गई पात्रता कसौटी को पूरा करते हों ।
- (4) उत्पर उपपैरा (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में सं एक सदस्य जो प्रधायरण तमाद्यात निर्धारण प्रक्रिया में विशेषज्ञ हो, एसईआईएए का अध्यक्ष होगा ।
- (5) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपदेः, (3) से उपपेरा (4) में निर्दिष्ट सत्तरयो और अध्यक्ष के नामों को केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी और केन्द्रीय प्रस्कार नामों के प्राप्ति को सारीख से तीस दिन के मीतर इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए एसईआईएए को एक प्रधिकरण के रूप में गठित करेगी।
- (6) गैर पदधारी सदस्य और अध्यक्ष की (प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा गाँउस करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से) तीन वर्षों की नियत पदावधि होगी ।
- एसईआईएए के सभी विनिश्चय एकमत से लेंगे और किसी बैउक में लिए जाएंगे ।
- परियोजना और क्रियाकलापों का प्रवर्गीकरण :--
  - (i) . सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप मुख्यतः दे ग्रांगों में प्रवर्गीकृत हैं- प्रवर्ग कि और प्रवर्ग खें सक्षम समाघात की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित समाधाने पर आधारित हैं!
  - (ii) अनुसूची में प्रवर्ग 'क' के रूप में सम्मिलित सभी परिधोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार आए आधुनिकीकरण तथा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सम्मिलित है, के लिए, इस अधिरावना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार हारा गठित की जाने वाली किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति की शिपगरिशों पर भारत सरकार में एग्डीयहा आंक वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित होगी:
  - (iii) अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकरायों, जिसके अंतमत पैरा 2 के उपपैस (ii) में यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकरायों का विस्तार और आधुनिकीकरण या पैस 2 के उपपैस (iii) में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद निष्मण में पास्तान में ने किन्तु जिसमें वे सम्मिलित नहीं हैं जो अनुसूची में निष्मित की गई साधारण शर्तों को पूर्व करा हैं. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाधात निर्धाल्य आधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनाविन अपेक्षित होगी, । एसईआईएए का अपना विनिष्मित्र इस उस अधिस्तान में मादेन की जाने वांति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र रतर विशेषध्र आंक्रिन सिम्बित (एसईएसी) को विकासिक्षों पर आधारित होगा । एसईआईएए सम्यक रूप से गोटन एउई प्रकास समादेत हो। वि अनुपरिदाल में कोई प्रवर्ग खे परियोजना प्रवर्ग को परिवाल समादेत हो। वि अनुपरिदाल

- 5. स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन समिति :- केंद्रीय सरकार के स्तर पर वही विशेषज्ञ आंकलन समिति ... अंप वज्य या संघ राज्य स्तर पर राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईएसी और एसईएसी किह वर्ष के कमशा प्रकार के आंप प्रवार खे परियोजनाओं या क्रियाकलायों की रक्षीनिंग, विस्तारण और आंकलन कश्मा इस्ती और एसइएश की उनके मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।
  - ५) ईएकी की संस्थना पशिष्ठिष्ट VI में दी जाएगी। राज्य या संच राज्यक्षेत्र स्तर पर एसईएसी का गटन संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से समान संरचना सहित गठन किया जाएगा।
  - (ग) कंद्रीय रएकार, तबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशानान की पूर्व सहमति से प्रशासनिक मुविधा और लागत के कारंगों से एक या अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक एसईएसी हा गटन कर सकंगी
  - (r) विशेषज्ञ आकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी ।
  - (च) रखंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति के प्राधिकृत सदस्य उस परियोजना पा कि पाकलाम के संबंध में जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगी गई है, को रजीन अने या विस्तार करने या आंकलन के अयोजनों के लिए आवेदक को जो निरीक्षण के विश् आवश्य में मां भारी देगा, कम से कम सात दिन की पूर्व सुचना देंगे।
  - (उ) विशेषक प्रांत्मलन समिति और राज्य विशेषक आंकलन समिति संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर कृत्य करेगी । अध्यक्ष प्रत्येक नामले में सहमित बनाने का प्रयास करेगा और सहमित नहीं बन पाली है तो वहमत्त का विचार माना जाएगा ।
  - 6. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन (ईसी) :- सभी मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए जोई अध्यवन परयोजना और/या कियाकलापों के लिए, जिससे आवेदन संबंधित है, आवेदक द्वारा स्थल पर किसी सिन्निमांण कियाकलाण या भूमि का तैयारी के प्रारंभ के पूर्व, पूर्वेक्षित स्थल (स्थलों) की पहचान के पश्चात् परिशिष्ट 2 वित गण है, यदि लागू हों, इससे संलग्न प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क में किया जाएगा । आवेदक, उसके सियाय का नाम परियाकनाओं या वित्याकलाणों (अनुसूची की गण 3) के मामले ने अरूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क के अति राव पूर्व साध्यक्ष परियोजना विपोर्ट की एक प्रति, पूर्व साध्यता रिपोर्ट के स्थान पर धारणा योजना की एक प्रति आवेशन के साथ देश केरेगा ।
  - र. (i) तई परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापति (ईसी) प्रक्रिया के प्रक्रम :- नई परियोजनाओं के लिए अग्राप्तरमीय अनापति प्रक्रिया में अग्रिक्तम सार प्रक्रम समाविष्ट होंगे. जिनमें से सभी इस अधिसूचना में नीचे प्रक्रमपर्याणीत ोशिष्ट मामजों से अग्रु नहीं इंगे नय चार प्रक्रम श्रृंखलाबद्ध क्रम में होंगे :--

- 7)
- प्रक्रम (1) स्क्रीनिंग (केवल प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए)
- प्रक्रम (2) विस्तारण
- प्रक्रम (3) लोक परामर्श
- प्रक्रम (4) आंकलन

#### I. प्रक्रम (1) - स्क्रीनिंग:

प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, यह प्रक्रम परियोजना की प्रकृति और अवस्थिति विनिर्देश पर आधारित पर्यावरणीय अनापित मंजूर करने से पूर्व उसके आंकलन के लिए कोई पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह अवधारण करने के लिए कि परियोजना या क्रियाकलाप के लिए आगे पर्यावरणीय अध्ययन करना अपेक्षित है या नहीं संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) द्वारा प्ररूप 1 में पूर्व पर्यावरणीय अनापित मांगने के लिए किसी आवेदन की संवीक्षा होगी । कोई पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं को प्रवर्ग "खां" कहा जाएगा और शेष परियोजनाओं को प्रवर्ग "खां" कहा जाएगा और शेष परियोजनाओं को प्रवर्ग "खां" कहा जाएगा और उसके लिए कोई पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी । मद 8ख के सिवाय परियोजनाओं के खां 1 या ख2 में प्रवर्गीकरण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा।

#### II. प्रक्रम (2) विस्तारण:

(i) उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में विशेषज्ञ आंकलन समिति, और प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार और/या आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के विस्तार, सीपे जाने वाले विस्तृत और व्याण्क कार्य अवधारित करने के लिए, उस पण्यिजना या क्रियाकलाप के संबंध में कोई पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए, सभी सुसंगत पर्यावरणीय समुख्यानों को, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापति ईप्तित की गई है, आवेदन सम्मिलित हैं। विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति विहित आवेदन प्ररूप 1/प्ररूप 1क में दी गई जानकारी के आधार पर सौंपे जाने वाले कार्य अवधारित करेगी, जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा सौंपे जाने वाले प्ररूपापित कार्य, किसी निशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी सब ग्रुप द्वारा देखा गया कोई स्थल, यदि विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुज्ञाए गए सौंपे जाने वाले कार्य और अन्य सूचना जो विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के फप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और फियाकलापों (संनिर्माण, नगरी/वाणिज्यिक काम्प्तैक्स/आवासन) के लिए विस्तार अपेक्षित नहीं होगा और उनका आंकलन प्रूप 1/प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर किया जाएगा

- (ii) सींपे गए कृत्यों को प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के मीतर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवेदक को प्रेषित किया जाएगा । अनुसूची के प्रवर्ग क हाइड्रोक्लेक्ट्रिक परियोजना मद 1 (ग) (i) के मामले में सौंपे गए कृत्यों को पूर्व सिनमांण कियाकलापों के लिए अनापित सिहत प्रेषित किया जाएगा । यदि सौंपे गए कृत्यों को अंतिम, रूप नहीं दिया गया है और प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के मीतर आवेदक को प्रेषित किया जाता है तो आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कृत्य ईआईए अध्ययन के लिए अनुमोदित अंतिम सौंपे गए कृत्यों के रूप में समझे जाएंगे । अनुमोदित सौंपे गए कृत्य, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे ।
- (iii) इसी प्रक्रम पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिकारिश पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदनों को नामंजूर किया जा सकेगा । ऐसे नामंजूर किए जाने की दशा में, विनिश्चय को उसके कारणों सहित आवेदक को, आवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के मीतर लिखित में संसूचित किया जाएगा ।

#### III प्रक्रम (3) लोक परामर्श

- (i) 'लोक परामर्श'' उसं प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा स्थानीय प्रमावी व्यक्तियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की चिंताओं को, जिनका परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघातों में न्यायसंगत आधार है, समुचित रूप में अभिकल्पित परियोजना या क्रियाकलाप में संबंधित सभी सामग्री को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा । सभी प्रवर्ग " क" और प्रवर्ग "ख1" परियोजनाएं या क्रियाकलाप निम्नलिखित के सिवाय लोक प्रमार्श करेंगे :-
- (क) सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण (अनुसूची की मद 1(ग) (ii))।
- (ख) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों के भीतर अवस्थित सभी परियोजनाए या क्रियाकलाप (अनुसूची की मद 7(ग)) और जिन्हें ऐसे अनुमोदन में अननुज्ञात नहीं किया जाता है ।
- (ग) सङ्कों और राजमार्गों का विस्तार (अनुसूची की मद ७(च))जिनमें भूमि का कोई और अर्जन अंतर्वलित नहीं है ।
- (ध) सभी भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और नगरीय योजनाएं (मद 8)।
- (ङ) सभी प्रवर्ग ख 2 परियोजनाएं और क्रियाकलाए ।
- (व) कंन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अक्धारित राष्ट्रीय रक्षा और मुख्धा से संबंधित सभी परियोजनाएं और क्रियाकलाप या जिसमें अन्य युक्तगत विचार अंतर्वलित हैं ।
- (ii) लोक परामर्श में साधारणतया दो घटक समाविष्ट होंगे :-
- (क) स्थानीय प्रभावित व्यक्तिया की विताओं को सुनिश्चित करने के लिए परिशिष्ट 4 में विहित रीति में की जाने याली स्थल पर या उसके निकट परिसर में ज़िला बार कोई लोक सुनवाई ;
- (ख) परियोजना या क्रियाकलाप के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित शामायां से लिखिल में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना ।

- (iii) स्थल (स्थलों) पर या उसके निकट परिसर में सभी मामलों में लोक सुनवाई विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारां की जाएगी और कार्यवाहियों को आवेदक से प्राप्त अनुरोध के पैतालीस दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा ।
- (iv) यदि संबंधित राज्यं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई नहीं करती है और लोक सनुवाई को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं करती है और/या लोक सुनवाई की कार्यवाहियां को विहित अविध के भीतर यथाउपर्युक्त संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रेषित नहीं करती है तो विनियामक प्राधिकरण अन्य लोक अभिकरण या प्राधिकरण को, जो विनियामक प्राधिकरण का अधीनस्थ नहीं है, प्रक्रिया को पैतालीस दिनों की और अवधि के भीतर पूरा करने के लिए लगाएगी ।
- (v) यदि ऊपर उपपैरा (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट लोक अभिकरण या प्राधिकरण, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को यह रिपोर्ट करता है, कि स्थानीय अवस्थिति के कारण लोक सुनवाई करना संभव नहीं है, तो किसी रीति में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किए जाने वाले संबंधित स्थानीय व्यक्तियों के विचारों का समर्थन करेंगे । वह उस तथ्य की रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण को ब्यौरेवार देगा जो रिपोर्ट पर और अन्य विश्वसनीय सूचना पर सम्यक रूप से विचार करने के परवात, जिसका लोक परामर्श के लिए विनिश्चय किया गया है, उस दशा में जिसे लोक सुनवाई में सम्मिलित करने की आवश्यकता है, रिपोर्ट करेगा।
- (vi) परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रक्रिया अभिप्राप्त करने के लिए, संबंधित विनियागक प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बार्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवेदक द्वारा परिशिष्ट उक में दिए गए प्ररूप में तैयार की गई संक्षिप्त ईआईए रिपोर्ट को उनके वेबसाइट पर देते हुए ऐसे संबंधित व्यक्तियों से लोक सुनवाई की व्यवस्था के लिए किसी लिखित अनुरोध की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रतिक्रियाएं प्राप्त करेंगी । गोपनीय सूचना, जिसके अंतर्गत प्रकट न करने योग्य या विधिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त सूचना, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार अंतर्वलित हैं, आवेदन में विनिर्दिष्ट स्रोत, वेबसाइट पर नहीं रखे जाएंगे । संबंधित विनियामक प्राधिकरण, परियोजना या क्रियाकलाप की बाबत विस्तृत प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य समुचित मीडिया का उपयोग भी कर सकेगा । विनियामक प्राधिकरण, तथापि लोक सुनंवाई की तारीख तक निरीक्षण के लिए प्रारूप ईआईए रिपोर्ट किसी संबंधित व्यक्ति से, सानान्य कार्यालय घंटों के दौरान अधिसूचित स्थान पर किसी लिखित अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा । इस लोक परामर्श प्राक्रिया के भाग के रूप में प्राप्त सभी प्रतिक्रियाएं शीघ्रतम उपलब्ध साधन से आवेदक को अग्रेषित की जाएंगी।
- (vii) लोक परामर्श पूरा करने के पश्चात्. इस प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्त सभी सारवान पर्यावरणीय विंताओं को संबोधित करेगा और प्रारूप ईआइए और ईएमपी में समुचित परिवर्तन करेगा । इस प्रकार तैयार की गई अंतिम ई आई ए रिपोर्ट आवेदक के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी । आवेदक, लोक परामर्श के दौरान अभिव्यक्त की गई सभी विंताओं को संबोधित करते हुए, प्रारूप ईआईए और ईएमपी की एक संक्षिप्त रिपोर्ट अंनुकल्पतः प्रस्तुत करेगा । IV प्रकम(4) - आंकलन :

(i) आंकलन से आवेदन और अन्य दस्तावेजों, ऐसे अंतिम ईआईए रिपोर्ट, लोक परामशों का निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई की कार्यवाहियां हैं. पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को

आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विस्तृत संवीक्षा अभिग्रेत है। यह आंकलन विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा किसी कार्यवाही को जिसमें आवेदक को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है, एक पारदर्शी रीति में किया जाएगा । इस कार्यवाही के निष्कर्ष पर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित निबंधनों और शर्ती पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए या पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन को नामंजूर करने के लिए उसके कारणों सहित स्पष्ट सिफारिशें करेंगी ।

- (ii) सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन जो लोक परामर्श के लिए अपेक्षित नहीं है या कोई पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है. जैसा लागू हो विहित आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 1क के आधार पर उपलब्ध सभी अन्य सुसंगत विधिमान्य सूचना और दौरा किए स्थल को, जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है, कार्यान्वित किया जाएगा ।
- (iii) किसी आंवेदन का ओकलम, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य रतर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा अंतिम पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति या प्ररूप 1 या प्ररूप 1क के साठ दिनों के भीतर प्रा किया जाएगा, जहां लोक प्रशाम आवश्यक नहीं है, वहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन रामिति की सिफारिशों को सक्ष्म प्राधिकारों के समक्ष अगले पन्द्रह दिनों के भीतर अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाएगा । आंकलन की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट V में दी गई है।
  - 7. (ii) विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापति प्रक्रिया.

उस क्षमता के परे जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापति मंजूर की गई है. उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या तो पट्टा क्षेत्र या खनन परियोजनाओं की दशा में उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या इस अधिसूचना की अनुसूची में विहित अंतिम सीमा के परे कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित विद्यमान यूनिट के आधुनिकीकरण के लिए, प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के माध्यम से या उत्पाद मिश्रण में किसी परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापति ईप्सित करने वाले सभी आवेदन प्रस्त्य 1 में किए जाएंगे और उन पर संबंधित के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापति ईप्सित करने वाले सभी आवेदन प्रस्त्य 1 में किए जाएंगे और उन पर संबंधित किया आंकलन सामिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा साठ दिनों के भीतर विचार किया जाएगा, जो सम्यक् आवश्यक तत्परता से जिसके अंतर्गत ईआईए का तैयार किया जाना और लोक परामर्श भी है, विनिश्चय करेगी और आवेदन का तदनुसार पर्यावरणीय अनापति मंजूर करने के लिए आंकलन किया जाएगा।

# 8. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर किया जाना या उसको खारिज किया जाना,-

(i) विनियामक प्राधिकरण, संबंधित ई ए सी या एस ई ए सी की सिफारिशो पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय को आवेदक को विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के पैतालीस दिनों के भीतर प्रेषित करेगा या अन्य शब्दों में अंतिम पर्यारणीय समाधार निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ एक सौ पांच दिनों के भीतर प्रेषित करेगा और जहां पर्यावरणीय समाधात निर्धारण पूर आवेदन की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर प्रेषित करेगा और जहां पर्यावरणीय समाधात निर्धारण पूर आवेदन की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर अपेक्षित नहीं है वहां अपेक्षित दस्तावेज, नीचे उपविधित के सिवाय प्रेषित करेगा।

# अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखे) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

·		70		ं भारतिकारासि का सूचा
क्र सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग		शते, यदि कोई ही
		क	ख	<del></del>
1	खनन,	प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्	्रात उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन	्र स्थाता के किए)
1	1.	2 3	4	5
1 (क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का ≥50 है0	< 50 हैक्टेयर	साधारण ृशर्त लागू
ľ		किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए	. ≥ 5 हैक्टेयर खनन पट्टा	
	İ	बिना ऐस्बेस्टज खनन	क्षेत्र	टिप्पण
				ख़िनज पदार्थों के पूर्वेक्षण
			•	(जिसमें ड्रिलिंग न हो) को
				छूट दी गई हे बर्शत कि
				वास्तिवक सर्वेक्षण के लिए
				छूट वालं क्षेत्रों को पूर्व
				अनुमति ली गई है।
1 (ख)	अपतट और तटवर्ती			टिप्पण सार
	तेल तथा गंस की	सभी परियोजनाएं		खोज सर्वेक्षण (जिसमें
	खोज, विकास और	•		ड़िलिंग न हो) को छूट दी
	उत्पादन.			गई है बर्शत कि वास्तिवक
	ļ	"	,	सर्वेक्षण के लिए छूट वाले
	,		, ,	क्षेत्रों की पूर्व अनुमित ली
	<u> </u>		· · · .	गई है।
- <del>(-)</del>		1		
1 (ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥50 मे0वा0 जल विद्युत	(i) <50 ≥ 25 में0वाउ	सधारण शर्त लागू होगी
		उत्पादन -	जल विद्युत उत्पादन	
i		ं (ii)≥10,000 है0खेती योग्य प्रभावित	(ii) <10,000 है0 खेती	:
		क्षेत्र	योग्य प्रभावित क्षेत्र	į.
1(ঘ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(कोयला लिग्नाइट और नेप्था गैस	(कोयला/लिग्नाइट/नैफ्था	साधारण शर्त लागू होगी
1		आधारित) ≥500 मे.वा.	एवं गैस आधारित) <500	ansay see that bear
	·	≥ 50 मे.वा.	मे.या.	
ļ		(पैटकोक, डीजल और सभी अन्य	(पैटकोक, डीजल और सभी	
		ईंधन )	अन्य ईंधन )<50 मे.वा ≥5	
	•		मे.वा.	- 1.
(ঙ)	आणविक विद्युत	सभी परियोजनाएं		1
[	परियोजनाएं और			
1	आणविक ईंधन का 🕝		,	
	प्रसंस्करण -			
		प्राथमिक प्रसंस्करण	<u></u>	
(क)	कोयला धोवनशालाएं	≥1 मिलियन ८न/ वार्षिक को उले का	<1 मिलियन टन/ वंधिक	साधारण शर्त लान होगी
		उत्पादन	कोयले का उत्पादन	जनस्य रात लानु हामा
	į	• • •	न्त्रपण पत्र अपादन	( मिन सम्बद्ध केले ले कांच
.				( यदि खनन क्षेत्रं के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का
ĺ			,	मुल्यांकन खनन प्रस्ताव के
		:	j	मुख्याकन खनन प्रस्ताव के   साथ किया जाना चाहिए)
				*** - 13/31 MUTH GHDC) 1

=		<del></del>	· _ · _ · _ ·	
		≥0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले	<0.1 मिलियन टन/	साधारण शर्त लागू होगी
2(ख)	खनिज सज्जीकरण	का उत्पादन	वार्षिक कोयले का उत्पादन	
		का उत्पादन		अनापत्ति प्रदान करने के
	,			लिए खनन प्रस्ताव का
	. !			खनिज सज्जीकरण के साथ
1.1			٠	ही मूल्यांकन किया जाना
£ .				चाहिए
				411eX
,. <u> </u>			<u> </u>	<u></u>
		पदार्थ उत्पादन -		
	पांतकर्म सर्वत (फेरस	क ) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग		1
3(5)	और गैर फैररा)		'	
	SHE HE WASH	सभी परियोजनाएं.		1. 02.4
	!	ख) स्पंज आयरन विनिर्माण ≥ 200	स्पंज आयरन विनिर्माण	स्पंज आयरन विनिर्माण के
	•		< 200 टन पीडी	लिए साधारण शर्त लागू
	i	ं टन् भी डी		होगी
			गौण धातु कर्म प्रसंस्करण	
		ग) गौण घातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग	उद्योग	
			उद्यान	. 1
1 .		सभी विषाक्त और भारी घातु	1) सभी विषाक्त और भारी	
			धातु उत्पादित करने वाली	*******
		उत्पादित करने वाली ईकाइयां ≥	ईकाइयां <20,000 टन/	' } ·
7		20,000 टन/ वार्षिक	वार्षिक	
		20,000 € 1/ 4//4/	2)अन्य सभी विषरहित	r <b>\</b>
			गौण धातुकर्म प्रसंस्करण	r
· ·		, i	उद्योग :	
		**	> 5000 टन /वार्षिक	ļ
				साधारण शर्त लागू होगी
3(ख)	सीमेंट संयंत्र ;	वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥ 1.0 .	वार्षिक उत्पादन क्षमता	Charles on the grant
3(9)		मिलियन टन	< 1.0 मिलियन टन	. }
:	2		यह सभी ग्राइंडिंग इकाइयो	
:	1 .		के लिए लागू है	
		पदार्थ प्रसंस्करण		
4 🐇				
٠	. यट्रोलिम रिफाइनिंग	सभी परियोजनाएं		
(≅)	उद्योग .	<u> </u>		-
	) । होक भट्टी संयंत्र	≥ 2,50,000 टन वार्षिक	< 2,50,000 एवं	
,,,			≥ 25,000 टन वार्षिक	
	) एस्बेस्टास मिलिंग और	च्यी परियोजनाएँ		.   .
ं ∔(ग		ि स्मि नारमाना गर्		
	एस्बेस्टास आधरित			
ļ ·	उत्पाद	A A	उत्पादन क्षमता < 300 ट	न विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
4 (घ	ा) क्लोस्क्षार उद्योग,	उत्पादन क्षमता ≥ 3000न पी डी	पी डी और अधिसूचित	
	.	्या ्		किसी नए पारा प्रकोष्ट
		अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा से	आद्यागक क्षत्र/सपदा म	आधारित संयंत्र को अनुज
4		🔻 🖫 अवस्थित ईकाई 🕟	अवस्थित ईकाई	नहीं दी जारगी और इस
	! .	1		अधिसूचना द्वारा झिल्लीमर
i .				' अधिसूचना द्वारा । अर्थरान
			•	Navior
	,	•	· ·	, 11,241,
- ; :			·	विद्यमान इकाई को छू
		· .	1	प्राप्त है

O

13) 12.

	। II — खण्ड 3(ii) ]	भारत का राजपत्र : अस		
				<del></del>
4	सोडा मस्म उद्योग	सभी परियोजनाएं	_	,
(ঙ)				200
4(च)	चमड़ा/त्वचा/खाल	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सभी नई	अधिसूचित । औद्योगिक	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
.,,	प्रसंस्करणं उद्योग	परियोजनाएं या औद्योगिक क्षेत्र के	क्षेत्र/संपदां में अवस्थित सभी	•
- 1	Y(((d)(-) Odi)	बाहर विद्यमान ईकाइयों का विस्तार	नई परियोजनाएं याः	<u>.</u>
ļ			परियोजनाओं का विस्तार	
		उत्पादन/फैब्रिकेशन		
5		सभी परियोजनाएँ		
5(क)	रासायनिक उर्वरक		<u>·                                      </u>	
5(ख)	कीटनाशक उद्योग और	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशकों को	<b></b>	<u> </u>
- 1	कीटनाशक विशिष्ट	उत्पादन करने वाली सभी ईकाइयां .		
1	मध्यक जीवमार	į		
	(विनिर्मिति को छोड़कर)			<u> </u>
5(ग)	पेट्रो रसायन परिसर	सभी परियोजनाएं	-	-
٥(١)	(पेट्रोलियम के अंश और			
	प्राकृतिक गैस और/या		•	
1	भ्गन्यतों में सुघार			
	प्रसंस्करण आघारित			
	उद्योग		अन्य	साघारण शर्त लागू होगी
5(घ)	मानव निर्मित फाइवर	रेयन	314	there are englerin
	का उत्पादन		0.5.4.50	1 0000 - 1
5(ঙ্ক)	पेट्रो रसायन आधारित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के	अधिसूचित औद्योगिक	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
Į	प्रसंस्करण ( भंजन से	बाह्य अवस्थित	क्षेत्र/संपदा के भीतर	
İ	भिन्न अन्य प्रसंस्करण		अवस्थित	; .
Į	तथा सुघार और जो	· ·		•
1	परिसर के भीतरे			
ļ	समाविष्ट नहीं है )			
5(च)	संश्लिष्ट कार्बनिक	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के	अधिसूचित औद्योगिक	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
3(4)	रसायन उद्योग (रंजक	बाह्य अवस्थित	क्षेत्र/संपदा के भीतर	-
		alca stateate	अवस्थित	. 1
	और रंजक मध्यक;	1.		
	थोक औषधि और			
1	औषधि विनिर्मितियों को			
ļ	छोडकर मध्यकः संश्लि-			
1	ष्ट रबड़ मूल कार्बनिक			3
	रसायन, अन्य संश्लिष्ट	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	कार्बनिक रसायन और			
Ì	रसायन मध्यक)		<u> </u>	
5(छ)	आसवनी	(i) सभी शीरा आघारित आसवनी ।	सभी गन्ने का रस/गैर शीरा	साधारण शर्त लागू होगी
1 ' '	'	(ii) सभी गन्ने का रस/गैर -शीरा	आघारित आसवनी <30	1 :
}		आघारित आसवनी ≥30 कि0ली0	कि०ली० दैनिक	
1	•	4	]	
<u> </u>	<u> </u>	ं दैनिक	सभी परियोजनाए	साधारण शर्त लागू होगी
5(ज)	समेकित पेंट उद्योग	000-6-4-0-4	लुग्दी विनिर्माण के बिना	साधारण शर्त : तागू होगी
5(झ)	अपशिष्ट कागज से	लुम्दी विनिर्माण और लुग्दी और		digital side young dist
	कागज का निर्माण और	कागज विनिर्माण उद्योग	कागज विनिर्माण उद्योग	:
-	तैयार लुग्दी और	į.	1 .	
	विरंजन किए बिना	1	1	
1	तैयार लुग्दी से कागज	1.		1
	निर्माण के अलावा		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	लुग्दी एवं कागज			İ

	उद्योग		T	
5(স)	चीनी उद्योग		गन्ना पेरने की क्षनता ≥	साधारण शर्त लागू होगी
			5000 टन दैनिक	March ou Children
5(리)	प्रेरण/आर्क	~ .	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
3(3)	मट्टी/कुपोला मट्टी 5		(का बारवाजनार	यावारम राव लागू हाना
	टन प्रति घंटा या ज्यादा	<b>i</b> .		
6	रटा प्रात पटा पा ज्याचा	सेवा सेक्टर		<u> </u>
6(क)	राष्ट्रीय उद्यानों/	सभी परियोजनाएं	<u> </u>	<u> </u>
0(4)	अभयारण्यों/ प्रवाल	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	-
_	भित्तियों/ एल एन जी			
, ,	टर्मिनल सहित	•		
- ,	पारिस्थिकीय		·	
	संवेदनशील क्षेत्रों से			
	युजरने वाली तेल और			
	गैस परिवहन पाइप			
<u> </u>	लाइनें(अपरिकृष्त और	•		
	परिष्करणी /पेट्रो			
	रसायन उत्पाद)	•		
6(অ)	एकल भंडारकरण और	· · ·	सभी परियोजनाएं	
0(0)	परिसंकटमय रसायन	·	रामा पारवाजगार	साधारण शर्त लागू होगी
ļ	को संभालना	· ·		
	(एमएसआईएचसी			
	नियम, 1989 और			
	2000 की संशोधित		:	
	अनुसूची 2.और 3 के स्तंम 3 में उपदर्शित		<b>\</b>	
1	स्तम् ३ म उपदारात अवसीमा योजना	·		
				  -
7	परिमाण के अनुसार	पर्यावरणीय सेवाओं सहित मी		
7 (क)	। ः विमानपत्तनः ।	समी परियोजनाएँ	तक अवसरवना	
(पर) 7(ख)	सभी पोत भंजन यार्ड	सभी परियोजनाएं		<u>-</u>
, (G)	्राचा पारा मणा पाउ जिसमें पोत भंजन	समा प्रास्थाजमञ्		-
	इकाई भी सम्मिलित है	٠.	 	
7(ग)	Sava at comica 6	प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में यदि	्रीकोणिक संस्थारं भीन	िकोस भारी चारा केसी
	औद्योगिक	एक भी उद्योग श्रेणी क के अंतर्गत		विशेष शर्त लागू होगी टिप्पण
	सम्पदा/पार्क/परिसर/	अता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को		
	क्षेत्र/निर्यात प्रस्तकरण			
	जोन(नि.प्रं.जो.),विशेष	श्रेणी क ही समझा जाएगा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में।हो	आर क्षत्र< 500 हक्टयर हो	जिनमें क या ख श्रेणी का
	आर्थिक	ा हिल्ला मा स्थापन हो। 		कोई उद्योग नहीं है, को
; , ,		500' हैक्टेयर से ज्यादां क्षेत्र की	औद्योगिक संपदाएं क्षेत्र >	काइ उद्याग नहा है, की मंजूरी की आवश्यकता नहीं
, j	प्रौद्योगिकी पार्क चमड़ा		500 -हैक्टेयर और जिसमें	1. "
	परिसर	कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित	शेणी क या ख श्रेणी का	है
2	",	हो	कोई उद्योग नहीं है	
7(घ)	सामान्य परिसंकटमय	<u></u>	227 200 200	
7 (9)				साघारण शर्त लागू होगी
	,अपशिष्ट उपचार शंदाकरणः और	भरमीकरण और भूमिभरण या केवल भरमीकरण शामिल है	सुविधाए	
	भंडारकरण और	मल्याकरण शामल ह		·
	निपटान सुविधाएं		·	
	(उ.मं.नि.सु.)		<u> </u>	

C

(5)	İ

उदाई-बराई की क्षमता (मत्स्य केषारा की उदाई-धराई की क्षमता और पत्तन/बंदरगाह में वेदरगाह से भिन्न)     2   10,000 टन वार्षिक मछली पकड़ने की क्षमता     2   10,000 टन वार्षिक मछली पकड़ने की क्षमता     3   10 नए राज्य्रीय राजमार्गाः और     2   30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राज्य्री मार्ग के दोनों और अतिश्वित भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और प्रजमार्गां का विस्तार जिनमें भार्ग के होनों और अतिश्वित भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और प्राचारों के विस्तार जिनमें भार्ग के दोनों और अतिश्वित मूर्ग अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है ।   7(छ) आकाशी यात्री राज्युमार्ग   सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू संग्रेत्र (स.स.च.च.स.)     7(ज) सामान्य स्राव उपचार संग्रेत्र (स.स.च.च.स.)   सवन/ सॅनिमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण     8(क) भवन एवं सॅनिमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण     2   20000 वर्ग मी. के   मज़ृत सॅनिमाण परियोजनाएं परियोजनाएं की श्रेत खुली सुविधा त्या में यह क्रियाकला मी होगा ।     8(ख) नगरी और क्षेत्र विकास   ≥ 50ह0. क्षेत्र को ++ 8 (ख) के अंतर्ग			<del>, - · ·</del>	<del>,                                      </del>	
बंदरगाह से भिन्न)  बंदरगाह से भिन्न)  श्रमता और पतन/बंदरगाह में  ≥ 10,000 टन वार्षिक मफली पकड़ने की क्षमता  7(च)  राजमार्ग  1) नए राष्ट्रीय राजमार्गः और  2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अविग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं।  7(छ)  आकाशी यात्री रञ्जुमार्ग  7(छ)  आकाशी यात्री रञ्जुमार्ग  7(छ)  आकाशी यात्री रञ्जुमार्ग  7(छ)  आकाशी यात्री रञ्जुमार्ग  7(छ)  समान्य खाव उपचार संयंत्र (स.स.च.इ.सं.)  7(झ)  नगरपालिका कोस अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.न.अ.प्र.स)  8(क)  भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं  साधारण शर्त लागू संगी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू लिए निर्मित क्षेत्र और < 1,50,000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र #  8(छ)  नगरी और क्षेत्र विकास    ১०००० वर्ग मी. के   अवात्र संनिर्माण परियोजनाएं   १८०००० वर्ग मी. के   १८०००० वर्ग मी. के   १८०००० वर्ग मी. के   १८०००० वर्ग मी. के   १८००००० वर्ग मी. के   १८००००० वर्ग मी. के   १८००००० वर्ग मी. के   १८००००० वर्ग मी. के   १८००००० वर्ग मी. के   १८००००० वर्ग मी. के   १८००००० वर्ग मी. के   १८००००० वर्ग मी. के   १८००००० वर्ग मी. के   १८००००० वर्ग मी. के   १८००००००००००००००००००००००००००००००००००००	7(ঙ)	पत्तन, बंदरगाह	≥ 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की	< 5 मिलयन टन वार्षिक	साधारण शर्त लागु होगी
२ 10,000 टन वार्षिक मछली पकड़ने की क्षमता     7(च) राजमार्ग   1) नए राष्ट्रीय राजमार्गः और   2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गं को विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और ज्यादा है और ज्यादा है ।   7(छ) आकाशी यात्री रञ्जुमार्ग   सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं सोर शहरीकरण   ≥ 20000 वर्ग मी. के # आवृत संनिर्माण परियोजनाएं परियोजनाएं की अर खुली सुविधा दशा में यह क्रियाकला मी होगा ।   ≥5080. क्षेत्र को ++ 8 (ख) के अंतर्न	-		उठाई-धराई की क्षमता (मत्स्य	स्थोरा की उठाई-धराई की	
प्रजमार्ग 1) नए राष्ट्रीय राजमार्गः और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गः और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गां का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं । प्राप्त कि.मी. से ज्यादा है और ज्यादा है ।  7(छ) आकाशी यात्री रज्जुमार्ग समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समी परियोजनाएं और शहरीकरण ≥ 20000 वर्ग मी. के # आवृत संनिर्माण परियोजनाएं भित्र लेव और < विभित्त क्षेत्र और < विभित्त क्षेत्र और < विभित्त क्षेत्र और < विभित्त क्षेत्र और इहिंगा । ≥ 50 है0. क्षेत्र को ++ 8 (ख) के अंतर्ग	İ		बंदरगाह से भिन्न)	क्षमता और पत्तन/बंदरगाह में	
7(च)       राजमार्ग       1) नए राष्ट्रीय राजमार्गः और       1) नए राज्य राजमार्गः और       साधारण शर्त लागू         2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के       2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के       2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गा का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त पूर्म अधिक राज्यों से गुजरते हैं ।       राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त पूर्म अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है ।         7(छ)       आकाशी यात्री रज्जमार्ग (क.स.ज.ज.ं)       सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू				≥ 10,000 टन वार्षिक	
2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राज्या तंबे राष्ट्रीय राज्या तंबे राष्ट्रीय राज्या तंबे राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं ।  7(छ) आकाशी यात्री रज्जुमार्ग साधारण शर्त हो ।  7(छ) आकाशी यात्री रज्जुमार्ग समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू संयंत्र (स.स्र.च.सं.)  7(ज) सामान्य स्राव उपचार संयंत्र (स.स्र.च.सं.)  7(ज) नगरपालिका ठोस अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.न.अ.प्र.)  8(क) भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण  ≥ 20000 वर्ग मी. के # आवृत संनिर्माण परियोजनाएं परियोजनाएं की से श्रावृत संनिर्माण परियोजनाएं निर्मित क्षेत्र और < तार्ण निर्मित क्षेत्र और < तार्ण निर्मित क्षेत्र और < तार्ण निर्मित क्षेत्र आर चहारीकरण चर्चा में यह क्रियाकला मी होगा ।  8(छ) नगरी और क्षेत्र विकास		·		मछली पकड़ने की क्षमता .	
. राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं ।  7(छ) आकाशी यात्री रञ्जुमार्ग साधारण शर्त लागू सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू अपशिरट प्रवंधन सुविधा (स.नअ.प्र.स.)  8 अवन/ सीनेंमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण ≥ 20000 वर्ग मी. के # आवृत सीनेमाण परियोजनाएं मिर्नित क्षेत्र और < तिए निर्नित क्षेत्र आक की ओर खुली सुविधा दशा में यह क्रियाकला भी होगा ।  8(ख) नगरी और क्षेत्र विकास    ≥50ह0. क्षेत्र को ++ 8 (ख) के अंतर्ग	7(司)	े राजमार्ग	1) नए राष्ट्रीय राजमार्गः और	1) नए राज्य राजमार्गः और	साधारण शर्त लागू होगी
मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूम   अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और   मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त रूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है ।	1	l		2) 30 कि.मी. से ज्यादा	
अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त पूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है ।  7(छ) आकाशी यात्री रज्जुमार्ग सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू.  7(ज) सामान्य स्राव उपचार संयंत्र (स.स्र.उ.सं.)  7(झ) नगरपालिका ठोसं अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.नअ.प्र.स.)  8 मवन/ संर्निमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण  ≥ 20000 वर्ग मी. के मिज़ सेत्र आक् मिज़्त सिन्माण परियोजनाएं निर्मित क्षेत्र आर रहा की ओर खुली सुविधा तथा में यह क्रियाकला मी होगा ।  8(छ) नगरी और क्षेत्र विकास   > 1 1 1 2 2 50 80. क्षेत्र को ++ 8 (ख) के अंतर्ग					. :
एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं   भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है     7(छ) आकाशी यात्री रज्जुमार्ग   सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू संग्रंत्र (स. ख. ज. सं.)   सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू संग्रंत्र (स. ख. ज. सं.)   सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू संग्रंत्र (स. ख. ज. सं.)   सभी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू समि परियोजनाएं और शहरीकरण   साधारण शर्त लागू सिमाण परियोजनाएं और शहरीकरण   ≥ 20000 वर्ग मी. के   # आवृत संनिर्माण परियोजनाएं भीत क्षेत्र और <   लिए निर्मित क्षेत्र आक की ओर खुली सुविधा त्या में यह क्रियाकला भी होगा   ≥ 50है0. क्षेत्र को ++ 8 (ख) के अंतर्ग		•	,	,	•
ज्यादा है	Ţ		<u>अधिग्रहण 2</u> 0 मीटर से ज्यादा है और	मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त	ŕ
७ अकाशी यात्री रञ्जुमार्ग       सभी परियोजनाएं       साधारण शर्त लागू         १ (छ)       सामान्य स्राव उपचार संयंत्र (स.स्र.उ.सं.)       सभी परियोजनाएं       साधारण शर्त लागू         १ (झ)       नगरपालिका ठोसं अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.नअ.प्र.स.)       सवन/ संनिमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण         ८ (क)       मवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं       ≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < तिए निर्मित क्षेत्र आक् तिप्र निर्मित क्षेत्र और < तरशा में यह क्रियाकला मी होगा ।			एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं।		
7(ज)       सामान्य स्राव उपचार संयंत्र (स.स्र.उ.सं.)       सभी परियोजनाएं       साधारण शर्त लागू         7(झ)       नगरपालिका ठोसं अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.नअ.प्र.स.)       सवन/ संर्निमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण         8(क)       मवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण         ≥ 20000       वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < निर्मित क्षेत्र और < निर्मित क्षेत्र आक तिए निर्मित क्षेत्र आक तिए निर्मित क्षेत्र मं यह क्रियाकला भी होगा ।	İ			ज्यादा है।	,
7(ज)       सामान्य स्राव उपचार संयंत्र (स.स्र.उ.सं.)       सभी परियोजनाएं       साधारण शर्त लागू         7(झ)       नगरपालिका ठोसं अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.नअ.प्र.स.)       सवन/ संर्निमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण         8(क)       मवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण         ≥ 20000       वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < निर्मित क्षेत्र और < निर्मित क्षेत्र आक तिए निर्मित क्षेत्र आक तिए निर्मित क्षेत्र मं यह क्रियाकला भी होगा ।	`				
संयंत्र (स.स्र.उ.सं.)   संयंत्र (स.स्र.उ.सं.)   समी परियोजनाएं साधारण शर्त लागू   समी परियोजनाएं और शहरीकरण				·	साधारण शर्त लागू होगी
7(झ)       नगरपालिका ठोस       साधारण शर्त लागू         अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.नअ.प्र.स.)       भवन/ संर्निमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण         8(क)       भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं       ≥ 20000 वर्ग मी. के मिंत क्षेत्र और < लिए निर्मित क्षेत्र आक की ओर खुली सुविधा दशा में यह क्रियाकला मी होगा ।				सभी परियोजनाएँ	साधारण शर्त लागू होगी
अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.नअ.प्र.स.)  8					
(स.नअ.प्र.स.)    8   भवन/ संर्निमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण     8   १   १   १   १   १   १   १   १   १		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
8 (क)       भवन/ संनिमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण         ≥ 20000 वर्ग मी. के       # आवृत संनिमाण परियोजनाएं         परियोजनाएं       निर्मित क्षेत्र और < िलए निर्मित क्षेत्र आक की ओर खुली सुविधा दशा में यह क्रियाकला मी होगा ।         8(ख)       नगरी और क्षेत्र विकास       ≥50है0. क्षेत्र को ++ 8 (ख) के अंतर्ग	4-	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		:
8(क)       मवन एवं संनिर्माण       ≥ 20000 वर्ग मी. के       # आवृत संनिर्माण         परियोजनाएं       निर्मित क्षेत्र और <       लिए निर्मित क्षेत्र आक         1,50,000 वग मीटर के       की ओर खुली सुविधा         दशा में यह क्रियाकला       मी होगा ।         8(ख)       नगरी और क्षेत्र विकास       ≥50है0.       क्षेत्र को       ++ 8 (ख) के अंतर्ग		(स.नअ.प्र.स.)			
परियोजनाएं निर्मित क्षेत्र और < तिए निर्मित क्षेत्र आक 1.50,000 वग मीटर के की ओर खुली सुविधा निर्मित क्षेत्र # दशा में यह क्रियाकला भी होगा । 8(ख) नगरी और क्षेत्र विकास ≥50है0. क्षेत्र को ++8 (ख) के अंतर्	_		भवन/ संर्निमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विका	स परियोजनाएं और शहरीकरण	
1,50,000 वग मीटर के की ओर खुली सुविधाः निर्मित क्षेत्र # दशा में यह क्रियाकला भी होगा 1 8(ख) नगरी और क्षेत्र विकास ≥50है0. क्षेत्र को ++ 8 (ख) के अंतर्र				≥ 20000 वर्ग मी. के	# आवृत संनिर्माण क्रे
निर्मित क्षेत्र #   दशा में यह क्रियाकला भी होगा     8(ख) नगरी और क्षेत्र विकास   ≥50है0. क्षेत्र को ++8 (ख) के अंतर्		परियोजनाएं	٠.	निर्मित क्षेत्र और <	लिए निर्मित क्षेत्र आकाश
भी होगा । 8(ख) नगरी और क्षेत्र विकास ≥50हैं0. क्षेत्र को ++ 8 (ख) के अंतर्र				1,50,000 वग मीटर के	की ओर खुली सुविधाओं की
8(ख) नगरी और क्षेत्र विकास ≥50हैं0. क्षेत्र को ++ 8 (ख) के अंतर	İ		• • •	निर्मित क्षेत्र #	दशा में यह क्रियाकलाप क्षेत्र
20000 40 40 40 40 40 40					भी होगा।
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			,	≥50है0. क्षेत्र को	++ 8 (ख) के अंतर्गत सभी
the field and go and an areas from an area.		परियोजनाएं ।		सम्मिलित करते हुए और या	परियोजनाओं को ख 1 प्रवर्ग
निर्मित क्षेत्र ≥ 1,50,000 के अनुसार निबंधित				निर्मित क्षेत्र ≥ 1,50,000	के अनुसार निबंधित किया
वर्ग मीटर ++ जाएसा ।	-			वर्ग मीटर ++	जाएगा । 🔑

टिप्पण

#### साधारण शर्त (सा.श.)

प्रवर्ग "ख" में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रवर्ग "क" माना जाएगा, यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (ii) उसकी समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है; (iii) परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है ; और (iv) अंतरराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के मीतर संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप में अवस्थित है ।

विनिर्दिष्ट शर्त (वि.श.)
यदि कोई मद 4(घ), 4(च), 5(इ), 5(च) जैसी समयुग्म की प्रकार का उद्योगों वाला औद्योगिक संपदा, कांप्लेक्स/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्यान/चमझ परिसर या पूर्व निर्धारित गतिविधियां वाले उद्योग (अ. १९११ नहीं कि वे समयुग्म हों) पूर्व पर्यावरणीय अनापित प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संपदाओं/कांप्लेक्सों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापित लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कांप्लेक्स/संपदा के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संपदा/कांप्लेक्सों की पूर्व पर्यावरणीय अनापित की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमता सुनिश्चित करने के विधिक उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए जिसे कांप्लेक्स/संपदा के सारे जीवन में उसके अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी उहराया जा सकेगा)।

[सं. जे-11013/56/2004-आईए-II(I)] आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव परिशिष्ट -I (पैरा 6 देखें) प्ररूप 1

# (1) आधारभूत जानकारी

परियोजना का नाम . :

विचाराधीन अनुकृत्पी अवस्थिति/स्थान

परियोजना का आकार \*

परियोजना की प्राक्कलित लागत

संपर्क जानकारी :

संवीक्षा प्रवर्ग :

 अंचलीय क्रियाकलाप के लिए तत्स्थानी क्षमता (जैसे विनिर्माण करने के लिए उत्पादन क्षमता, खनिज उत्पादन के लिए खनन पट्टा क्षेत्र और उत्पादन क्षमता, खनिज पूर्वेक्षण के लिए क्षेत्र, अनुरेख परिवहन अवसंरचना के लिए लंबाई, विद्युत उत्पादन आदि के उत्पादन क्षमता )

### (II) क्रि<mark>या</mark>कलाप

 परियोजना का संनिर्माण, प्रचालन या न निकालना जिसमें ऐसी कार्रवाई भी सम्मिलित है जो परिक्षेत्र में भौतिक परिवर्तनों का कारण होगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकायों में परिवर्तन आदि)

<u> </u>	<u> </u>	हां/नहीं	उनके ब्यौरे
क्र.सं.	जानकारी/जांच सूची पुष्टिकरण		(लगभग
			मात्रा/दरों,
			सहित, जो
			संभव हो,
			सहित) आंकड़ों
			की जानकारी के
			स्रोत सहित ।
<u> </u>	के की म महासकति में स्थायी		
1.1	भूमि उपयोग, समावेश भूमि या स्थलाकृति में स्थायी		
1.	या अरथायी ि समें भूमि उपयोग की मात्रा(स्थानीय	į	
	भूमि उपयोग योजना के बारे में वृद्धि भी सम्मिलित		
•	<i>원</i>		<del> </del> -
1.2	विद्यमान भूमि, वनस्पति और भवनों की अनापत्ति		<del> </del>
1.3	नर्द भिम उपयोगों का सुजन		<del> </del>
1.4	संनिर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात बोर गृह, मिट्टी का		
	परिक्षण करना		
1.5	संनिर्माण कार्य	·	_
1.6	विध्वंस कार्य	<u> </u>	

—खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असापार			
1.7	संनिर्माण कार्य या संनिर्माण कर्मकारों के घर के			-
'-'	प्रबंघ के लिए उपयोग किए गए अस्थायी स्थल	·		<u> </u> .
1.8	उपर्युक्त भू-भवन, संरचनाएं या धुस्स जिसमें	,		ŀ
	अनुरेखीय संरचनाएं, काटना और मरना या खुदाई भी			;
	सम्मिलित है ।			ļ.;
1.9	भूमिगत कार्य जिसमें खनन या सुरंग बनाना भी			
	सम्मिलित है ।			1
1.10	भूमि उद्धार कार्य			-
1.11	तलकर्षक		<u> </u>	-
1.12 -	अपतट संरचनाएं		ļ <u>'</u>	-
1.13	उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाएं		<del> </del>	_
1.14	सामग्रियों या माल के भंडार की सुविधाएं			-
1.15	ठोस अपशिष्ट या तरल बहिःस्रावों के उपचार या			
	निपटान के लिए सुविद्याएं			-
1.16	परिचालन कर्मकारों के दीर्घकालिक घर की प्रबंध के	·		
	लिए सुविधाएं			4
1.17	संनिर्माण या प्रचालन के दौरान नई सड़क, रेल या			
	समुद्री यातायात		<u> </u>	4
1.18	नई सड़क,रेल,वायु जल वाहित या अन्य परिवहन			
	अवसंरचना जिसमें नए या परिवर्तित मार्ग और		1	
	स्टेशन, पत्तन, विमानपत्तन आदि भी सम्मिलित है।		<u> </u>	-   '
1.19	विद्यमान परिवहन मार्गों को बंद करना या अपवर्तन	<u>.</u>	'	
	या यातायात परिचालन में परिवर्तनों के लिए प्रगुख			
	अवसंरचना		_	$\exists$
1.20	नई या अपवर्तित प्रेषण लाईने या पाइपलाइने		<u> </u>	$\dashv$
1.21	अवरुद्ध करना, बांध बनाना, पुलिया बनाना,		1	
	पुनःरेखांकन था जलमांगी या एक्वीकरों के जल			
	विज्ञान के लिए अन्य परिवर्तन			$\dashv$
1.22	प्रवाह पार			┨.
1.23	भूजल या भूतल से जल का अंतरण या पृथक्करण	<del> </del>		+
1.24	नालियों या प्रवाह को प्रभावित करने वाले			
	जलनिष्पादों या भूमि स्तर में परिवर्तन			$\dashv$
1.25	संनिर्माण, परिचालन या न निकालने के लिए कार्मिक			7
	या सामग्रियों का परिवहन	ļ		
1.26	दीर्घकालिक रूप में तोड़ना, प्रारंभ करना या कार्य	·		
	पुनः आरंभ करना ।	<del> </del>		
1.27	आरम के दौरान जारी ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण			
ļ	पर संमाधात कर सकेंगे ।			
1.28	जनता का किसी क्षेत्र के लिए या तो अस्थायी रूप			
	से या स्थायी रूप से आना !	<del>                                     </del>		1
1.29	अन्य देशीय प्रजातियों का आना			$\neg \neg$
1.30	मूल निवासी प्रजातियों या आनुवंशिक विविधता की	-		
	हानि			_
1.31	अन्य कोई कार्रवाईयां		V 7	
	•		-	

2. विशेष क्य रॉ ऐसा कोई संसाधन जो नवीकरणीय नहीं हैं या जिसका प्रवाय कम है )

ंकःसः	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत
			सहित उनके ब्यौरे (लगभग
		·	मात्राओं/दरों सहित, जहां
	• 1		कहीं संभव हो)
2.1	विशेष रूप से अविकसित भूमि या कृषि भूमि (है0)		
2.2	जल (अनुमःनित स्रोत और प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई :		
i	के.एल.डी.		,
23	खनिज (श्य दी.)		
2 4	संनिर्माण सामग्री पत्थर, औररत, बास्/मृदा (अनुमानित	<u> </u>	
	स्रोत एम.टी.)		
25	दन और इमारती लक्छी (स्रोत र एम्.टी.)	· ·	
2.6	रूको जिसक अंतर्गत विद्युत और ईधन (स्रोत, प्रतियोगी -		
	उपयोगकता) इकाई : ईंधन (एम.टी.) ठाळा (एम.डब्ल्यू)		
2.7	कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन (समुचित मानक इकाइयो को		; -
!	उपयोग करें )		

 कुरशी या सामित्रवी का उपयोग मंडारण, परिवहन, तंजाई घराई वा उत्पादन, जो मानव स्वारश्य या पर्यावरण के किए वर्तरताक या जिनके भानव स्वास्थ्य की जोस्तिम की वास्तावैकता के बारे में विंताएं छठती हैं।

क्रसं.	गुण्या/जाव सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत
			सहित उनके ब्यौरं (लगभग
			मात्राओं/दर्शे सहितं, जहां
; ; ;			कहीं संभव हो)
31	मजर्थी या सामन्त्रियों का उपयोग जो मानव स्वास्थ्य गा		
	पर्याजरण (फ्लोस, फोना और जेल प्रवाय के लिए		
	ं रेसंकटमर) (एम एस आई एव सी. निगमी के अनुसार) हैं		
3 2	रींग के होने में पारेवर्तन या रोग वाहकों के रोग का प्रभाव		
	(उपहत्याद्य कीट या जल-जन्य रोग)		
3.3	लोगों के कल्याण पर पभावें अदहरणार्थ जीवन दशाओं में		
,	परिवर्तन करके '		-
3.4	लागों के रावेदनशील समूह जो परियोजना अर्थात् अरयसास		
. ;	रोगियो, बालको, वृद्धों आदि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं		
3.5	कोई अन्य कारण	†	

निर्माण या प्रचालन या प्रारंभ न करने के दौरान ठोस अपशिष्टों का उत्पादन (एम.टी./मास)

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के क्रो सहित उनके ब्योरे (लगभग मात्राओं/दर सहित, जहां कहीं संग्रा हो)
4.1	मृदा, अधिक भार या खान अपशिष्ट		
4.2	नगरपालिक अपशिष्ट (घरेलू और या वाणिज्यिक अपशिष्ट)		
4.3	परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंध तंत्र नियमों के अनुसार)		
4.4	अन्य औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट	,	4
4.5	अधिशेष उत्पाद		
4.6	मल बही-स्राव उपचार से मल गाद या अन्य गाद	<u> </u>	
4.7	निर्माण या दाये गए अपशिष्ट	<u> </u>	
4.8	बेकार मशीनरी या उपस्कर	<u> </u>	<u> </u>
4.9	संदूषित मृदाएं या अन्य सामग्रियां		्यार्थिकारीत ५ % १९७० (१ व्य
4.10	कृषि अपशिष्ट		
4.11	अन्य टोस अपशिष्ट	<u>:</u>	<u> </u>

त्वयु में संदूषकों या किसी परिसंकटमय विधे या उहिरीले वार्थों का विसर्जन

	•	<i>.</i>	
<u> इस्</u>	गूबना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/ हीं	सृगन आंकड़ों के रहे। सिंद उनके ब्योरे (स्थानक
		-  -  -	मालक्षां/दरों सहित, उन्न कहीं राभव हो)
5.1 1	होखन सम्मन्नी या चल संसाधनों से जीवाष्म इंधनों के दहन से उत्सर्जन		
5.2	उत्पादन प्रकियाओं से जन्सर्जन		
5.3	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अहा अंडाहण या पश्चित्र भी है, उत्सर्जन		()
5.4	निर्माण क्रिककलायों से जिसके अंतर्गत संयंत्र और उपस्कर भी हैं, उरसर्जन		
5.5	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत निर्माण सामग्री, मल और अपशिष्ट भी हैं धूल या गंध		
5.6	अपशिष्ट के भरमीकरण है। उत्सार्जन	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5.7	खुली बादु में अपशिष्य के परान के अत्सवान (उताहरणार्थ रहेश समग्री निर्माण रामग्री का हैए)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5 8	क्षिन्ही अन्य होती सं ५ व्यंत्र .		

1

# शोर और कंपन का पैदा होना तथा प्रकाश और उष्मा का उत्सर्जन

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित
		-	उनके ब्यौरे (लगभग
[ :			मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं
	·	ļ	संभव हो)
6.1	उपस्कर के प्रचालन से उदाहरणार्थ ईंजन, वातायन संयंत्र,		
	संदलनित्र		
. 6.2	औद्योगिक या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं से		
6.3	निर्माण या ढहाने से		
6.4	विस्फोटन या पाइलिंग से		
6.5	निर्माण या प्रचालन संबंधी यातायात से		
6.6	प्रकाशन या प्रशीतन प्रणालियों से		
6.7	किन्हीं अन्य संसाधनों से		

# 7. भूमि या मल नालियों, सतही जल, भूमिगत जल, तटीय जल या समुद्र में प्रदूषकों के विसर्जन से भूमि या जल के संदूषण के जोखिम

क्र.स.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत
			सहित उनके ब्यौरे (लगभग
			मात्राओं/दरों सहित, जहां
			कड़ीं संभव हो)
7.1	परिसंकटमय सामग्री की उठाई धराई, भंडारण, उपयोग या		
	गाद से	-	
7.2	जल या भूमि में (अनुमानित ढ़ंग और विसर्जन का स्थान)		
	मल या अन्य बही स्नावों के विसर्जन से	. ,	
7.3	वायु से भूमि या जल में उत्सर्जित प्रदूषकों के जमा होने से		
7.4	किन्हीं अन्य संसाधनों से		
7.5	क्या इन संसाधनों से पर्यावरण में प्रदूषकों के जमा होने से		
	दीर्घकालिक जोखिम है ?		

# 8. परियोजना के निर्माण या प्रचालन के दौरान दुर्घटनाओं का जोखिम जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं

क जं	यान्या (जांच वानी ग्रासीक्याम	न (उर्ने	सूचना आंकड़ों के स्रोत
क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हा/नहीं	
	• •		सहित उनके ब्यौरे (लगभग
•			मात्राओं/दरों सहित जहां
¥			कहीं संभव हो)
8.1	परिसंकटमय पदार्थों के विस्फोट, गाद, आग, भंडारण, उठाई		
	धराई या उत्पादन से	•	•
8.2	किन्हीं अन्य कारणों से .	• .	
8.3	क्या परियोजना प्राकृतिक विपदाओं द्वारा पर्यावरण को		
40	नुकसान पहुंचाएंगी (उदाहरणार्थ बाढ़, भूकंप्र, भू-सखलन,		
:	वृष्टिस्फोट आदि) ?		

9. बातें जिन पर विचार किया जाना चाहिए (जैसे पारिणामिक विकास) जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या जो सचयी प्रभावों को करने के लिए अन्य विद्यमान प्रभावों सहित या परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलापों के लिए सामर्थवान हैं

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत
		]	सहित उनके ब्यौरे (लगभग
			मात्राओं/दरों सहित, जहां
			कहीं संभव हो)
9.1	जिसके कारण आधार का विकास, सहायक विकास या		1
1	परियोजना द्वारा विकास को बल मिलता है जिसका पर्यावरण		
	पर प्रभाव हो सकता है अर्थात् —		
	• आधारिक अवसंरचना (सड़कें, बिजंली प्रदाय, अपशिष्ट		
	या अपशिष्ट जल उपचार आदि)	i. '	
	• आवासन विकास	1.	•
	• निष्कर्षित उद्योग		
	• पूर्ति उद्योग		. 4
	• अन्य		
	•	-	
9.2	जिसके कारण स्थल का बाद में उपयोग होता है जिसका		
] ]	पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है		
9.3	पश्चात्वर्ती विकासों के लिए उदाहरण स्थापित करनां		
9.4	सामिप्य के कारण अन्य विद्यमान परियोजनाओं पर संचयी		
	प्रभाव हैं या उसी प्रकार के प्रभावों सहित नियोजित		
	परियोजनाएं		:

# (III) पर्यावरणीय संवेदनशीलता

क्र.सं.	क्षेत्र	नाम/पहचान	आकाशी दूरी (15
		,	किलोमीटर के
			भीतरे) प्रस्तावित
]			परियोजना अवस्थान
			सीमा
1.	उनके पारिस्थितिक भू-दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों		
	के लिए अंतरराष्ट्रींय कन्वेंशन, राष्ट्रीय या स्थानीय विधान के		
ļ	अधीन संरक्षित क्षेत्र ।		
۷.	क्षेत्र जो पारिस्थितिक कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील हैं		
	- वेट लैंड्स, जल स्रोत या अन्य जल संबंधी निकाय, तटीय	, , `	
	जोन, बायोरफीयर, पहाड़ियां, वन		
3.	क्षेत्र जो प्रजनन, घोसला बनाने, चारे के लिए, आराम करने के		
	लिए, सर्दी के लिए, प्रवास के लिए फ्लोरा और फोना के संरक्षित		4.
	महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं		
4.	अंतरदेशीय, तटीय, सामुद्रिक या भूमिगत जल		

·	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDI	NAKY	PART II—SEC.
5.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं	1	
6.	मनोरंजन की या अन्य पर्यटक/यात्रियों वाले क्षेत्रों में पहुंच के		
	लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग या सुविधाएँ		
7	रक्षा प्रतिष्टापन		
8.	सघन रूप से बसे हुए या निर्मित क्षेत्र		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9.	संवेदनशीलं मानव निर्मित भूमि उपयोगों के अधिभोगाधीन क्षेत्र		
	अस्पताल, पाठशालाएं, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं		
10.	महत्वपूर्ण, उच्च क्वालिटी या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भूमिगत	*	
	जल संसाधन, भूतल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मत्स्य उद्योग,	•	
	पर्यटन, खनिज)		
11.	क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान के अधीन हैं		
	(वे जहां विद्यमान विधिक प्रयावरणीय मानक अधिक होते हैं)	-	,
12.	क्षेत्र जहां प्राकृतिक संकट हो सकता है जो वर्तमान पर्यावरणीय		
	समस्याओं की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं (धंसना,	i .	,
.:	भूस्खलन, भूमि कटाव, बाढ़ या अत्यंत या प्रतिकृल वातावरणीय		
	ं दशाएं)		

# परिशिष्ट 2 (पैरा 6 देखें)

प्ररूप 1क (केवल अनुसूची की मद 8 के अधीन सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के लिए)

## पर्यावरणीय प्रभावों की जांच सूची

(पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित परियोजना सलाहकार और जहां कहीं आवश्यक हो प्ररूप के साथ स्पष्टीकारक टिप्पण संलग्न करें तथा प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंधतंत्र योजना और मानिटरी कार्यक्रम के राज्य प्रस्तुत करें)

#### 1. भूमि पर्यावरण

.(परियोजना स्थल और आसपास का विशाल दृश्य रालग्न करें)

- 1.1 क्या विद्यमान भूमि के उपयोग में परियोजना से सारवान रूप से परिवर्तन किया जाएगा जो वातागरण आसपास से संगत नहीं है ? (प्रस्तावित भूमि उपयोग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित मास्टर प्रान,विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए । भूमि उपयोग में परिवर्तन यदि कोई हो और सक्षम प्राधिकारी से कानूनी अनुमोदन प्रस्तुत किया जाए) । (i) स्थल अवस्थान, (ii) प्रस्तावित स्थल (पांच सौ मीटर के भीतर आसपास के लक्षणों) और (iii) समृदित गापमान दे स्थल (रतर और समोच्च रेखा उपदर्शित करते हुए) के नक्शे संलग्न करें । यदि एउलक्य नहीं है ने केवल अवधाराण गुक्त योजना संलग्न करें ।
- ्री.२ ः भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, जल उपभोग, विध्नुत अपेक्ष्म, संयोजकला, सामुनाविक सुविधार्गः नि ्ञायश्यक्रराओं अंग्दि के अनुसार सभी बड़ी परियोजना की आवश्यकताओं को सूबीबद्ध करे ।
  - 1.3 प्रश्तादित स्थल से संकाम विद्यमान सुधिरोजां पर एकावित कियाकलार के साम १, ५०० जाती है है है है से खुले स्थल, सामुदायिक सुदिएगएं, विद्यमान भूमि एमधोग के ब्योरे, कारीय पारिस्थिति हैं 1500 ज
  - 1.4 ज्या विल्सी महत्वपूर्ण भूगिः विद्या के परिणामस्वरूषा भूरखंदान भगि कराव था । तेरास्त नागि १ तः किस्स, इति गिर्मित भूगि कराव की संवेदमधीलया, नृत्यान जाति है जाति विर्मित्त ।

- 1.5 क्या प्राकृतिक गल निकास प्रणाली के परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव है ? (प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट प्राकृतिक मल निकासी को दर्शित करते हुए किसी समोच्च नक्शे के ब्यौरे दें)
- 1.6 निर्माण क्रियाकलाप कर्तन, भरण, भूमि सुधार आदि में अंतर्वलित भूमि कार्य की मात्राएं क्या हैं .? (अंतविलत भूमि कार्य, रथल आदि के बाहर से सामग्री भरने के परिवहन के ब्यौर दें)
- 1.7 निर्माण अविध के दौरान जल प्रदाय अपशिष्ट उठाई धराई आदि के संबंध में ब्यौरे दें ।
- 1.8 क्या नीचे के क्षेत्रों और वेट लैंडस में परिवर्तन होंगे ? (वह ब्यौरे दें कि किस प्रकार निवले क्षेत्र और वेट लैंडस प्रस्तावित क्रियाकलापों से उपांतरित हो रहे हैं)
- 1.9 क्या निर्माण के दौरान निर्माण के कूड़ा करकट और अपशिष्ट से स्वास्थ्य को खतरा होगा ? (निर्माण के दौरान जिसके अंतर्गत निर्माण श्रम और व्ययन की युक्तियां भी हैं, जनित अपशिष्टों की विभिन्न किरमों की मात्राएं दें।)
- 2. जल पर्यावरण
- 2.1 विभिन्न उपयोगों की अपेक्षाओं के विश्लेषण सहित प्रस्तावित परियोजना के लिए जल अपेक्षा की कुल मात्रा दें । जल अपेक्षा की पूर्ति कैसे होगी । स्रोतों और मात्राओं का कथन करें तथा एक जल अतिशेष विवरण दें ।
- 2.2 जल के प्रस्तावित स्रोत की क्षमता क्या है ? (बहाव या प्राप्ति के आधार पर)
- 2.3 अपेक्षित जल की क्वालिटी क्या है यदि पूर्ति किसी नगर पालिक स्रोत से नहीं है ? (जल की क्वालिटी के वर्ग सहित भौतिक, रासायनिक जैव वैज्ञानिक लक्षणों को दर्शित करें)
- 2.4 कितनी जल अपेक्षा की उपचारित बेकार जल के पुनः वकण रो पूर्ति हो सकती है ? (मात्राओं, स्रोतों और उपयोगिताओं के ब्योरे दें।)
- 2.5 क्या अन्य उपयोक्ताओं से जल का उपयोजन होंगा ? (कृपया अन्य विद्यमान उपयोगों और उपभोग की मात्राओं पर परियोजना के प्रभाव का निर्धारण करें)
- 2.6 प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त बेकार जल से प्रदूषण के भार ने क्या वृद्धि है ? (प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त वेकार जल की मात्राओं और संघटन के ब्योरे दें)
- 2.7 जल अपेक्षाओं की जल संचयन से हुई पूर्ति के ब्यौरे दें । सृजित सुविधाओं के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।
- 2.8 दीर्घकालिक आधार पर निर्माण चरण के पश्चात् क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के लक्ष्णों (मात्रात्मकता के साथ साथ क्वालिटी भी) के कारण भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों का क्या प्रभाव होगा ? क्या इससे बाढ़ या जल के जमा होने की किसी रूप में समस्या में वृद्धि होगी ?
- 2.9 भूमिगत जल पर प्रस्ताव के क्या प्रभाव होंगे ? (क्या भूमिगत जल में नल लगाया जाएगा ; भूमिगत जल की सारणी, पुनः प्रभारण क्षमता और सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त अनुमोदन यदि कोई हो के व्यौरे दें)
- 2.10 भूमि और पनिलों को प्रदृषित करने बाले निर्माण कियान गए से बहु हुन वकते के लिए क्या सावधानियां/कदम उत्पर जाने हैं। ? (प्रतिकृत प्रकार्त है वचने के लिए गाजाओं और प्रानाए जाने वाले उपायों के और दे)

÷.

- 2.11 राष्यल के भीतर किस प्रकार तेज जल की व्यवस्था की जाएगी ? (क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए किए गए उपबंध, समोच्च स्तरों के उपदर्शन के स्थल अभिन्यास सहित उपलब्ध कराई गई जल निकासी सुविधाओं के ब्योर का कथन करें)
- 2.12 क्या आवश्यक अवधि में विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लगाए जाने से परियोजना स्थल के आसपास अस्वच्छता दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं ? (उचित स्पष्टीकरण से न्यायोचित ठहराएं)
- 2.13 स्थल सुविधाओं पर संग्रहण, उपचार और जल निकासी के सुरक्षित व्ययन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है ? (पुनःचक्रण और व्ययन के लिए प्रोद्योगिकी और सुविधओं सहित जनन, उपचार क्षमताओं की, चाहे जैसी हों मात्राओं के ब्यौरे दें)
- 2.14 दोहरी नलसाजी प्रणाली के ब्यौरे दें यदि उपयोग किए गए उपचारित अपशिष्ट का प्रसाधनों को बहाने या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है।

#### 3 वनस्पति

- 3.1 क्या जैवविविधता पर परियोजना का कोई खतरा है ? (स्थानीय पारिस्थितिक प्रणाली का उसकी विशिष्ट बातों सहित यदि कोई हो वर्णन करें)
- 3.2 क्या निर्माण में उनस्पति की विस्तृत निकासी या उपांतरण अंतर्वलित है ? (परियोजना द्वारा प्रभावित वृक्षों और वनस्पति का विस्तृत लेखा जोखा दें)
- 3.3 महत्वपूर्ण स्थल की बातों पर प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं ? (किसी समुचित मापमान कि किसी अभिन्यास योजना सहित वृक्षारोपण, भूदृश्य, जल निकायों आदि के सृजन के प्रस्ताव के ब्योरे दें)

#### 4. जीव जन्त्

- 4.1 क्या जीव जन्तुओं, स्थलीय और ज़लीय रूप से किसी प्रकार हटाने या उनके चलने फिरने के लिए रूकावटें होने की संभावना है ? ब्यौरे दें ।
- 4.2 क्षेत्र के जीव जन्तुओं पर क्या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं ? ब्यौरे दें ।
- 4.3 जीवजन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कारीडोर, मछली सीड़ियों आदि जैसे उपाय विहित करें।

#### वायु पर्यावरण

- 5.1 क्या परियोजना से द्वीपों में गैसों के वायुमझलीय सांद्रण में वृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप ऊष्णा बढ़ेगी ? (प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप वर्धित यातायात बढ़ने को ध्यान में रखते हुए विक्षेपण आदर्शों पर आधारित अनुमानित मूल्यों सहित पृष्ठभूमि वायु क्वालिटी स्तरों के ब्योरे दें)
- 5.2 धूल, जहरीली वाष्यों या अन्य पिरसंकटमय गैसों के बनने पर क्या प्रभाव हैं ? सभी मौसम दिझान परिमापों के संबंध में ब्यौरे दें ।
- 5.3 क्या प्रस्ताव से यानों को पार्क करने के स्थल में कमी आएगी ? परिवहन अवसंख्वना और सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों के, जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल के प्रवेश और निर्गम पर यातायात व्यवस्था भी है, विद्यमान स्तर के ब्योरे दें।

- 5.4 प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों, बाइसिकिल मार्गों, पैदल यात्री मार्गों, पैदल मार्गों आदि पर चलने के पैटनों के ब्यौरे दें ।
- 5.5. क्या यातायात शोर और कंपन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी ? ऊपर वर्णित बातों को कम करने के लिए स्रोतों और प्रस्तावित उपायों के ब्यौरे दें ।
- 5.6 परियोजना स्थल के आसंपास शोर स्तरों और कंपन तथा घिरी हुई वायु की क्वालिटी पर डीजी सेटों और अन्य उपस्करों पर क्या प्रभाव होगा ? ब्यौरे दें ।

#### सौन्दर्यबौद्धी

- 6.1 क्या प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप किसी दृश्य, दृश्यसुविधा या भूदृश्य में रूकावट होगी ? क्या प्रस्तावको ने इन बातों पर विचार कर लिया है ?
- 6.2 क्या विद्यमान परिनिर्माणों पर नए निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा ? किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?
- 6.3 क्या डिजाइन मापमान को प्रभावित करने वाले शहर रूपी या शहरी डिजाइनों का कोई स्थानीय आकलन हैं ? उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा संकता है ।
- 6.4 क्या कोई मानव विज्ञान संबंधी या पुरातत्वीय स्थल या बाह्य चीजें आंसपास में हैं ? कथन करें यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसपर प्रस्तावित स्थल के पिखेत्र में होने पर विचार किया गया है ।

## 7 सामाजिक - आर्थिक पहलू

- 7.1 क्या प्रस्ताव के परिणास्वरूप स्थानीय जनता के समाज संबंधी परिनिर्माणों में कोई परिवर्तन होगा ? ब्योरे दें।
- 7.2 प्रस्तावित परियोजना के आसपास विद्यमान सामाजिक अवसंरचना के ब्यौरे दें ।.
- 7.3 क्या परियोजना से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकृत प्रभाव, पवित्र स्थलों या अन्य सांस्कृतिक मूल्यों में विष्ट्र पड़ेगा ? प्रस्तावित सुरक्षापाय क्या हैं ?

### 8 निर्माण सामग्री

- 8.1 अधिक ऊर्जा संहित निर्माण सामग्री का उपयोग हो सकेगा । क्या ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं तहित निर्माण सामग्री उत्पादित की जाती है ? (निर्माण सामग्री और उनकी ऊर्जा दक्षता का चयन करने में ऊर्जा संरक्षण उपायों के ब्यौरे दें)
- 8.2 निर्माण के दौरान सामग्री का परिवहन और उठाई धराई के कारण प्रदूषण, शोर और लोक अशान्ति हो सकती है। इन प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं?
- 8.3 क्या सड़कों और ढ़ाचों में पुनः चक्रित सामग्री उपयोग की जाती है ? की गई बचतों का सीमा का कथन करें ?
- 8.4 परियोजना के प्रचालन संबंधी चरणों के दौरान हुए कूड़े के संग्रहण, पृथंक्करण और व्ययन की पद्धति के ब्यौर दें।

- 9 ऊर्जा संरक्षण
- 9.1 विद्युत अपेक्षा प्रदाय के स्रोत, स्रोत आदि की पृष्टभूमि आदि के ब्यौरे दें । निर्मित क्षेत्र में प्रति वर्ग फुट लं खपत कितनी है ? ऊर्ज़ा खपत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?
- (C)
- 9.2 बिद्युत की पृष्टभूमि की किस्म और क्षमता, जिसको देने की आपकी योजना है. क्या है ?
- 9.3 उपयोग किए जाने वाले कांच के अभिलक्षण क्या हैं ? शार्ट वेव और लांग वेव विकिरण दोनों से संबंधित उसके अभिलक्षणों के निर्देश दें ।
- 9.4 भवन में कौन से अप्रत्यक्ष सौर वास्तविक कारक उपयोग किए जा रहे हैं ? प्रस्तावित परियोजना में किए गए उपयोजन को स्पष्ट करें !
- 9.5 क्या गिलयों और भवनों के अभिन्यास सौर ऊर्जा युक्तियों की क्षमता को अधिकतम करते हैं ? क्या आपने भवन कम्प्लैक्स में उपयोग के लिए सड़क प्रकाशन आपात प्रकाशन और सौर तप्त जल प्रणालियों के उपयोग पर विचार कर लिया है ? ब्यौरों का सार दें।
- 9.6 क्या प्रशीतन/तापन भार को कम करने के लिए शेडिंग का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है ? पूर्व और पश्चिम की दीवारों और छत पर शेडिंग को अधिकतम करने के लिए उपयोग करने के सिद्धांत क्या हैं ?
- 9.7 क्या परिनिर्माणों में ऊर्जा दक्ष स्थल शीतन, प्रकाशन और यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है ? तकनीकी ब्यौरे दें । ट्रांराफार्यों और मोटर दक्षता प्रकाशन तीव्रता और वायु प्रशीतन भार धारणाओं के ब्यौरे दें । क्या आप सीएफसी एचसीएफसी फ्री चिलर्स का उपयोग कर रहे हैं ? विनिर्देश दें ।
- 9.8 सूक्ष्म जलवायु के परिवर्तन में भवन क्रियांकलाणों के संभावित प्रभाव क्या हैं ? तप्त द्वीप और प्रतीपन प्रभावों के सृजन'पर प्रस्तावित निर्माण के संभावित प्रभावों पर स्वतः निर्धारण का उल्लेख करें।
- 9.9 भवन आहाते के तापीय अभिलक्षण क्या हैं ? (क) छत ; (ख) बाह्य दीवारें ; और (ग) झरोखें ? उपयोग की गई सामग्री और व्यष्टिक संघटकों के यू मूल्यों या आर मूल्यों के ब्यौरे दें।
- 9.10 अग्नि संकट के लिए प्रस्तावित सीवधार्नियां और सुरक्षा उपाय क्या हैं ? आपात योजनाओं के ब्योरे दें ।
- 9.11 दिवाल सामग्री क रूप में यदि कांच का उपयोग किया जाता है तो ब्वीरे और विनिर्देश जिसके अंतर्गत उत्सर्जनता और ताप्रीय अभिलक्षण भी हैं, दें ।
- 9.12 भवन में वायु प्रवेशन की दर क्या है ? प्रवेशन के प्रभावों को कैसे कम कर रहे हैं. उसके ब्यौरे दें !
- 9.13 समग्र ऊर्जा खपत में अपारंपरिक ऊर्जा प्रोद्योगिकियों का किसी सीमा तक उपयोग किया जाता है ? उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रोद्योगिकियों के ब्योरे दें ।
- 10 पर्यावरण प्रबंध योजना

पर्यावरण प्रबंध योजना में, निर्माण, प्रचालन और एरियोजना के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनंतम करने के लिए समस्त जीवन चक्र के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रत्येक मदवार के लिए सभी न्यूनंतम करने वाले उपाय अंतर्विष्ट होंगे । इसमें विभिन्न पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन के लिए पर्यावरणीय मानिटरी योजना का आलेखन भी होगा । आपात की दशा में, जैसे स्थल पर दुर्घटना जिसके अंतर्गत आग लगना भी है, उठाए जाने वाले कदमो का कथन भी होगा ।

# परिशष्ट 3 (पैरा 7 देखे)

# पर्यावरणीय समाधात निर्धारण दस्तावेज की साधारण संरचना

क्र.सं.	ईआईए संरचना	अंतर्वस्तु
1,	प्राक्कथन	• रिपोर्ट का प्रयोजन
		<ul> <li>परियोजना और परियोजना प्रस्तावक की पहचान</li> </ul>
		<ul> <li>परियोजना की प्रकृति, आंकार, अवस्थान का संक्षिप्त वर्णन और देश;</li> </ul>
,		प्रदेश में इसका महत्व
		<ul> <li>अध्ययन का विस्तार — किए गए विनियामक विस्तार के ब्यौरे (सौंपे गए</li> </ul>
		कृत्यों के अनुसीर)
2.	परियोजना वर्णन	• परियोजना के उन पहलुओं का संघनित वर्णन (परियोजना साध्यता
	,	अध्ययन पर आधारित) जिनकी पर्यावरणीय प्रभाव कारित करने की
	•	संभावना है । निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए ब्यौरे उपबंधित
		किए जाने चाहिए :
		• परियोजना के किस्म
		• परियोजना की आवश्यकता
		अवस्थान (साधारण अवस्थान, विनिर्दिष्ट अवस्थान, परियोजना
		सीमा और परियोजना स्थल अभिन्यास को दर्शित करते हुए नक्शे)
		<ul> <li>प्रचालन का आकार या विस्तार (जिसके अंतर्गत परियोजना द्वारा या उसके लिए अपेक्षित सहयोजित क्रियांकलाप;</li> </ul>
		अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अनुसूची
,		अनुमादन और कावान्ययन के लिए अस्साम्यत अनुसूना     प्रोद्योगिकी और प्रक्रिया वर्णन
	,	परियोजना वर्णन, जिसके अंतर्गत परियोजना अनिन्यास, परियोजना
	·	आदि के संघटकों को दर्शित करते हुए आरेखन । साध्यता
		आरंखनों के स्कीमबद्ध प्रतिनिधित्व जो ईआईए परियोजना के लिए
		महत्वपूर्ण जानकारी दें ।
		• पर्यावरणीय मानकों, पर्यावरणीय प्रचालन दशाओं या अन्य ईआईए
,		अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए परियोजनाओं में सम्मिलित न्यूनिकरण
,		उपायों का वर्णन (विस्तार द्वारा यथाअपेक्षित)
		<ul> <li>प्रोद्योगिकीय असफलता के जोखिम के लिए नई और अपरीक्षित</li> </ul>
		प्रोद्योगिकी का निर्धारण
3.	पर्यावरण का वर्णन	• अध्ययन क्षेत्र, अवधि, संघटक और पद्धति
		• विस्तार में पहचान किए गए मूल्यवान पर्यावरणीय संघटकों के लिए
		आधारिक लेखा की स्थापना  • सभी पर्यावरणीय संघटकों के आधार नक्शे
1	अनुसानित सर्मात्रसम्भूष	
4.	,अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण	परियोजना अवस्थान, संभावित दुर्घटनाओं, परियोजना डिजाइन, परियोजना निर्माण, नियमित प्रचालनों, पूरी की गई परियोजना को
ļ	उपाय	अतिम रूप से बंद करना या पुर्नरथापन के कारण अन्वेषित पर्यावरणीय
İ		समाधावों के ब्यौरे ।
1		• पहचान किए गए प्रतिकूल समाधातों न्यूनिकृत और/या दूर करने के
1		लिए उपाय
		• पर्यावरणीय संघटकों के असंपरिवर्तनीय और पुनः प्राप्त न किए जा
		सकने वाले आश्वासन ।

i i	1	PARTIL—Sec.
		• समाद्यातों के महत्व का निर्धारण (महत्व महत्व निर्धारण का अवधारणा
		करने के लिए मानदण्ड)
	·	• न्यूनीकरण उपाय
5.	अनुकल्पियों का	यदि विस्तारित करने के कार्य के परिणामस्वरूप अनुकृत्पियों की
	विश्लेषण (प्रोद्योगिकी	आवश्यकता होती है
	और स्थल)	• प्रत्येक अनुकल्पी का वर्णन
		• प्रत्येक अनुकल्पी के प्रतिकूल समाघातों का सार
		• ैं प्रत्येक अनुकल्पी के लिए प्रस्तावित न्यूनीकरण उपाय और
		<ul> <li>अनुकल्पी का चयन</li> </ul>
6.	पर्यावरणीयं मानिटरी	<del> </del>
	कार्यक्रम	• न्यूनीकरण उपायों की प्रभावशीलता को मानीटर करने के तकनीकी
	37.74	पहलू (जिसके अंतर्गत माप, पट्टति, आवर्त, अवस्थान, आंकड़े विश्लेषण,
		रिपोर्ट करने की अनुसूचियां, आपात प्रक्रियाएं, विस्तृत बजट और
		उपायन अनुसूचियां भी हैं)
7.	अतिरिक्त अध्ययन .	• लोक परामर्श
		• जोखिम निर्धारण
		• सामाजिक समाघात निर्धारण आर और आर अनुवर्ती योजनाएं
8.	परियोजना के फायदे	• भौतिक अवसरचना में सुधार
		• सामाजिक अवसरचना में सुधार
		• नियोजन क्षमता - कुशल ; अर्धकुशल और अकुशल
		• अन्य मूर्त फायदे
9.	पर्यावरणीय लागत	यदि विस्तारण प्रक्रम पर सिफारिश की जाती है ।
	फायदा विश्लेषण	
10:	ईएमपी	• यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनीकरण संबंधी उपाय कार्यान्वित
	l .	किए गए हैं और ईआईए के अनुमोदन के पश्चात् उनकी प्रभावी
	,	मानीटरी की गई है, प्रशासनिक पहलुओं का वर्णन ।
.11.	संक्षिप्त सार और निष्कर्ष	<ul> <li>परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र औचित्य ।</li> </ul>
	(यह ईआईए रिपोर्ट का	• यह स्पष्टीकरण कि प्रतिकृत प्रभाव किरा प्रकार कम किए जाते हैं
	संक्षिप्त सार होगा)	The same of the sa
12.	नियोजित परामर्शियों का	• उनके संक्षिप्त कार्य और दिए गए परामर्श की प्रकृति सहित नियोजित
	प्रकटन	किए गए परामर्शियों के नाम
نـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ		

परिशिष्ट 3क (पैरा 7 देखे)

# सक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अर्तवस्तु

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संक्षिप्त सार अधिकतम ए -4 आकार के दस पृष्टों पर पूरी पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का एक संक्षिप्त सार होगा । इसमें संक्षेप में अनिवार्य रूप से पूर्ण पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निम्नितिखित अध्याय होने चाहिएं :-

- (1) परियोजना वर्णन ::
- (2) पर्यावरण का वर्णन :
- (3) अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय :
- (4) पर्यावरणीय मानींटरी कार्यक्रम :
- (5) अतिरिक्त अध्ययन :
- (6) परियोजना के फायदे ::
- (7) पर्यावरण प्रबंधन क्षेजना

### परिशिष्ट 4

(पैरा 7 देखिए)

# लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया

1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, समयबद्ध और पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी।

### 2.0 प्रक्रिया:

- 2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अविध के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के परे विस्तार है तो प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।
- 2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस हार्ड प्रतियां और उसी के बराबर सॉफ्ट (इलैक्ट्रानिक) प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गई सामान्य संरचना सिहत (जिसके अंतर्गत विस्तार (प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अनुसार निर्बाध रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सिम्मिलित हैं) संलग्न की जाएगी। इसके साथ-साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ उपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्निलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने, की व्यवस्था करेगा:
  - (क) जिला मजिस्ट्रेट
  - (ख) जिला परिषद या नगर निगम
  - (ग) जिला उद्योग कार्यालय
  - (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेषिक कार्यालय

- 2.3 उपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सिवाय, प्रारूप पर्यावरणीय समीधात निर्धारण रिगेर्ट के प्राप्ति पर अपनी अधिकारिताओं के भीतर उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका-टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वें लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे । पर्यावरण और वन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर प्रारूप पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार तत्परता से प्रवर्शित करेगा और दिल्ली स्थित मंत्रालय में सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान किसी अधिसूचित स्थान पर निर्देश के लिए पूरे प्रारूप पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट को भी उपलब्ध करेगा
- 2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बावत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और नयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या पंचायतों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप प्रयावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट उक) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/कार्यालयों अर्थात् पर्यावरण और वन मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट आदि को प्रारूप पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति अतिरिक्त रूप से भी उपलब्ध कराएंगे ।

## 3.0 लोक सुनवाई की सूचना

- 3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना सलाहकार से प्रारूप पर्यावरणीय समाचात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख़ से तीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख़, समय और निश्चित रथान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा। जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम से कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएणी;
- 3.2 विज्ञापन जनता को उन स्थानों या कार्यातयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सीर तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सकें:
- 3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थिति नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मिजर्स्ट्रेट की सिफारिश पर किया आस्थिगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेषिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा ;

#### 4.0 पैनल

जिला मजिस्ट्रेट या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से समस्त लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा।

#### 5.0 वीडियोग्राफी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय वीडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।

#### 6.0 कार्यवाहियां

- 6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।
- 6.2 कार्यवाहियों को आरंग करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।
- 6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, प्ररियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंग करेगा !
- 6.4 स्थल पर उपस्थित प्रत्येदः व्यक्ति को, आवेदक से परियोजना पर सूचन या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लोक सुनवाई कार्यवाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय माषा में अंसर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़ कर गुनाया जाएगा तथा करार पाए गर कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट गर उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।
- 6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

हैं हो लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस प्रचायत घर के कार्यालय पर जिसकी अधिकारिता में परियोजना अधिकारित है, संबंधित जिला परिषद जिला नजिस्ट्रेट और सज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण सियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शित भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी ।

### 7.0 लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि:

- लोक सुनवाई, आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। अतः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी। आवेदक, लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण को, अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेंगा।
- 7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने हैं असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग 'क' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी।

#### परिशिष्ट 5

(पैरा 7 देखिए)

#### आंकलन के लिए विहित प्रक्रिया

- 1. आवेदक, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निम्नितिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए, जहां लोक परामर्श आज्ञापक है, एक सादा सूचना के माध्यम से आवेदन करेगा:
  - अंतिम प्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट की बीस हाई प्रतियां और एक साफ्ट प्रति
  - लोक सुनवाई की कार्यवाहियों की वीटियो टेप की एक प्रति या सी.डी.
  - अंतिम अभिन्यास योजना की बीस प्रतियां
  - परियोजना साध्यता रिपोर्ट की एक प्रति

- 2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर कार्यालय में तत्परता से टीओआर के प्रतिनिर्देश से समीक्षा की जाएगी और ध्यान में रखी गई अपर्याप्ताताओं को प्रत्येक अंतिम पर्यावरण य समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई कार्यवाहियां और प्राप्त की गई अन्य लोक प्रतिक्रियाएं भी हैं, प्ररूप 1 या प्ररूप 1क की एक प्रति और प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैंटकों के लिए निश्चित तारीखें सहित पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्यों को एकल सेट में इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यधा संसूचित किया जाएगा ।
- 3. जहां कोई लोक परामर्श् आज्ञापक नहीं है और इसलिए कोई औपचारिक पर्यावरणीय समाघात निधारण अध्ययन अपेक्षित नहीं है, वहां आंकलन, विहित आवेदन प्ररूप 1 के आधार पर और अनुसूची की मद 8 से भिन्न सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में किसी पूर्व साध्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । अनुसूची को मद 8 की दशा में, इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुएं, संबंधित पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, प्ररूप 1, प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्ते नियत करेंगी । जब कभी आवेदक सभी अन्य आवश्यक कानूनी अनुमोदनों सहित निश्चित पर्यावरणीय अनापित शर्तों को पूरा करते हुए अनुमोदित स्कीम/मदन योजना प्रस्तुत करता है तो पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, सक्षम प्राधिकारी को पर्यावरणीय अनापित मंजूर करने की सिफारिश करेगी ।
- 4. प्रत्येक आवेदन. पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के समक्ष और इसका पूरा आंकलन, विहित रीति में अपेक्षित दस्तावेजों/ब्योरों सहित इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर रखा जाएगा !
- 5. आवेदक को परियोजना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की निश्चित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचित किया जाएगा।
- 6. पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक के कार्यवृत्त को बैठक के पांच कार्यकरण दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा और संबंधित विनिद्यामक प्राधिकरण के वंबसाइट पर प्रदक्षित किया जाएगा । परियोजना या क्रियाकलापों को पर्यावरणीय अनापत्ति को मंजूर किए जाने के लिए सिफारिश की दशा में, कार्यवृत्त में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षापायों और शर्तों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा । यदि सिफारिशें नामंजूर करने के लिए हैं तो उसके कारणों को भी स्पष्ट रूप से कथित किया जाएगा ।

#### परिशिष्ट 6

### (पैरा 5 देखिए)

किन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के लिए सेक्टर/परियोजना विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ आंकलन समिति और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों की संरचना

विशेषज्ञ आंकलन समितियां और | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियां केवल निम्नलिखित
 पात्रता कसौटी को पूरा करने वाले वृत्तिकों और विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी

वृत्तिक : ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम से कम (i) एम.ए./एम.एस.सी डिग्री सहित संबंधित विद्या शाखा में पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या (ii) इंजीनयरी/प्रौद्योगिकी/वास्तुविद विद्या शाखाओं की दशा में, बी.टेक/बी.ई./बी.आर्क. डिग्री सहित क्षेत्र में विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित किसी वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में चार वर्षीय औपचारिक प्रशिक्षण या (iii) अन्य वृत्तिक डिग्री (जैसे विधि) जिसमें पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण अंतर्वितित है, या (iv) विहित शिक्षुता/कारीगारी तथा संबंधित वृत्तिक संगम द्वारा संचातित परिक्षाएं उत्तीर्ण की हो (जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी) या (v) किसी विश्वविद्यालय डिग्री के पश्चात् किसी विश्वविद्यालय या सेवा अकादमी में दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण (जैसे एम.बी.ए./आई.ए.एस./आई.एफ.एस.) व्यष्टि वृत्तकों का चयन करते समय उनके द्वारा उनके क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा।

विशेषज्ञ : उमर पात्रता कसोटी को पूरा करने वाला कोई वृत्तिक जिसके पास क्षेत्र, में कम से कम पंद्रह वर्ष का सुसंगत अनुभव या संबंधित क्षेत्र में कोई उच्चतर डिग्री हो (जैसे पी.एच.डी. और कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव)।

आयु : सत्तर वर्ष से नीचे । तथापि, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्बता/कमी की दशा में विशेषज्ञ आंकलन समिति के सदस्यों की अधिकतम आयु को पचहतर वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

- 2. पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों/विद्या शाखाओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले विशेषज्ञ होंगे । उस दशा में कि ''विशेषज्ञ'' की कसौटी को पूर करने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले वृत्तिकों पर भी विचार किया जा सकेगा ।
  - पर्यावरण क्वालिटी विशेषज्ञ : पर्यावरणीय क्वालिटी के संबंध में माप/मानिटरी, विश्लेषण और निर्वचन में विशेषज्ञ ।

- परियोजना प्रबंधन में क्षेत्रीय विशेषज्ञ : परियोजना प्रबंधन या सुसंगत क्षेत्रों में प्रक्रिया /प्रचालन/सुविधा
   प्रबंधन में विशेषज्ञ ।
- पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया विशेषज्ञ : पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संचालन और कार्यान्वयन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना और अन्य प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेषज्ञ और जो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली भावी तकनीकों और औजारों में विस्तृत विशेषज्ञता और ज्ञान रखते हों ।
- जोखिम निर्धारण विशेषज्ञ ।
- पेइ पौधे और जीव- जन्तु प्रबंधन में प्राणी विज्ञान विशेषज्ञ ।
- वन और वन्य जीव विशेषज्ञ ।
- परियोजना आंकलन में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विशेषज्ञ ।
- 3. पर्यावरणीय निर्धारण समिति की सदस्यता पंद्रह नियमित सदस्यों से अधिक की नहीं होगी। तथापि, अञ्चस समिति की किसी विशिष्ट बैठक के लिए किसी सुसंगत क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा।
- 4. अध्यक्ष, सुसंगत विकास क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और पर्योवरणीय निति या प्रबंधन में अथवा लोक प्रशासन में अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ होगा ।
- 5. अध्यक्ष, सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।
- 6. , पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि उसके सचिव के रूप में समिति की सहायता करेगा ।
- किसी सदस्य की अधिकतम पदाविध, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, प्रत्येक तीन वर्ग की दो पदाविध होगी.
- 8. अध्यक्ष/सदस्य को क़िसी कारण और समुचित जांच के बिना पदाविध के अवसान से पूर्व नहीं हटाया जा सकेगा ।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

S.O. 1533(E).—Whereas, a draft notification under Sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India<sup>1</sup>, unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environment Policy as approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006 and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union Territory Administration concerned under Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this notification, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II. Section 3. Sub-section (ii) vide number \$10.1324(E), dated the 15th September, 2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2005:

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above inentioned draft notification have been duly considered by the Central Government:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification.

Uncludes the territorial waters.

- 2. Requirements of prior Environmental Clearance (EC):- The following projects or activities shall require prior environmental clearance from the concerned regulatory authority, which shall hereinafter referred to be as the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity:
- (i) All new projects or activities listed in the Schedule to this notification:
- (ii) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization:

- (iii) Any change in product mix in an existing manufacturing unit included in Schedule beyond the specified range.
- 3. State Level Environment Impact Assessment Authority:- (1) A State Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the SEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of three Members including a Chairman and a Member Secretary to be nominated by the State Government or the Union territory Administration concerned.
- (2) The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union territory administration familiar with environmental laws.
- (3) The other two Members shall be either a professional or expert fulfilling the eligibility criteria given in Appendix VI to this notification.
- One of the specified Members in sub-paragraph (3) above who is an expert in the Environmental Impact Assessment process shall be the Chairman of the SEIAA.
- (5) The State Government or Union territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman referred in sub- paragraph 3 to 4 above to the Central Government and the Central Government shall constitute the SEIAA as an authority for the purposes of this notification within thirty days of the date of receipt of the names.
- (6) The non-official Member and the Chairman shall have a fixed term of three years (from the date of the publication of the notification by the Central Government constituting the authority).
- (7) All decisions of the SEIAA shall be unanimous and taken in a meeting.
- 4. Categorization of projects and activities:-
- (i) All projects and activities are broadly categorized in to two categories Category A and Category B, based on the spatial extent of potential impacts and potential impacts on human health and natural and man made resources.
- (ii) All projects or activities included as Category 'A' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities and change in product mix, shall require prior environmental clearance—from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) on the recommendations of an Expert Appraisal Committee (EAC) to be constituted by the Central Government for the purposes of this notification:
- (iii) All projects or activities included as Category 'B' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities as specified in sub paragraph (ii) of paragraph 2, or change in product mix as specified in sub paragraph (iii) of paragraph 2, but excluding those which fulfill the General Conditions (GC) stipulated in the Schedule, will require prior environmental clearance from the State/Union territory Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The SEIAA shall base its decision on the recommendations of a State or Union territory level Expert Appraisal Committee (SEAC) as to be constituted for in this notification. In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project:

# 5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government and SEACs (hereinatter referred to as the (EAC) and (SEAC) at the State or the Union territory level shall screen, scope and appraise projects or activities in Category "A" and Category "B" respectively. EAC and SEAC's shall meet at least once every month.

- (a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition;
- (b) The Central Government may, with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administrations, constitutes one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost:
- (c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years:
- (d). The authorised members of the EAC and SEAC, concerned, may inspect any site(s) connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought, for the purposes of screening or scoping or appraisal, with prior notice of at least seven days to the applicant, who shall provide necessary facilities for the inspection:
- (e) The EAC and SEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

# 6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form 1 and the Supplementary Form 1A, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of the pre-feasibility report.

# 7. Stages in the Prior Environmental Clearance (EC) Process for New Projects:-

- 7(i) The environmental clearance process for new projects will comprise of a maximum of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth below in this notification. These four stages in sequential order are:-
  - Stage (1) Screening (Only for Category 'B' projects and activities)
  - Stage (2) Scoping
  - Stage (3) Public Consultation
  - Stage (4) Appraisal .

#### 1. Stage (1) - Screening:

In case of Category B projects or activities, this stage will entail the scrutiny of an application seeking prior environmental clearance made in Form 1 by the concerned State level Expert Appraisal Committee (SEAC) for determining whether or not the project or activity

requires further environmental studies for preparation of an Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to the grant of environmental clearance depending up on the nature and location specificity of the project. The projects requiring an Environmental Impact Assessment report shall be termed Category 'B1' and remaining projects shall be termed Category 'B2' and will not require an Environment Impact Assessment report. For categorization of projects into B1 or B2 except item 8 (b), the Ministry of Environment and Forests shall issue appropriate guidelines from time to time.

#### II. Stage (2) - Scoping:

- "Scoping": refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category 'A' projects or activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion and/or modernization and/or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms Of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. The Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the Terms of Reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form I/Form IA including Terns of Reference proposed by the applicant, a site visit by a sub- group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, Terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. All in Item 8 of the Schedule projects and activities listed as Category 'B' (Construction/Township/Commercial Complexes /Housing) shall not require Scoping and will be appraised on the basis of Form 1/ Form 1A and the conceptual plan.
- (ii) The Terms of Reference (TOR) shall be conveyed to the applicant by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as concerned within sixty days of the receipt of Form 1. In the case of Category A Hydroelectric projects Item 1(c) (i) of the Schedule the Terms of Reference shall be conveyed along with the clearance for pre-construction activities. If the Terms of Reference are not finalized and conveyed to the applicant within sixty days of the receipt of Form 1, the Terms of Reference suggested by the applicant shall be deemed as the final Terms of Reference approved for the EIA studies. The approved Terms of Reference shall be displayed on the website of the Ministry of Environment and Forests and the concerned State Level Environment Impact Assessment Authority.
- (iii) Applications for prior environmental clearance may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

### III. Stage (3) - Public Consultation:

- (i) "Public Consultation" refers to the process by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained with a view to taking into account all the material concerns in the project or activity design as appropriate. All Category 'A' and Category B1 projects or activities shall undertake Public Consultation, except the following:-
  - (a) modernization of irrigation projects (item 1(c) (ii) of the Schedule).

- (b) all projects or activities located within industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.
- (c) expansion of Roads and Highways (item 7 (f) of the Schedule) which do not involve any further acquisition of land.
- (d) all Building /Construction projects/Area Development projects and Townships (item 8).
- (e) all Category 'B2' projects and activities.
- (f) all projects or activities concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government.
- (ii) The Public Consultation shall ordinarily have two components comprising of:-
- (a) a public hearing at the site or in its close proximity- district wise, to be carried out in the manner prescribed in Appendix IV, for ascertaining concerns of local affected persons;
- (b) obtain responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity.
- (iii) the public hearing at, or in close proximity to, the site(s) in all cases shall be conducted by the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) concerned in the specified manner and forward the proceedings to the regulatory authority concerned within 45(forty five) of a request to the effect from the applicant.
- (iv) in case the State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, and/or does not convey the proceedings of the public hearing within the prescribed period directly to the regulatory authority concerned as above, the regulatory authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the regulatory authority, to complete the process within a further period of forty five days.
- (v) If the public agency or authority nominated under the sub paragraph (iii) above reports to the regulatory authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned regulatory authority, which may after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.
- (vi) For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity, the concerned regulatory authority and the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) shall invite responses from such concerned persons by placing on their website the Summa 7 EIA report prepared in the format given in Appendix IIIA by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form, within seven days of the receipt of a written request for arranging the public hearing. Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The regulatory authority concerned may also use

(4) 40

other appropriate media for ensuring wide publicity about the project or activity. The regulatory authority shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means.

(vii) After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concerns expressed during this process, and make appropriate changes in the draft EIA and EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the applicant to the concerned regulatory authority for appraisal. The applicant may alternatively submit a supplementary report to draft EIA and EMP addressing all the concerns expressed during the public consultation.

### IV. Stage (4) - Appraisal:

- (i) Appraisal means the detailed scrutiny by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee of the application and other documents like the Final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings, submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. This appraisal shall be made by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned in a transparent manner in a proceeding to which the applicant shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative. On conclusion of this proceeding, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall make categorical recommendations to the regulatory authority concerned either for grant of prior environmental clearance on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior environmental clearance, together with reasons for the same.
- (ii) The appraisal of all projects or activities which are not required to undergo public consultation, or submit an Environment Impact Assessment report, shall be carried out on the basis of the prescribed application Form 1 and Form 1A as applicable, any other relevant validated information available and the site visit wherever the same is considered as necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.
- (iii) The appraisal of an application be shall be completed by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within sixty days of the receipt of the final Environment Impact Assessment report and other documents or the receipt of Form 1 and Form 1 A, where public consultation is not necessary and the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall be placed before the competent authority for a final decision within the next fifteen days. The prescribed procedure for appraisal is given in Appendix V:

# 7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects—or for the modernization of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product—mix shall be made in Form I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence



necessary including preparation of EiA and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

### 8. Grant or Rejection of Prior Environmental Clearance (EC):

- (i) The regulatory authority shall consider the recommendations of the EAC or SEAC concerned and convey its decision to the applicant within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned or in other words within one hundred and five days of the receipt of the final Environment Impact Assessment Report, and where Environment Impact Assessment is not required, within one hundred and five days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.
- (ii) The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty days.
- (iii) In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.
- (iv) On expiry of the period specified for decision by the regulatory authority under paragraph (i) and (ii) above, as applicable, the decision of the regulatory authority, and the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be public documents.
- (v) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance—of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.
- (vi) Deliberate concealment and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance—already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice.

(43) 4L

# 9. Validity of Environmental Clearance (EC):

The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub paragraph (iv) of paragraph 7 above, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item 1(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities. However, in the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer. This period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of five years provided an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form 1, and Supplementary Form 1A, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule). In this regard the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be.

## 10. Post Environmental Clearance Monitoring:

- (i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year.
- (ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority.

# 11. Transferability of Environmental Clearance (EC):

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance—was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

# 12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27th January. 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule 1, or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding one year from the date of issue of this notification.

#### SCHEDULE

# (See paragraph 2 and 7)

# LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity .		Category with threshold limit		Conditions if any	
	· .	A	В	·	
	1 .	Mining, extraction of natural reproduction capacity)	esources and power gen	eration (for a specified	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1(a)		≥ 50 ha. of mining lease area  Asbestos mining irrespective of inining area  All projects		General Condition shall apply  Note Mineral prospecting (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey  Note Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey	
1(c)	projects  Thermal Power	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area  ≥ .500 MW (coal/lignite/naphta & gas based); ≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels -)	MW hydroelectric power generation; (ii) < 10,000 ha, of culturable command area	General Condition shall	

(45) HG

(1)	(2)		. (3)	(4)	(5)
1(e)	Nuclear projects processing nuclear fuel	and of	All projects		
2				Primary Processing	
2(a)	Coal washer	ies	≥ 1 million ton/annum throughput of coal	throughput of coal	General Condition sha apply (If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal)
2 (b)	Mineral beneficiation	1	≥ 0.1million ton/annum mineral throughput	< 0.1million_ton/annum	
				•	(Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance)
		•			
		. !			**************************************
•		•			
		1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		• !			

[PART II---SEC: 3(ii)]

3		Materials Production		
(1)	(2)		:(4)	(5)
3(a)	Metallurgical industries (terrous)	of rimary metallurgical industry		
	c non remons	All projects		
		b) Sponge from	· .	
			manufacturing	General Condition shall apply for Sponge from
		e/Secondary	200 FPD	manufacturing
	•	_	Secondary metallurgical processing industry	
		All toxic and heavy metal producing units 20,000 tornes.	andheasymetal producing	
		ayuan 27	20.000 tomaes annum	
			ii (All other) gen stoxic secondary = min (lungical) processing rate (0c)	
, ,			25000 tonn2 - main	
<u> </u>	:	·		
3(b) · (	!	production capacity 🔝	<1.0 million C tonnes/annum production a capacity. All Stand alone grinding units	Jeneral Condition shall pply
,		<u>;</u>		

	4		Materials Processing		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4(a)	Petroleum refining industry		-	
***	4(b)	Coke oven plants	≥2,50,000	<2,50,000 &	_
			tonnes/annum	≥25,000 tonnes/annum	
	4(c)	Asbestos milling and asbestos based products		-	-
	4(d)	Chlor-alkali industry		and located within a	apply
		, · .			are exempted from this Notification
	4(e)	Soda ash Industry	All projects		
	4(f)	Leather/skin/hide processing industry	the industrial area or	All new or expansion of projects located within a notified industrial areas estate	
	5	· i	Manufacturing/Fabrica	tion .	
:	5(a)	Chemical fertilizers	All projects		
4	5(b)	and pesticide	All units producing technical grade pesticides		

(1)	(2)	(3)	. (4)		(5)	
5(c)	Petro-chemical	All projects	-	•		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	complexes	-				
*	(industries based	_				
	on processing of					
	petroleum					
:	fractions & natural			•		
ŧ	gas and/or			<b>1</b>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	reforming to					1
	aromatics)			:		
•				· -		
5(d)	Manmade fibres	Rayon	Others	General	Condition	shali
7	manufacturing			apply		
5(e)	Petrochemical	Located out side the		Specific	Condition	shall
	hased processing	notified industrial area/	industrial area/ estate	apply		
:	(processes other					
e, i	than cracking &				·	
	reformation and					
	not covered under	E	* .	i		
;.	the complexes)					
5	1		,			
E/D ::	Synthetic organic	Located out side the	Located in a notified	Specific	Condition	shall
5(f)	chamicals industry	notified industrial area/	industrial area/ estate	apply	•	
1	(dyes & dye	estate .		:		
	intermediates; bulk	•				
	drugs and		·			
. :	intermediates			.)	-	
	excluding drug					
	formulations:		`			
	synthetic nubbers;			i		
	basic organic		. ,			
	. –					
. <del>-</del>		1				
	synthetic organic			-		
	chemicals and	-				
:	chemical			İ		
	intermediates)		,	İ	-	
			ſ l			•
·		(1) 11 Malagna hagasi	All Cane inice/non-	General	Condition	shall
5(g)	Distilleries		All Cane juice/non- molasses based distilleries	angly		
	<u>}</u>	distilleries	i iliolasses vasca distinction	-5.1-13		
		l erry 111 Comp inligat	<30 KLD	1	•	
		(ii) All · Cane juice/	/ つり 次にい	<u>.</u>		
	j	non-molasses based	!			
		distilleries ≥30 KLD		1		
	1	!		i		
	· .			) )		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>	4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Condition	shall
5(h)	'Integrated paint		All projects	General	Condition	211011
, , , , ,	industry			appiy		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5(i)	Pulp & paper industry excluding manufacturing of paper from waste paper and	Pulp manufacturing and Pulp& Paper, manufacturing industry	Paper manufacturing industry without pulp manufacturing	General Condition apply	shall
١	manufacture of paper from ready pulp with out bleaching	l .	•	•	
5(j)	Sugar Industry .	-	≥ 5000 tcd cane crushing capacity	General Condition apply	shall
5(k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more	-	All projects	General Condition apply	shall
6		Service Sectors	. 1		:
6(a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks /sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal				

		THE GAZETTE OF IND		Tranti — Sic. Strij
1/13	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) (h)	Isolated storage &		All projects	General Condition shall
6(b)	handling of		An projects	apply
	hazardous		,	THE V
	chemicals (As per	•	•	<u> </u>
	threshold planning			
,	quantity indicated			
	in column 3 of			.
;	schedule 2 & 3 of		·	j
•	MSIHC Rules			
	1989 amended			
٠.	2000)		٠.	
÷	2000)			
		<del>                                     </del>		
7		Physical Infrastructure	including Environmental	Services
		a my witter and there was the w		
7(a)	Air ports	All projects	<u> </u>	[
/(a)	Till ports	p		<b>i</b> '
:				i I
7(b)	All ship breaking	All projects	_	i-
14	yards including			
1	ship breaking units			, I
:	omp oreaking units	•		
7(6)	Industrial estates!	If at least one industry	-Industrial estates housing	Special condition shall apply
7(c)	parks/ complexes/	in the proposed	at least one Category B	L. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.
	areas, export	industrial estate falls	industry and area. <500	Note:
1		under the Category A,		Industrial Estate of area
	(EPZs), Special	entire industrial area		below 500 ha, and not
:	Fronomic Zones	shall be treated as		housing any industry of
	(SEZs), Biotech			category A or B does not
ŧ		irrespective of the area.		require clearance.
	Complexes.			!
	Complexes.	industrial estates with		
		area greater than 500	:	
•	1.		Industrial estates of area>	
••		one Category B	ì	
		industry.	any industry belonging to	
ø.		•	Category A or B.	
:			,	
•	. '			
7(d)	Common	All integrated facilities	All facilities having land	General Condition shall
y (ea)	hazardous waste		fill only	apply .
•	treatment, storage			
	and disposal	incineration alone		·
:	facilities (TSDFs)			<b> </b> ·
	120111103 (101513)	1		i 
•	4.	,		
	1	•		!
;				
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1

(1)	(2)	(3)	(4)		5) :	
7(e)	Ports, Harbours	≥ 5 million TPA of cargo handling	handling capacity and/or	apply	ndition s	shal
		capacity (excluding fishing harbours)	TPA of fish handling capacity			
		3	(i) Now Ctate High ways:	General: Co	ndition :	sha
7(f)	Highways	ways; and	i) New State High ways; and	apply	i i	J
	•				;	
		ii) Expansion of	ii) Expansion of National			
		National High Ways	/ State Highways greater than 30 km involving		•	
		involving additional	additional right of way			
		right of way greater	greater than 20m			
		than 20m involving	involving land acquisition.	]	:	
		land acquisition and passing through more than one State.		.	•	
		than one State.		-	·,	
			٠.			
7(g)	Aerial ropeways	<u> </u>	All projects	General Co	ndition	sha
/(g)	) John Topa aya			apply	<u> </u>	
7(h)	Common Effluent		All projects	General Co apply	ndition :	sha
	Treatment Plants (CETPs)			-		
			,		:	
7(i)	Common .		All projects	General · Co	ndition?"	sha
/(1)	Municipal Solid			apply	•	
	\ \Lanagement				-	
	Facility	`			:	
	(CMSWMF)	•			;	
	4				ı	
					.;	
						-
		•		1	1	
	j					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		Building /Constructio	n projects/Area Developme	nt projects and Townships
8(a)	Building and Construction projects	•	≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built-up area#	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
·8(b)	Townships and Area Development projects.	•.		*All projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1

#### Note:-

#### General Condition (GC):

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries.

#### Specific Condition (SC): .

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

[No. J-11013/56/2004-IA-II(I)] R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

#### APPENDIX I

(See paragraph - 6)

#### FORM I

#### (I) Basic Information

Name of the Project:

Location / site alternatives under consideration:

Size of the Project: \*

Expected cost of the project:

Contact Information:

Screening Category:

• Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.,)

#### (II) Activity

1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)

S.No.		Yes/No	Details thereof approximate quantities wherever possible) with of information data	(with /rates, source
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)			· · · / · · ·
1.2	Clearance of existing land, vegetation and buildings?			
1.3	Creation of new land uses?		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
1.4	Pre-construction investigations e.g. bore houses, soil testing?			
1.5	Construction works?			
1.6	Demolition works?			
1.7	Temporary sites used for construction works, or housing of construction workers?			
8.1	Above ground buildings structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations			
1.9	Underground works including mining or tunneling?	l		-
1.10	Reclamation works?			
1.11	Dredging?			
1.12	Offshore structures? .			
1.13	Production and manufacturing processes?	٠		

<b>*</b>		
1.14	Facilities for storage of goods or materials?	
1.15	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid efficients?	
1.16	Facilities for ing term housing of operational workers?	
1.17	New road, rail or sea traffic during construction or operation?	
1.18	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and tations, ports, airports etc?	
1,19	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?	
1.20	New or diverted transmission lines or pipelines?	• .
1.21	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the	
. 1.22	hydrology of watercourses or aquifers?	. ,
1.22	Stream crossings?	
1.23	<ul> <li>Abstraction or transfers of water form ground for surface waters?</li> </ul>	
1.24	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?	
1 25	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?	
1.26	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works."	
. 1.27	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?	
.28	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?	
1.29	Introduction of alien species?	
1.30	Loss of native species or genetic diversity?	
1 31	Any other actions?	

2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply);

1			Details thereof (with
			approximate quantities /rates,
S.No.	Information/checklist confirmation	Yes/No	wherever possible) with source
± *			of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural	,	
* *	land (ha)		·

[भाग ][—	खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र :	असाधारण					55
2.2	Water (expected source & competing users unit: KLD	)		<u></u>	·		
2.3	Minerals (MT)		.	. ,			
2.4	Construction material – stone, aggregates and / soil (expected source – MT)	,		•		i i	•
2:5	Forests and timber (source – MT)				·		
2.6	Energy including electricity and fuel (source, competing users) Unit: fuel (MT) energy (MW)	,		·		.7	
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)	<u> </u>	] :	-ubetanoas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data.
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MS!HC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients. children, the elderly etc.,		
3.5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or decommissioning (MT/month)

·			1	Details thereo: (with
		٠.		approximate
S.No.	Information/Checklist confirmation		Yes/No	quantities/rates, wherever possible) with surce of
				information data
4.1	Spoil, overburden or mine wastes			
			1	,

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>
4.2		Municipal waste (domestic and or commercial		
:		wastes)		
4.3		Hazardous wastes (as per Hazardous Waste		
-		Management Rules)		
4.4	, ,	Other industrial process wastes		`
	•	•	•	
4.5		Surplus product		
		Surprus product		
4.6		Sewage sludge or other sludge from effluent		
		treatment		
4.7		Construction or demolition wastes	,	
	<u>:</u> ::			,
				,
4.8		Redundant machinery or equipment		
1			!	
<u> </u>				
4.9		Contaminated soils or other materials		
:	- 3			į
:				
4.10	-	Agricultural wastes	·	,
4.11	:	Other solid wastes		
~				
i		` .		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or novious substances to air (Kg/hr)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste	1	

٠		• ~	
1	/_	7//	
1	9	17	
`.	_		

			<u> </u>					 			
5.6	Emissions from incineration of waste	<u> </u>		<u>.</u>	·	ļ		 			
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g.		•	•		-	·		to.		
3.7	slash materials, construction debris)	İ				<u> </u>		 	· · · · · ·	<u> </u>	
- O	Emissions from any other sources	Τ				Í				:	
5.8	Emissions nom any other sources					1					
İ	·	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				<del></del>		 			

# 6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers		
6.2	From industrial or similar processes		
•			,
6.3	From construction or demolition		
6.4	From blasting or piling		:
6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or coeling systems		
6.7	From any other sources		

7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

S.No.	Information/Checklist confirmation	·Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)		
7.3 🗧	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water		
7.4 <u>;</u>	From any other sources		
7.5 ;	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

S	S.No		Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of
					information data
8	. 1	5	From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances		
8	.2	*	From any other causes		
8	.3		Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g. floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		
		· ·			

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts—with other existing or planned activities in the locality

 S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof approximate quantities/rates, whe possible) with sour information data	
9.1	Lead to development of supporting.  lities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.:			•
	<ul> <li>Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.)</li> </ul>	• . `		
	housing development			•
	extractive industries			•
	supply industries			
	• other	•	: i	
9.2	Lead to after-use of the site, which could have an impact on the environment			
9.3	Set a precedent for later developments		.3	
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		,	· .

### (III) Environmental Sensitivity

S.No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		

[PART II—SEC. 3(ii)]

						_
2		Areas which are important or sensitive for				
		ecological reasons - Wetlands, watercourses or			,	
		other water bodies, coastal zone, biospheres,				
		mountains, forests			•	
3		Areas used by protected, important or sensitive				
!		species of flora or fauna for breeding, nesting,			<u>.</u>	
		foraging, resting, over wintering, migration				
	•					
				•		
. 4		Inland, coastal, marine or underground waters				
· ·		india, soustai, marije or undergreand waters				
5	•	State, National boundaries	<b></b>			•
•				•		
6		Routes or facilities used by the public for access			:	
,		to recreation or other tourist, pilgrim areas				
	:					
7	•	Defence installations				
					<u> </u>	
8	:	Densely populated or built-up area				
					:	
9	·•	Areas occupied by sensitive man-made land uses				$\dashv$
	. •	Thospitals, schools, places of worship, community		٠.	: I	
		(acilities)			<u>.</u> .	i
		,			ŧ	
T	.: . <u></u>				: :	i
10		Areas containing important, high quality or scarce				
	;	resources			``````````````````````````````````````	
	:	(ground water resources, surface resources,			•	İ
•	:,	forestry, agriculture, Jisheries, tourism, minerals)			*	
T 1						
11		Areas already subjected to pollution or			•	ĺ
	:	environmental damage. (those where existing legal				
12	-1	environmental standards - are exceeded)				
12	,	Areas susceptible to natural hazard which could	•	,		
1.	5	cause the project to present environmental	•	•	! !	1
	•	problems			·	
		(carthquakes, subsidence, landslides, crosion,	•			ļ
	,	flooding .			• •	-
		or extreme or adveres climatic conditions)				

# (IV). Proposed Terms of Reference for EIA studies

# 6/) to

#### APPENDIX II

(See paragraph 6)

FORM-1 A (only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)
CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)

#### 1. LAND ENVIRONMENT

(Attach panoramic view of the project site and the vicinity)

- 1.1. Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Propose I landuse must, conform to the approved Master Plan I Development Plan of the area, Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii) the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.
- 1.2. List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.
- 1.3. What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).
- 1.4. Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc may be given).
- 1.5. Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)
- 1.6. What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc.. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)
- 1.7. Give details regarding water supply, waste handling etc during the construction period.
- 1.8. Will the low lying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)
- 1.9. Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)

#### 2. WATER ENVIRONMENT

2.1. Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement met? State the sources & quantities and furnish a water balance statement.

- 2.2. What is the capacity (dependable flow or yield) of the proposed source of water?
- 2.3. What is the quality of water required, in case, the supply is not from a municipal source? (Provide physical, chemical, biological characteristics with class of water quality)
- 2.4. How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)
- 2.5. Will there be diversion of water from other users? (Please assess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)
- 2:6. What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)
- 2.7. Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the facilities created.
- 2:8. What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?
- 2.9. What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if also
- 2.10. What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)
- 2.14. How is the storm water from within the site managed? (State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)
- $2.1_{\odot}^{o}$ . Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)
- 2.13. What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generation, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)
- 2.14. Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.

#### 3. VEGETATION

3.15 Is there any threat of the project to the biodiversity? (Clive a description of the local ecosystem with it's unique features, if any):

- 3.2. Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)
- 3.3. What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)

#### 4. FAUNA

- 4.1. Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details.
- 4.2. Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details.
- 4.3. Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna

#### 5. AIR ENVIRONMENT

- 5.1. Will the project increase atmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)
- 5.2. What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? Give details in relation to all the meteorological parameters.
- 5.3. Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.
- 5.4. Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category:
- 5.5. Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.
- 5.6. What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.

#### 6. AESTHETICS

- 6.1. Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?
- 6.2. Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?
- 6.3. Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.
- 6.4. Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed site have been considered.

#### 7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

7.1. Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.

- 7.2. Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.
- 7.3. Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?

#### 8, BUILDING MATERIALS

- 8.1. May involve the use of building materials with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)
- 8:2. Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?
- 83. Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?
- 8.4. Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.

#### 9. ENERGY CONSERVATION

- 9.1. Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?
- 9.2. What type of, and capacity of, power back-up to you plan to provide?
- 9.3. What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?
- 9.4. What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.
- 9.5. Does the layout of streets & buildings maximise the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.
- 9.6. Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been effected?
- 9.7. Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.
- 9.8. What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?



- 9.9. What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.
- 9.10. What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.
- 9.11. If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.
- 9.12. What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.
- 9.13. To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.

## 10. Environment Management Plan

The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.

#### APPENDIX III

#### (See paragraph 7

# GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSENT DOCUMENT

S.NO	EIA STRUCTURE	CONTENTS	<u> </u>
1.	Introduction	Purpose of the report	
		Identification of project & project proponent	-
		Brief description of nature, size, location of the and its importance to the country, region	projec
	:	• Scope of the study – details of regulatory scoping out (As per Terms of Reference)	carried
.2.	Project Description	Condensed description of those aspects of the (based on project feasibility study). likely to environmental effects. Details should be provided	i caus
		clear picture of the following:	٠.
		Type of project	:
			:

	1			
<del></del>	•	Size or magnitude of operation (incl. Associated)		
		activities required by or for the project		
*	1 . <b>1</b>	activities required by or for the project		
•				
	Ť	Proposed schedule for approval and implementation		
:	7			
•		Technology and process description		
:	`,	• recombingly and process description		
	<b>4</b> ·			
		Project description. Including drawings showing project		
- F	1	layout, components of project etc. Schematic		
i		representations of the feasibility drawings which give		
	!			
		information important for EIA purpose		
÷ .				
:	<u> </u>	Description of mitigation measures incorporated into		
		Description of infligation measures incorporated and		
		the project to meet environmental standards, environmental		
1		operating conditions, or other EIA requirements (as		
	· .	required by the scope)		
		required by the scope)		
		Assessment of New & untested technology for the risk		
		of technological failure		
, ,				
:		Study area, period, components & methodology		
· 3.	Description of the	• Study area, period, components & memodology		
;	Environment			
		Establishment of baseline for valued environmental		
÷.		components, as identified in the scope		
		Components, as recommend		
•	<b>3.</b>	o il a manufal componente		
.···	•	Base maps of all environmental components		
•	1	:		
	1			
- <del>3</del>	Anticipated	Details of Investigated Environmental impacts due to		
<del>.</del> <del>.</del> 4.	Anticipated	Details of Investigated Environmental impacts due to		
4:	Environmental Impacts	Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project		
4:	Environmental Impacts	Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or		
4:	Environmental Impacts	Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or		
4:	Environmental Impacts	Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project		
4:	Environmental Impacts	Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project		
4:	Environmental Impacts	Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project     Measures for minimizing and / or offsetting adverse		
40	Environmental Impacts	Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project		
4:	Environmental Impacts	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance, Assigning significance)</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> <li>In case, the scoping exercise results in need for</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives (Technology	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> <li>In case, the scoping exercise results in need for alternatives:</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives (Technology	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> <li>In case, the scoping exercise results in need for</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> <li>In case, the scoping exercise results in need for alternatives:</li> <li>Description of each alternative</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> <li>In case, the scoping exercise results in need for alternatives:</li> <li>Description of each alternative</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> <li>In case, the scoping exercise results in need for alternatives:</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> <li>In case, the scoping exercise results in need for alternatives:</li> <li>Description of each alternative</li> <li>Summary of adverse impacts of each alternative</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> <li>In case, the scoping exercise results in need for alternatives:</li> <li>Description of each alternative</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> <li>In case, the scoping exercise results in need for alternatives:</li> <li>Description of each alternative</li> <li>Summary of adverse impacts of each alternative</li> <li>Mitigation measures proposed for each alternative and</li> </ul>		
4:	Environmental Impacts & Mitigation Measures  Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul> <li>Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>Mitigation measures</li> <li>In case, the scoping exercise results in need for alternatives:</li> <li>Description of each alternative</li> <li>Summary of adverse impacts of each alternative</li> </ul>		

6.	Environmental Monitoring Program	• Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget & procurement schedules)
7.	Additional Studies	<ul> <li>Public Consultation</li> <li>Risk assessment</li> <li>Social Impact Assessment. R&amp;R Action Plans</li> </ul>
8.	Project Benefits	<ul> <li>Improvements in the physical infrastructure</li> <li>Improvements in the social infrastructure</li> <li>Employment potential -skilled; semi-skilled and unskilled</li> <li>Other tangible benefits</li> </ul>
9.	Environmental Cost Benefit Analysis	If recommended at the Scoping stage
10.	ЕМР	Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA
11	Summary & Conclusion (This will constitute the summary of the EIA Report)	Explanation of how adverse effects have been mitigated
12.	Disclosure of Consultants engaged	The names of the Consultants engaged with their brief resume and nature of Consultancy rendered

# APPENDIX III A (See paragraph 7)

# CONTENTS OF SUMMARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The Summary EIA shall be a summary of the full EIA Report condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should necessarily cover in brief the following Chapters of the full EIA Report:

- 1. Project Description
- 2. Description of the Environment
- 3. Anticipated Environmental impacts and mitigation measures
- 4. Environmental Monitoring Programme
- 5. Additional Studies
- 6. Project Benefits
- 7. Environment Management Plan

PART II—Sec. 3(ii)]

#### APPENDIX IV

(See paragraph 7)

## PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District—wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

#### 2.0 The Process:

- The Applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is extending beyond a State or Union Territory, the public hearing is mandated in each State or Union Territory in which the project is sited and the Applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.
- The Applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the Ministry of Environment and Forests and to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:
  - (a) District Magistrate/s
  - (b) Zila Parishad or Municipal Corporation
  - (c) District Industries Office
  - (d) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests
- On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over. The Ministry of Environment and Forests shall promptly display the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report on its website, and also make the full draft EIA available for reference at a notified place during normal office hours in the Ministry at Delhi.
- 2.4 The SPCB or UTPCC concerned—shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or panchayats etc. They shall also additionally

make available a copy of the draft. Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices viz. Ministry of Environment and Forests. District Magistrate etc.

#### 3.0 Notice of Public Hearing:

- The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7(seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily. A minimum notice period of 30(thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses:
- 3.2 The advertisement shall also inform the public about the places—or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing.
- 3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee:
- 3.4 In the above exceptional circumstances fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member –Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

#### 4.0 The Panel

4.4 The District Magistrate or his of her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

#### 5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

#### 6.0 Proceedings

- 6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.
- There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.
- 6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.
- 6.4 Every person present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the Applicant. The summary of the public

hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

- A Statement of the issues raised by the public and the comments of the Applicant shall also be prepared in the local language and in English and annexed to the proceedings:
- The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate and the SPCB or UTPCC. The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings which may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the Applicant concerned.

### 7.0 Time period for completion of public hearing

- The public hearing shall be completed within a period of 45 (forty five) days from date of receipt of the request letter from the Applicant. Therefore the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within 8(eight) days of the completion of the public hearing. The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations.
- 17.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45(forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this notification.

# APPENDIX -V (See paragraph 7)

#### PROCEDURE PRESCRIBED FOR APPRAISAL

- 1. The applicant shall apply to the concerned regulatory authority through a simple communication enclosing the following documents where public consultations are mandatory:
- Final Environment Impact Assessment Report [20(twenty) hard copies and I (one) soft copy)]
- A copy of the video tape or CD of the public hearing proceedings
- A copy of final layout plan (20 copies)
- A copy of the project feasibility report (1 copy)
- 2. The Final EIA Report and the other relevant documents submitted by the applicant shall be scrutinized in office within 30 days from the date of its receipt by the concerned Regulatory Authority strictly with reference to the TOR and the inadequacies noted shall be communicated electronically or otherwise in a single set to the Members of the EAC

/SEAC enclosing a copy each of the Final EIA Report including the public hearing proceedings and other public responses received along with a copy of Form 1A and scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the proposal.

- 3. Where a public consultation is not mandatory and therefore a formal EIA study is not required, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form I and a pre-feasibility report in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule. In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle, the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and stipulate the conditions for environmental clearance. As and when the applicant submits the approved scheme /building plans complying with the stipulated environmental clearance conditions with all other necessary statutory approvals, the EAC /SEAC shall recommend the grant of environmental clearance to the competent authority.
- 4. Every application shall be placed before the EAC /SEAC and its appraisal completed within 60 days of its receipt with requisite documents / details in the prescribed manner.
- 5. The applicant shall be informed at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the project proposal.
- 6. The minutes of the EAC /SEAC meeting shall be finalised within 5 working days of the meeting and displayed on the website of the concerned regulatory authority. In case the project or activity is recommended for grant of EC, then the minutes shall clearly list out the specific environmental safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.

#### APPENDIX VI

(See paragraph 5)

COMPOSITION OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACs) FOR CATEGORY B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT


1. The Expert Appraisal Committees (EAC(s) and the State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria:

Professional: The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA/MSc Degree, or (ii) in case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal training in a professional training course together with prescribed practical training in the field leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. Law) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/article ship and pass examinations conducted by the concerned professional association (e.g. Chartered Accountancy), or (v) a University degree, followed by 2 years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/IAS/IFS). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of:

Expert: A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least-15 years of relevant experience in the field, or with an advanced degree (e.g. Ph.D.) in a concerned field and at least 10 years of relevant experience.

Age: Below 70 years. However, in the event of the non-availability of 'paucity of experts in a given field, the maximum age of a member of the Expert Appraisal Committee may be allowed up to 75 years

- C
- 2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields /disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of "Experts" are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:
- Environment Quality Experts: Experts in measurement/monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality
- Sectoral Experts in Project Management: Experts in Project Management or Management of Process/Operations/Facilities in the relevant sectors.
- Environmental Impact Assessment Process Experts: Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process
- Risk Assessment Experts
- Life Science Experts in floral and faunal management
- Forestry and Wildlife Experts
- Environmental Economics Expert with experience in project appraisal.
- 3. The Membership of the EAC shall not exceed 15 (fifteen) regular Members. However the Chairperson may co-opt an expert as a Member in a relevant field—for a particular meeting of the Committee.
- 4. The Chairperson shall be an outstanding and experienced environmental policy expert or expert in management or public administration with wide experience in the relevant development sector.
- 5. The Chairperson shall nominate one of the Members as the Vice Chairperson who shall preside over the EAC in the absence of the Chairman /Chairperson.
- 6. A representative of the Ministry of Environment and Forests shall assist the Committee as its Secretary.
- 7. The maximum tenure of a Member, including Chairperson, shall be for 2 (two) terms of 3 (three) years each.
- 8. The Chairman / Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.





# The Gazette of India

#### EXTRAORDINARY

भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

246 GI/2009

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2009/पौष 29, 1930

No. 116]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2009/PAUSA 29, 1930

#### 'पर्यावरण और वन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2009

का.आ. 195(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में कतिपय संशोधन करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर डाक द्वारा लिखित में सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सम्बोधित करक या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता-secy-moet@nic.in पर ऐसा कर सकेगा।

# प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) के अधीन. संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यह निदेश देती है कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या क्रिया-कलापों का अंपेक्षित सिन्नर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रिया-कलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी और या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार से या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा;

और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उक्त अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन किया गया है ;

और राज्य स्तर पर्यावरण समाघात विजिला प्राधिकरण की अधिसूचना के लिए राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में हुए विलंब के परिणामस्वरूप अनुसूची के प्रवर्ग 'ख' की अनेक परियोजनाओं का केन्द्रीय स्तर पर आकलन किया जाना जारी है;

और अनेक परियोजनाएं निर्देश निबंधन हेतु लंबित हैं ,

और अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन के विषय में पिछले दो वर्ष के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर निर्देश निबंधनों और पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया को और सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि किसी क्षेत्र में किसी प्रसंस्करण या प्रचालन में लगे किसी उद्योग पर प्रतिषेध या निर्वधन अधिरोपित किया जाना चाहिए तो वह ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगी;

अतः अब केन्द्रीय सराकर उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पिटत उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) ओर उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम; 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार यह प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित करती है जो उक्त अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से ही उसमें निम्नलिखित संशोधन करेगी, अर्थात :--

# उक्त अधिसूचना मे,--

(I) पैरा 2 में, उपपैरा (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"तथापि प्रदूषण भार में किसी वृद्धि के बिना या किसी अतिरिक्त जल या भूमि अपेक्षा के बिना आधुनिकीकरण या विस्तार प्रस्तावों इस अधिसूचना के उपबंध से छूट प्राप्त हैं:

परन्तु यह उल्लेख करते हुए कि प्रस्ताव में अतिरिक्त प्रदूषण भार, अपशिष्ट उत्पादन या जल अपेक्षा अंतर्विष्ट नहीं होगा, स्व प्रमाणपत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनियामक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।";

- (II) पैरा 2 के उपपेरा (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
  - "(7) एसईआईएए के सभी विनिश्चय बैठक में बहुमत द्वारा लिए जाएंगे ।";

(III) पैरा 4 के उपपैरा (iii) में, "सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी की अनुपस्थिति में कोई प्रवर्ग 'ख' परियोजना प्रवर्ग 'क' परियोजना समझी जाएगी" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी के अभाव में प्रवर्ग 'ख' परियोजना केन्द्रीय स्तर पर समझी जाएगी। तथापि प्रवर्ग 'ख' परियोजनाएं इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के विस्तार तक छूट प्राप्त होगी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

- (IV) पैरा 7(i) में लोक परामर्श से संबंधित प्रक्रम (3) के उपपैरा (iii) के खंड (i) में,—
  - (i) मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(गग) निष्कर्षण परन्तु निष्कर्षित सामग्री का निपटानं या ढेर पत्तन सीमाओं के भीतर किया जाएगा।";

- (ii) मद (घ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--
  - "(घ) सभी भवन या संन्निर्माण परियोजनाएं या क्षेत्र विकास परियोजनाएं (जिसके अंतर्गत कोई प्रवर्ग 'क' परियोजनाएं या क्रियाकलाप नहीं है) और नगरीय परियोजनाएं (मद 8) ।";
- (V) विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण के परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया से संबंधित पैरा 7(ii) के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"तथापि 50 प्रतिशत से अधिक की उत्पादन की वृद्धि वाली विस्तारण परियोजनाओं की दशा में लोक परामर्श करना अनिवार्य होगा और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।'';

- (VI) पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति को मानिटर करने से संबंधित पैरा 10 में,-
  - (क) विद्यमान उपपैरा (i) को उपपैरा (ii) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपपैरा (ii) के पूर्व निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया नाएगा, अर्थात् :--
  - "(i) परियोजना प्रस्तावक के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह पर्यावरणीय शर्तों और रक्षोपाय सिंहत अपनी परियोजना के लिए अनुदत्त पर्यावरणीय अनापित को अपने खर्चे पर उस जिले या राज्य के, जहां परियोजना अवस्थित है कम से कम दो स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापित करके सार्वजनिक करें । यथास्थिति, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण भी पर्यावरणीय अनापित को सरकारी पोटल पर लोक क्षेत्र में रखेगा । इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय अनापित की प्रतियां

सरकार के सुसंगत कार्यालयों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगरपालिका निकायों के प्रधानों को भी पृष्ठांकित की जाएगी";

(ख) विद्यमान उपपेरा (ii) को उपपेरा (iii) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।
(VII) अनुसूची में -

(i) मद 1(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(क)	(i) खनिजों का खनन्।	गैर कोयला खान	· ·	साधारण शर्त लागू
		पट्टे के संबंध में	पट्टे के संबंध में	होगी।
V .	(ii) 'पारिस्थितिकीय रूप	खनन पट्टा क्षेत्र	>50 हैक्टेयर	
		का ≥ 50 है0 ।	≥5 हैक्टेयर	टिप्पण : खनिज
1	राष्ट्रीय उद्यानों/पक्षी		खनन पट्टा क्षेत्र	पूर्वेक्षण को छूट
	0 = 1 1 1 1 1 1 1 1			दी जाती है।";
	होकर गुजरने वाली पतली	के संबंध में खनन	कोयला खान	
	पाइप लाइनें (कोयला	पट्टा क्षेत्र का	पट्टे के संबंध में	
::	लिग्नाइट और अन्य		खनन पट्टा क्षेत्र	,
1	अयस्क)	•	का ≤150	
1 :		खनन क्षेत्र पर ध्यान	हैक्टेयर ≥5 है0 ।	
		दिए बना एसवेस्टोज		1
		खनन् ।		

(ii) मद 1(ग) के सामने स्तंभ (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

# "साधारण शर्त लागू होगी।

टिप्पण : जल मग्नता या अंतरराज्यिक क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को एसईआईएए द्वारा प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के रूप में निर्धारित किया जाएगा ।";

# (iii) मद 1(घ) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

 $\frac{\overline{77}}{7}$ 

"≥500 मेगावाट (कोयला लिगनाइट/नेफ्था गैस आधारित) ; ≥50 मेगावाट (पेट कोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन बायोमास के सिवाय) ;

>50 मेगावाट (ईंधन के रूप में बायोमास पर आधारित) ;

- (ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंग़ी, अर्थात् :--
- "50 मेगावाट (कोयला लिगनाइट/नेफ्था गैस आधारित) ;
- < 50 मेगावाट ≥5 मेगावाट (पेट कोक, डीजल और सभी अन्य ईंघन बायोमास के सिवाय) ।";
- (ख) स्तंभ (5) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--"साधारण शर्त लागू होगी ।

#### टिप्पण:

- (i) बायोगास आधारित और कोयला/लिगनाइट/ 15 प्रतिशत तक पेट्रोलियम उत्पाद जैसे आक्नीलरी ईंधन का उपयोग करके 50 मेगावाट तक विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त है ।
- (ii) गैर परिसंकटमय नगरपालिका अपशिष्ट आधारित 50 मेगावाट तक विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त हैं ।
- (iii) किसी एक्जलरी ईंधन के बिना अपशिष्ट ऊष्म बायलर का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त हैं।";
- (iv) मद 3(क) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"साधारण शर्त लागू होगी।

#### टिप्पण:

(i) एचएसएम नियमों के अंतर्गत आने वाली पुनःचक्रण औद्योगिक यूनिटें जिनके लिए रिजस्ट्रीकरण अपेक्षित हैं छूट प्राप्त हैं ।

- (ii) गौण धातुकर्म प्रसंस्करण औद्योगिक इकाईयों की दशा में केवल वे परियोजनाएं जिनमें भट्टियों का प्रचालन अंतर्वलित है जैसे कि प्रेरण और विद्युत आर्क भट्टी, सवमर्ज आर्क भट्टी पूर्व उष्म भट्टी, पांच टन से अधिक उष्मता क्षमता वाली गुम्बदी और कोठाली भट्टी को पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी।
- (iii) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (अपरिसंकटमय) पर आधारित संयंत्र/इकाईयां छूट प्राप्त है ।'';
- (v) मद 4(ख) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण शर्ते लागू होंगी।";

- (vi) मद 4(घ) के सामने,-
  - (क) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--
  - "(i) आकार पर ध्यान दिए। विना सभी परियोजनाएं यदि वे अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित हैं ।
  - (ii) <300 टीपीडी और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित।";
  - (ख) स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्ते लागू होंगी।";

(vii) मद 4(च) के सामने स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्ते लागू होंगी।";

- (viii) मद 5(क) के सामने,-
- (क) स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

. भाग II—खण्ड 3(ii)]

"सभी परियोजनाएं, एकल सुपर फास्फेट को छोड़कर ।";

- (ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--"एकल सुपर फास्फेट।";
- (ix) मद 5(ङ) के सामने स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्ते लागू होंगी।";

(x) मद 5(च) के सामने, स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी।";

- (xi) मद 5(ट) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xii) मद 7(क) के सामने,-
  - (क) स्तंभ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"सभी परियोजनाएं, जिनके अंतर्गत ऐसी वायु पट्टियां भी हैं जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं।";

(ख) रतभ (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

#### "टिप्पण:

- ऐसी वायु पिट्ट्यां जिनमें बंकर/पुनःईंधन भरण सुविधा सम्मिलित नहीं है और/या वायुमार्ग यातायात नियंत्रण छूट प्राप्त हैं।
- 2. विमान पत्तन का आधुनिकीकरण छूट प्राप्त है परन्तु प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं है ।";

(xiii) मद 7(ग) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी।

#### टिप्पण:

- 500 हे0 से कम क्षेत्र वाली औद्योगिक संपदा जिसमें प्रवर्ग क या प्रवर्ग ख का कोई उद्योग स्थित नहीं है को अनापत्ति अपेक्षित नहीं है ।
- यदि क्षेत्र 500 हे0 से कम है किन्तु उसमें >50,000 वर्गमीटर के भवन और संन्निर्माण परियोजनाएं और/या 100 हे0 से अधिक विकास क्षेत्र अंतर्विष्ट है तो उसे यथास्थिति कार्यकलाप 8(क) या 8(ख) माना जाएगा

# (xiv) मद 7(ङ) के सामने,-

(क) स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:--

"पत्तन, बंदरगाह, तरंग रोध, तलकर्षण ।";

(ख) स्तंभ (5), में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :-

" साधारण शर्त लागू होगी ।

#### टिप्पण:

पत्तन या बंदरगाह और जलान्तराल के अंदर और बाहर झमाई शामिल हैं।"

(xv) मद 7 (च) के सामने स्तंभ (4), की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी की जाएगी, अर्थात् :--

"पहाड़ी क्षेत्रों या पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की सभी राज्य राजमार्ग परियोजनाएं और राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं ।";

(xvi) मद संख्या 7 (छ) के सामने -

(क) स्तंभ (3), में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--



- " (i) 1000 मीटर और इससे ऊपर की ऊचाई पर स्थित सभी परियोजनाएं
  - (ii) अधिसूचित पारिस्थितिक क्षेत्रों में स्थित सभी परियोजना ।";
- (ख) स्तंभ (4), में प्रविष्टि के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : -" स्तंभ (3), में आने वाली परियोजनाओं के सिवाय सभी परियोजनाएं ।";

(xvii) मद 8(क) के सामने स्तंभ (4), की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :--

"≥ 5000 वर्ग मीटर और
<150000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र #.";</p>

(xviii) मद 8(ख), के सामने स्तंभ (4), प्रविष्टि के "≥ 50 हैक्टेयर" के स्थान पर "≥100 हैक्टेयर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(xix) अनुसूची के पश्चात् टिप्पण में साधारण शर्त (सा. श.) से संबंधित उपशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रदर्ग 'ख' में विनिर्दिष्ट कोई परियोजना या क्रियाकलाप प्रवर्ग 'क' के रूप में समझा जाएगा यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र ; (ii) समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र है ; (iii) पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जैसे महाबलेश्वर, पंचगनी, मथेरन, पंचमढ़ी दहानू, दून घाटी, आदि और (iv) अर्तराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 10 कि.मी. के भीतर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवस्थित हैं :

परंतु अंतरराज्यीय सीमाओं की 10 कि.मी.की दूरी से संबंधित अपेक्षा को, एक ही सीमा के संबद्ध राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के बीच करार द्वारा कम किया जा सकता है या पूरी तरह से हटाया जा सकता है।

(VIII) परिशिष्ट 1 के प्ररूप 1 में, --

- (क) आधारभूत जानकारी से संबंधित मद (I) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
  - "(I) आधारभूत जानकारी

क्रम संख्या	मव .	ब्योरे
1.	परियोजना/परियोजनाओं का नाम	
2.	अनुसूची में क्रम संख्या	
3.	प्रस्तावित क्षमता/क्षेत्र/लंबाई /उपयोग किए जाने वाले	
	टन/समादेश क्षेत्र/पट्टाक्षेत्र/निष्कर्षी कुओं की तंख्या	
4.	नया/विस्तार/आधुनिकीकरण	
5.	विद्यमान क्षमता/क्षेत्र आदि	
6.	परियोजना का प्रवर्ग अर्थात् 'क' या 'ख'	
7.	क्या इसे साधारण शर्त लागू होती है ? यदि हां, तो	
	कृपया विनिदिष्ट करें।	
8. ;	क्या इसे विनिर्दिष्ट शर्त लागू होती है ? यदि हां, तो	,
	कृपया विनिदिष्ट करें।	
, 9.	स्थान .	
	प्लाट/सर्वे/ खसरा सं0	•
	ग्राम	
	तहसील	
	जिला	
i.	राज्य	
, 10.	आवेदक का नाम	
11.	रजिस्ट्रीकृत पता	
12.	पत्राचार कां पता	
	नाम	•
	पदनाम (स्वामी/भागीदार/सीई ओ)	•
	पता	
	पिन कोड	·.
	ई मेल	
	दूरभाष सं	
	फैक्स सं0	
13.	जांच की गई अनुकल्पी स्थल, यदि कोई हो, के ब्यौरे।	ग्राम-जिला-राज्य
	इन स्थलों की अवस्थिति टापशीट पर दर्शाई जाए ।	1.
-		2.
		3.
14.	जुड़ी परियोजनाएं	
∫15.	क्या जुड़ी परियोजना के लिए पृथक आवेदन किया गया	

(83) n

		·	
	है।		
16.	यदि हां, प्रस्तुतीकरण की तारीख		:: :
١17.	यदि नहीं, कारण		
18.	क्या प्रस्ताव के लिए :		7:
	(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980		i
	(ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	·	
·	(ग) सी.आर.जेड अधिसूचना, 1991 के अधीन		
	अनुमोदन/अनापत्ति की आवश्यकता है।		
19.	अंतर्वलित वन भूमि (हैक्टेयर)		
20.	क्या परियोजना और/या भूमि जिसमें परियोजना का	•	
	स्थापित किया जाना प्रस्तावित है के विरुद्ध कोई वाद		
	लंबित है	,	:
•	(क) न्यायालय का नाम	·	
	(ख) वाद संख्या		÷
	(ग) न्यायालय का आदेश/निदेश, यदि कोई है और		
	प्रस्तावित परियोजना के लिए इसका महत्व		,
	I	1	

# (ख) अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

में यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सवोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अरवीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गई अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहत की जाएगी।

तारीखः

स्थान:

आवेदक का हस्ताक्षर नाम और पूरा पता (परियोजना प्रस्तावक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

## टिप्पण:

1. तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के अधीन अनापत्ति वाली परियोजनाएं आवेदन के साथ परियोजना क्रिया कलाप, डब्लू आर टी, सी आर जैड दर्शाते हुए एक प्राधिकृत अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से रेखांकित सी आर जैड नक्शा और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण की सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी । सी आर जैड में की जाने वाली क्रियाकलापों के

लिए सी आर जैड अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए भी साथ साथ कारवाई की जाएगी ।

- राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारणय, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य पशुओं के प्रवासी कारीडोर की 10कि.मी. के भीतर स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक इन लक्षणों के साथ साथ परियोजना अवस्थिति दर्शाते हुए मुख्य वन प्राणी वार्डन द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित नक्शा और उस पर मुख्य वन प्राणी वार्डन की सिफारिशें या टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा ।";
- (Ix) परिशिष्ट 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- -

## "परिशिष्ट 4 (पैरा 7 देखिए)

# लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया

1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, समयबद्ध या पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी।

## 2.0 प्रक्रिया :

2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल एक से अधिक जिले या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है तो प्रत्येक जिला, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।

2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्ररूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस हार्ड प्रतियां और उसी के बराबर सॉफ्ट (इलैक्ट्रानिक)प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गई सामान्य संरचना सहित (जिसके अंतर्गत विस्तार(प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अनुसार निर्धाध रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी । इसके साथ-साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ उपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की हार्ड प्रति और एक

सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगां :

- (क) जिला मजिस्ट्रेट
- (ख) जिला परिषद या नगर निगम
- (ग) जिला उद्योग कार्यालय
- (घ) शहरी स्थानीय निकाय /संबद्ध पी आर आई
- (ভ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेशिक कार्यालय
- 2.3 उपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के सिवाय, प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर अपनी अधिकारिता के भीतर उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका-टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे. ।
- 2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या किसी अन्य उपयुक्त स्थानों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट 3क) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे जैसा पैरा 2.2 में वर्णित है, उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/कार्यालयों, को अतिरिक्त रूप प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति से भी उपलब्ध कराएंगे।

# 3.0 लोक सुनवाई की सूचना

- 3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना सलाहकार से प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख, समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा /राज्य की राजभाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा । जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ;
- 3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तन्न सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके । ऐसे स्थानों को जहाँ समाचार पत्र नहीं पहुंचते हैं, सक्षम प्राधिकारी को ढोल बजाकर और रेडियो/टेलीविजन पर विज्ञापन /घोषणा द्वारा जैसे अन्य माध्यमों से जनता को आम जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

·

3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थिगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किया आस्थ्यमन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा;

3.4 ऊपर आपवादिक परिस्थितियों में, केवल जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य - सचिव लोक परामर्श के लिए नई तारीख, समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और ऊपर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा।

## 4.0 पैनल

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर/उप आंयुक्त या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से समपूर्ण लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा।

## 5.0 वीडियोग्राफी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय विडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।

## 6.0 कार्यवाहियां

- 6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के सांथ संलग्न किया जाएगा।
- .6.2 कार्यटाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।
- 6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा ।
- 6.4 स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों को, आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लोक सुनवाई कार्यावाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र

प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा म अंतर्वरत्आ - को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गेंए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अंग्रेषित किया जन्मा ।

6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी यथास्थिति, स्थानीय भाषा या राज्य की राजभाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पंचायत घर के कार्यालय पर जिसकी अधिकारिता 🛱 परियोजना अवस्थित है, संबंधित जिला परिषद्, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शि भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी ।

## 7.0 लोक स्नवाई को पूरा करने के लिए कालावधि

7.1 लोक सुनवाई आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से मैंतालीस दिन की अवधि क़े भीत्र पूरी की जाएगी । इसके पश्चात् संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी । आवेदक, उन समुत्थानों को संबोधित करते हुएं कार्रवाई योजना और वित्तीय आबंटन मद-वाद के साथ लोक सुनवाई में व्यक्त चिंताओं को सम्मिलित करते हुए लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण की, अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा ।

7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग 'क' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और प्रवर्ग ख परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर, किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी।":

# (x) परिशिष्ट 5 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अंथांत :--

"3. जहां काइ लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है वहां आकलन अनुसूची की मद ८ के अलावा सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में विहित आवेदन प्रारूप 1 और ईआईए रिपोर्ट के आधार ् पर किया जाएगा । अनुसूची की मंद 8 की दशा में इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए संबद्ध पर्यावरणीय निर्धारण समिति। या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति प्ररूप । प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग ख परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आकलन

करंगी और परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति देने या अन्यथा के अनुमोदन के बारे में सिफारिश करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्ता का भी अनुबंध करेगी ।"

् [सं. ज-1:013,56-2004-1 ए. 11 (1)] जे. एम. माजसकर, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपन्न, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनकों का. अ. 1737 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007 द्वारा संशोधित किया गया !

# MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2009

S.O. 195(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, issued vide number O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003 or electronically at email address: <a href="mailto:secv-moef@nic.in">secv-moef@nic.in</a>.

Draft Notification

Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the implementation of the provisions of the said notification has been reviewed by the Ministry of Environment and Forests;

And whereas, as a result of the delay in submission of the proposals by the States for notification of the State level Environment Impact Assessment Authority, a



number of projects in Category 'B' of the Schedule continue to be appraised at the Central level;

And whereas, a number of projects are pending for award of Terms of Reference;

And whereas, the need for further streamlining of the procedure for consideration of proposals for Terms of Reference and environmental clearance has been felt on the basis of experience gained during the past two years on the implementation of provisions of the notification;

And whereas, clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby publishes this draft notification as required under sub-rule 3 of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986, which shall on and from the date of its final publication make the following amendments in the said notification, namely:—

## In the said notification,-

(I). in para 2, after sub-para (iii), the following shall be inserted; namely:—

"However, modernization or expansion proposals without any increase in pollution load and, or without any additional water and or land requirement are exempted from the provisions of this notification:

Provided that, a self certification, stating that the proposal shall not involve any additional pollution load, waste generation or water requirement, be submitted to the regulatory authority by the project proponent.";

- (II) in para 3, for sub-para (7), the following shall be substituted, namely:—
- "(7) All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting by majority.";
- (III) in para 4, in sub-para (iii), for the words and letters "In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project", the words and letters "In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category "B" project shall be considered at the

246 64/09-2

Central Level. However, Category 'B' projects are exempt from scoping for three years from the date of issue of this notification" shall be substituted;

- (IV) in para 7(i), in sub-para III Relating to Stage (3)- Public Consultation, in clause (i),—
  - (i) after item (c), the following item shall be inserted, namely:-
    - "(cc) dredging provided the dredged material shall be disposed or dumped within port limits.":
  - (ii) for item (d), the following item shall be substituted, namely:—
    - "(d) All Building or Construction projects or Area Development projects (which do not contain any category 'A' projects and activities) and Townships (item 8).";
- (V) in para 7(ii) relating to prior environmental clearance (EC) process for expansion or modernization or change of product mix in existing projects, the following shall be inserted at the end, namely:—

"However, in case of expansion projects involving enhancement of production by more than 50%, holding of public consultation shall be essential and no exemption in this regard shall be provided.";

- (VI) In para 10 relating to Post Environmental Clearance Monitoring,-
  - (a) The existing sub-para (i) shall be renumbered as sub-para (ii) and before sub-para (ii) as so re-numbered, the following sub-para shall be inserted namely;
  - "(i) It shall be mandatory for the project proponent to make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by advertising it at least in two local newspapers of the district or State where the project is located. The Ministry of Environment and Forests and the State or UT Environmental Impact Assessment Authorities (SEIAAs), as the case may be, shall also place the environmental clearance in the public domain on Government portal. Further, copies of the environmental clearance shall be endorsed to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government";
  - (b) existing sub-para (ii) shall be renumbered as sub-para (iii).
- (VII) in the Schedule,—

(i) for item 1(a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

(1).	(2)	(3)	(4)	(5) :
"1(a)	(i)Mining of	<del></del>	< 50 ha ≥ 5 ha of	General
	minerals.	lease area in	mining lease area	Condition shall
		respect of non-	in respect of non	apply.
	(ii)Slurry ·pipelines	coal mine lease.	coal mine lease.	
	(coal lignite and			Note: Mineral
	other ores)	>150 ha of mining	≤ 150 ha ≥ 5 ha of	prospecting is
	passing through	lease area in	mining lease area in	exempted.";
	national parks/	respect of coal	respect of coal mine	:
	sanctuaries/	mine lease.	lease	
	coral reefs,			·
	ecologically	Asbestos mining		•
	sensitive areas.	irrespective of	,	
		mining area.	] ]	<u> </u>

(ii) against item 1(c), for the entries in column (5), the following entries shall be substituted, namely:—

## "General Condition shall apply.

"Note: Irrigation projects not involving submergence or inter-state domain shall be appraised by the SEIAA as Category 'B' Projects.";

## (iii) against item 1(d),-

- (a) in column (3), for the entries, the following entries shall be substituted, namely—
- "> 500MW(coal/lignite/naphta and gas based);
- ≥ 50MW (Pet coke diesel and all other fuels except biomass);
- >50MW (based on biomass as fuel).";
- (b) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—
- "50MW(coal/lignite/naphta and gas based);
- <50 MW. ≥ 5 MW (Pet coke, diesel and all other fuels except biomass).";
- (b) in column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"General Condition shall apply.

Note:

Power plants upto 50 MW, based on biomass and using auxillary fuel such as coal / lignite / petroleum products (i) upto 15% are exempt.

Power plants upto 50 MW, based on non-hazardous (ii)

municipal waste are exempt.

Power plants using waste heat boiler without any (iii) auxillary fuel are exempt.";

(iv) againist item 3(a), in column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"General condition shall apply.

The recycling industrial units covered under HSM Rules, Note: (i) which require registration are exempted.

In case of secondary metallurgical processing industrial units only those projects involving operation of furnaces (ii) such as induction and electric arc furnace, submerged arc furnace, pre heating furnace, cupola and crucible furnace with capacity more than 5 tonnes per heat would require environmental clearance.

Plant / units based on municipal solid waste (non-(iii)

hazardous) are exempted.";

(v) against item 4(b), in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"General conditions shall apply.";

(vi) against item 4(d),-


(a) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"(i) All projects irrespective of the size if it is located in a Notified Industrial Area/Estate.

(ii) < 300 TPD and located outside a Notified Industrial Area/ Estate.";

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"General as well as specific conditions shall apply.";



(vii) against item 4(f), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"General as well as specific conditions shall apply.";

(viii) against item 5(a),

(a) in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"All projects except Single Super Phosphate.";

(b) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Single Super Phosphate.";

(ix) against item 5(e), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"General as well as specific conditions shall apply.";

(x) against item 5(f), in column (5), for the existing energy following entry shall be substituted, namely:-

"General and specific conditions shall apply. ";

(xi) item 5(k) and the entries relating thereto shall be omitted;.

(xii) against item 7(a),-

(a) in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"All projects including airstrips, which are for commercial use.";

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Note:

Air strips, which do not involve bunkering/ refueling facility and or Air Traffic Control, are exempted.

Modernization of airport is exempted provided there is no 2. increase in pollution load.";

(xiii) against item 7(c), in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General as well as specific conditions shall apply.

#### Note:

- Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.
- 2. If the area is less than 500 ha, but contains building and construction projects > 50,000 Sq. mtr. and or development area more than 100 ha it will be treated as activity 8(a) or 8(b) as the case may be.

## (xiv) against item 7(e),—

(a) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely;—

"Ports, harbors, break waters, dredging.";

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

" General Condition shall apply.

#### Note:

Dredging inside and outside the ports or harbors and channels are included.";

(xv) against item 7(f), in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"All State Highway projects and State Highway expansion projects in hilly terrain or in ecologically sensitive areas.";

## (xvi) against item 7(g),-

- (a) in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—
- "(i) All projects located at altitude of 1,000 mtr. and above.
- (ii) All projects located in notified ecologically sensitive areas.";
- (b) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"All projects except those covered in column (3).";

(xvii) against item 8(a), in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

" $\geq$  50000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of builtup area";

(xviii) against item 8(b), in column (4), for the entry " $\geq$ 50 ha", substitute the entry " $\geq$ 100ha.";

(xix) after the Schedule, in the 'Note', for sub-heading relating to 'General Condition (GC)', the following shall be substituted, namely:—

"Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category 'A', if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972; (ii) Critically polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, such as, Mahabaleshwar Panchgani, Matheran, Pachmarhi, Dahanu, Doon Valley, etc., and (iv) inter-State boundaries and international boundaries:

Provided that the requirement regarding distance of 10 km of the inter-State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or U.Ts sharing the common boundary.

## (VIII) in the Appendix I, in Form I,-

(a) for item (I) relating to the Basic Information, the following shall be substituted, namely:—

#### "(I) Basic Information

S.No.	Item	Details
1	Name of the project/s	<u> </u>
2.	S.No. in the schedule	
3.	Proposed capacity/area/length/tomage to be handled/command area/lease area/number of wells to be drilled	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.	New/Expansion/Modernization	
5.	Existing Capacity/Area etc:	<u> </u>
6.	Category of Project i.e. 'A' or 'B'	
7.	Does it attract the general condition? If yes,	<u> </u>

	please specify.	
3.	Does it attract the specific condition? If yes,	
;	please specify.	
9.	Location	
:	Plot/Survey/Khasra No.	
÷ .	Village	
	Tehsil	
	District	
	State	
10.	Name of the applicant	
11.	Registered Address /	
12.	Address for correspondence:	
	Name	
	Designation (Owner/Partner/CEO)	
<u> </u>	Address	
200	Pin Code	
1.7	E-mail	
	Telephone No.	
137	Fay No	·
13.	Details of Alternative Sites examined, if any.	Village-District-State
13.	Location of these sites should be shown on a	1
	toposheet.	2.
İ	toposneed	3.
14.	Interlined Projects	•
177		
15.	Whether separate application of interlined project	
1,7,	has been submitted	
16.	If yes, date of submission	
10.	If yes, date or seemed	
$\frac{1}{17}$ .	If no, reason	
17.		
18.	Whether the proposal involves	
10,	approval/clearance under:	•
	(a) The Forest (Conservation) Act, 1980	
- V	(b) The Wildlife (Protection) Act, 1972	
	(c) The C.R.Z Notification, 1991	
19.	Forest land involved (hectares)	
	The standing against	
20.	Whether there is any litigation pending against	<i>y</i> .
	the project and/or land in which the project is	,
:	propose to be set up	
	(a) Name of the Court	
	(b) Case No.	]
	(c) Orders/directions of the Court, if any and its	
1	relevance with the proposed project.	
1		

(b) the following shall be inserted at the end, namely:—

"I hereby given undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information submitted is found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance give, if any to the project will be revoked at our risk and cost.

Date: _ Place:		 	··						•					7	
lace.		 <del></del>						•							olicant
															ddress
	•	•	•	•			(Pro	oiect	Prop	oner	nt / A	lutho	orised	l Sign	atory)

#### NOTE:

- 1. The projects involving clearance under Coastal Regulation Zone Notification, 1991 shall submit with the application a C.R.Z map duly demarcated by one of the authorized agencies, showing the project activities, w.r.t. C.R.Z and the recommendations of the State Coastal Zone Management Authority. Simultaneous action shall also be taken to obtain the requisite clearance under the provisions of the C.R.Z Notification, 1991 for the activities to be located in the CRZ.
  - 2. The projects to be located within 10 km of the National Parks; Sanctuaries, Biosphere Reserves, Migratory Corridors of Wild Animals, the project proponent shall submit the map duly authenticated by Chief Wildlife Warden showing these features vis-à-vis the project location and the recommendations or comments of the Chief Wildlife Warden thereon.";
    - (IX) for Appendix IV, the following shall be substituted, namely:—

"APPENDIX IV (See paragraph 7)

## PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District-wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

#### 2. 0 The Process:

- The applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is covering more than one District or State or Union Territory, the public hearing is mandated in each District, State or Union Territory in which the project is located and the applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.
- The applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

(a) District Magistrate/s

(b) Zila Parishad or Municipal Corporation

(c) District Industries Office

(d) Urban Local Bodies (ULBs) / PRIs Concerned

- (e) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests
- On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the Regional Office of MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over.
- The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or any other suitable location etc. They shall also additionally make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices as given in para 2.2.

## 3.0 Notice of Public Hearing:

The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7 (seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily / Official State Language. A minimum notice period of 30 (thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

- 99) 94
- 3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing. In places where the newspapers do not reach, the Competent Authority should arrange to inform the local public about the public hearing by other means such as by way of beating of drums as well as advertisement / announcement on radio / television.
- No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and then only on the recommendation of the concerned District Magistrate, the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;
- 3.4 In the above exceptional circumstances, fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

#### 4.0 The Panel

4.1 The District Magistrate / District Collector / Deputy Commissioner or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

## 5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

#### 6.0 Proceedings

- 6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.
- 6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.
- 6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.
- 6.4 Persons present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the applicant. The summary of the

public hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

- A Statement of the issues raised by the public and the comments of the applicant shall also be prepared in the local language or the Official State language, as the case may be, and in English and annexed to the proceedings:
- The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate, and the SPCB or UTPCC. The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings, may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the applicant concerned.

# 7.0 Time period for completion of public hearing

- 7.1 The public hearing shall be completed within a period of forty five days from date of receipt of the request letter from the applicant. Thereafter the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within eight days of the completion of the public hearing. The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations incorporating the concerns expressed in the public hearing along with action plan and financial allocation, itemwise, to address those concerns.
- If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45 (forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA or project proponent, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this Notification.";
- (X) in Appendix V, for para 3, the following para shall be substituted, namely:—
- "3. Where a public consultation is not mandatory, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and EIA report, in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule. In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle, the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual


(of) 100

plan and make recommendations on the project regarding grant of environmental clearance or otherwise and also stipulate the conditions for environmental clearance.".

[No. J-11013/56/2004-I A. II (I)]
J. M. MAUSKAR, Addi. Secv.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E), dated the 11<sup>th</sup> October, 2007.

that of motion is a feed seem of limits Press, Ring (Road, Arrivapor motion for the feet subject on the fier of Publications (Gelles-



# (TO BE PUBLISHED IN PART-I, SECTION 2 OF THE GAZETTE OF INDIA)

હ્યુઇ

No. K-11011/2/2008-DDIA Government of India Ministry of Urban Development (Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi Dated April 2 , 2009

## **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred under Section 3(3)(d) of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri A.K. Bajaj, Chief Engineer (C), CPWD, as Engineer Member in the Delhi Development Authority (DDA) in the pay scale of Rs. 18400-22400 + special pay of Rs. 300/- p.m. (pre-revised) for a period of three years with effect from the date of his taking over charge of the post or till his retirement on superannuation or until further orders, whichever is earlier.

(N.T. Joseph) Under Secretary (DD IA) Tel: 23061478

To

The Manager Govt. of India Press Faridabad (Haryana).

#### Copy to:-

- 1. Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi/Chairman, DDA, Raj Niwas, Delhi.
- 2. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
- 3. Chief Secretary, GNCTD, IP Estate, New Delhi.
- 4. Finance Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
- 15. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
  - DG (W), CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi. 6. It is requested that Shri A.K. Bajaj, Chief Engineer (C), may please be relieved from his present responsibilities immediately to enable him to join as Engineer Member, DDA.
  - 7. Shri A.K. Bajaj, Chief Engineer (C), CPWD, Nirman Bhavan, New
  - 8. Director (Works), Ministry of UD, Nirman Bhawan, New Delhi.
  - 9. PS to UDM, Nirman Bhawan, New Delhi.
  - PS to MOS (UD), Nirman Bhavan, New Delhi. 10.
  - Sr. PPS to Secretary(UD)/PPS to SS (UD) 11.

12. PS to JS(DL)/PS to JS(UD)/PS to JS(F)

(N.T. Joseph) Under Secretary (DD IA)

TIGILIOT.

## No. K-12016/2/2006-DDIB Government of India Ministry of Urban Development Delhi Division IB

121/469

Nirman Bhawan, New Delhi, Dated the 25<sup>th</sup> March, 2009

1291 Gr RW

Subject:

The National Capital Territory of Delhi Laws (special

provision) Act, 2009

A copy of above Act published in the Gazette of India Extraordinary on 16<sup>th</sup> March, 2009 is enclosed herewith.

PC-Sery.

Pc (cws) / cum. 21/3/19

(Separate copies)

(P.T.Jameskutty)
Under Secretary
Tel.No.23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi

2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi

3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi

Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
 Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi

6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.

7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.

8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.

9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.

10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.

12. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)/ Director (DD).

2. NIC, M/o UD to put the above Notification on the website of this Ministry immediately

Ministry immediately.

-**.8** 

1

60/4/82



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1 PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 27। No. 27] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2009 /फाल्गुन 25, 1930

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2009 / PHALGUNA 25, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 16th March, 2009/Phalguna 25, 1930 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 16th March, 2009, and is hereby published for general information:-

# THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2009

No. 24 of 2009

[16th March, 2009.]

An Act to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st day of December, 2009 and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS there had been phenomenal increase in the population of the National Capital Territory of Delhi owing to migration and other factors resulting in tremendous pressure on land and infrastructure leading to encroachment or unauthorised developments which are not in consonance with the concept of planned development as provided in the Master Plan of Delhi, 2001 and the relevant Acts and building bye-laws made thereunder;

AND WHEREAS the Master Plan of Delhi, 2001 was extensively modified and notified by the Central Government on the 7th day of February, 2007 with the perspective for the year 2021 keeping in view the emerging new dimensions in urban development vis-a-vis the social, financial and other ground realities:

AND WHEREAS the Master Plan of Delhi with the perspective for the year 2021 specifically provides for strategies for housing for urban poor as well as to deal with the informal sector;

AND WHEREAS a strategy and a scheme has been prepared by the local authorities in the National Capital Territory of Delhi for regulation of urban street vendors in accordance with the National Policy for Urban Street Vendors and the Master Plan for Delhi, 2021;

And whereas based on the policy finalised by the Central Government regarding regularisation of unauthorised colonies, village *abadi* area and its extension, the guidelines and regulations for this purpose have been issued;

And whereas more time is required for orderly implementation of scheme regarding hawkers and urban street vendors and for regularisation of unauthorised colonies, village abadi area and its extension;

And whereas the revised policy and orderly arrangements for relocation and rehabilitation of slum dwellers and *Jhuggi-Jhompri* clusters in the National Capital Territory of Delhi is under consideration of the Government;

And whereas policy regarding existing farm houses involving construction beyond permissible building limits, schools, dispensaries, religious institutions and cultural institutions and storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land is under consideration of the Central Government;

And whereas the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 was enacted on the 5th day of December, 2007 to make special provisions for the areas of National Capital Territory of Delhi for a period up to the 31st day of December, 2008 and has ceased to operate after the 31st day of December, 2008;

43 of 2007.

And whereas it is expedient to have a law in terms of the Master Plan of Delhi, 2021, in continuation of the said Act for a period up to the 31st day of December, 2009 to provide temporary relief and to minimise avoidable hardships and irreparable loss to the people of the National Capital Territory of Delhi against any action by the concerned agency in respect of persons covered by the policies referred to above.

BE it enacted by Parliament in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent, commencement and duration.

- 1. (1) This Act may be called the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2009.
  - (2) It extends to the National Capital Territory of Delhi.
  - (3) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2009.
- (4) It shall cease to have effect on the 31st day of December, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such cesser, and upon such cesser section 6 of the General Clauses Act, 1897, shall apply as if this Act had then been repealed by a Central Act.

Definitions

- 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—
- (a) "building bye-laws" means bye-laws made under section 481 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 or the bye-laws made under section 188, sub-section (3) of section 189 and sub-section (1) of section 190 of the Punjab Municipal Act, 1911, as in force in New Delhi or the regulations made under sub-section (1) of section 57 of the Delhi Development Act, 1957, relating to buildings;
- (b) "Delhi" means the entire area of the National Capital Territory of Delhi except the Delhi Cantonment as defined in clause (11) of section 2 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957:

66 of 1957. Punjab Act. 3 of 1911. 61 of 1957

10 of 1897.

66 of 1957

(c) "encroachment" means unauthorised occupation of Government land or public land by way of putting temporary, semi-permanent or permanent structure for residential use or commercial use or any other use;

66 of 1957 44 of 1994. 61 of 1957.

61 of 1957.

- (d) "local authority" means the Delhi Municipal Corporation established under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, or the New Delhi Municipal Council established under the New Delhi Municipal Council Act, 1994 or the Delhi Development Authority established under the Delhi Development Act, 1957, legally entitled to exercise control in respect of the areas under their respective jurisdiction;
- (e) "Master Plan" means the Master Plan for Delhi with the perspective for the year 2021, notified vide notification number S.O.141(E), dated the 7th February, 2007, under the Delhi Development Act, 1957;
  - (f) "notification" means a notification published in the Official Gazette;
- (g) "punitive action" means action taken by a local authority under the relevant law against unauthorised development and shall include demolition, sealing of premises and displacement of persons or their business establishment from their existing location, whether in pursuance of court orders or otherwise;
  - (h) "relevant law" means in case of-

61 of 1957.

(i) the Delhi Development Authority, the Delhi Development Act, 1957;

66 of 1957.

(ii) the Municipal Corporation of Delhi, the Delhi Municipal Corporation Act, 1957; and

44 of 1994.

(iii) the New Delhi Municipal Council, the New Delhi Municipal Council Act, 1994;

(i) "unauthorised development" means use of land or use of building or construction of building or development of colonies carried out in contravention of the sanctioned plans or without obtaining the sanction of plans, or in contravention of the land use as permitted under the Master Plan or Zonal Plan or layout plan, as the case may be, and includes any encroachment.

61 of 1957. 66 of 1957.

44 of 1994.

- (2) Words and expressions used but not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and the New Delhi Municipal Council Act, 1994.
- 3. (1) Notwithstanding anything contained in any relevant law or any rules, regulations Enforcement or bye-laws made thereunder, the Central Government shall before the expiry of this Act, take all possible measures to finalise norms, policy guidelines, feasible strategies and make orderly arrangements to deal with the problem of encroachment or unauthorised development in the form of encroachment by slum dwellers and Jhuggi-Jhompri clusters, hawkers and urban street vendors, unauthorised colonies, village abadi area (including urban villages) and its extension, existing farm houses involving construction beyond permissible building limits and schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions, storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land, as mentioned below:

(a) policy for relocation and rehabilitation of slum dwellers and Jhuggi-Jhompri clusters in accordance with the provisions of the Master Plan of Delhi, 2021 to ensure development of Delhi in a sustainable, planned and humane manner;

to be kept in abeyance.

- (b) scheme and orderly arrangements for regulation of urban street vendors in consonance with the national policy for urban street vendors and hawkers as provided in the Master Plan of Delhi, 2021;
- (c) orderly arrangements pursuant to guidelines and regulations for regularisation of unauthorised colonies, village abadi area (including urban villages) and its extension, as existed on the 31st day of March, 2002, and where construction took place even beyond that date and up to the 8th day of February, 2007;
- (d) policy regarding existing farm houses involving construction beyond permissible building limits; and
- (e) policy regarding schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions, storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land.
- (2) Subject to the provisions contained in sub-section (1) and notwithstanding any judgment, decree or order of any court, status quo
  - (i) as on the 1st day of January, 2006, in respect of encroachment or unauthorised development; and
  - (ii) in respect of unauthorised colonies, village abadi area (including urban villages) and its extension, which existed on the 31st day of March, 2002 and where construction took place even beyond that date and up to the 8th day of February, 2007, mentioned in sub-section (1),

shall be maintained.

- (3) All notices issued by any local authority for initiating action against encroachment or unauthorised development referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been suspended and no punitive action shall be taken till the 31st day of December, 2009.
- (4) Notwithstanding any other provision contained in this Act, the Central Government may, at any time before the 31st day of December, 2009, withdraw the exemption by notification in respect of encroachment or unauthorised development mentioned in sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be.

Provisions of this Act not to apply in certain cases.

- 4. During the period of operation of this Act, no relief shall be available under the provisions of section 3 in respect of the following encroachment or unauthorised development, namely:—
  - (a) encroachment on public land except in those cases which are covered under clauses (a),(b) and (c) of sub-section (1) of section 3;
  - (b) removal of slums and Jhuggi-Jhompri dwellers, hawkers and urban street vendors, unauthorised colonies or part thereof, village abadi area (including urban villages) and its extension in accordance with the relevant policies approved by the Central Government for clearance of land required for specific public projects.

Power of Central Government to give directions.

5. The Central Government may, from time to time, issue such directions to the local authorities as it may deem fit, for giving effect to the provisions of this Act and it shall be the duty of the local authorities, to comply with such directions.

6. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, all things done, or, omitted to be done, and all action taken, or, not taken, during the period beginning on or after the 1st day of January, 2009 and ending immediately before the date of commencement of this Act, shall, in so far as they are in conformity with the provisions of this Act, be deemed to have been done, or, omitted to be done, or, taken, or, not taken, under these provisions as if such provisions were in force at the time such things were done or omitted to be done and action taken or not taken during the aforesaid period.

Validation of acts done or omitted to be done, etc., during 1st January, 2009 up to the date of commencement of this Act.

T.K. VISWANATHAN, Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009.

GMGIPMRND--1314GI(S5)--17-03-2009.